20 मार्च, 2022 ❋ वर्ष 31, पृष्ठ संख्या, 60, अंक-3

राजस्थान सुजस

अभी तो...

सफर का इरादा किया है

बजट 2022–2023

बजट

2022-23

राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए।

बेटियों और मांओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए।

स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए।

सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए।

नौजवानों को सक्षम बना,

उनकी हसरतों को पूरा करने के लिए।

गरीब, मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए।

गांवों का हाल बदलने के लिए।

शहरों की रफ्तार बदलने के लिए।

विज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए।

हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की के लिए।

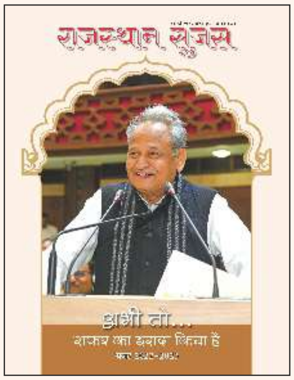

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 94136-24352
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 03 | मार्च, 2022

इस अंक में

सम्पादकीय 04
वित्त एवं विनियोग विधेयक पर घोषणाएं 49
तब और अब 60

बजट 2022-23

05

बजट 2022-23

07

प्रथम कृषि बजट

23

कर प्रस्ताव

33

जन-जन के उद्गार

30-31

फागोत्सव

58

लोक जीवन

59

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

उल्लास का फाग

होली के उल्लास से सराबोर फागुन के इस महीने की रंगत इस बार कुछ अलग है। कहते हैं, ''मन अच्छा तो सब अच्छा।'' इस बार खुशी के ये रंग निकले हैं विधानसभा में रखे गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से, जिसने प्रदेश के हर वर्ग, हर खासो-आम को दिलखुश उम्मीदों की बहुरंगी बौछारों से भिगो दिया है।

क्या युवा, क्या किसान, क्या उद्यमी, क्या कर्मचारी ! क्या गांव, कस्बा और क्या शहर! मुख्यमंत्री जैसे-जैसे बजट भाषण देते गए, लोगों का विस्मय बढता गया। क्या वाकई कोई बजट ऐसा भी हो सकता है? इस बजट में सबके लिए ''बहुत कुछ'' है। इस बजट की घोषणाओं की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी। जब कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग उठाई जाने लगी और अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ ने तो इसकी घोषणा भी कर डाली, और भी कई राज्य इस कतार में हैं। योजना से लाभान्वित होने वाले 5 लाख 22 हजार से अधिक कार्मिक भविष्य की अनिश्चितता से मुक्त होकर नई ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए तत्पर हैं।

पूर्व में प्रथम जैण्डर आधारित बजट, पेपरलैस बजट जैसी सकारात्मक पहलों के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत कर बता दिया है कि अन्नदाता हमारे आधार हैं और हमारी समृद्धि उनकी समृद्धि से ही जुड़ी है। पर्यटन को पहली बार उद्योग का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र को नवजीवन मिला है।

यह बजट दरअसल एक तरह से आमजन की आकांक्षाओं का ही बजट है जिसकी राह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ किए गए बजट पूर्व सार्थक संवादों से निकली है। कोविड की चुनौतियों से मुकाबला कर मानव संसाधन और शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत संरचनाओं के विकास की जो राह यह बजट प्रशस्त कर रहा है, उसका दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। राजस्थान सुजस के प्रस्तुत अंक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सदन में दिए गए बजट भाषण की घोषणाओं, प्रस्तावों एवं बजट पर हुई बहस पर दिए गए उनके जवाबों तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा पर उनके द्वारा की गई घोषणाओं के सम्पादित अंशों को शामिल किया गया है। प्रस्तुत अंक में होली पर जयपुर के आराध्य श्री गोविन्देवजी मंदिर में पुष्प फागोत्सव और राजसमन्द के अनूठे राल ज्वाला आयोजन के नयनाभिराम दृश्यों को साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया है। साथ ही ''तब'' और ''अब'' में प्रदेश में महिला शक्ति की उड़ान को दर्शाया गया है। होली एवं राजस्थान दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ ''राजस्थान सुजस'' का बजट 2022-23 पर आधारित यह अंक आप सुधी पाठकों को सादर समर्पित है।

अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

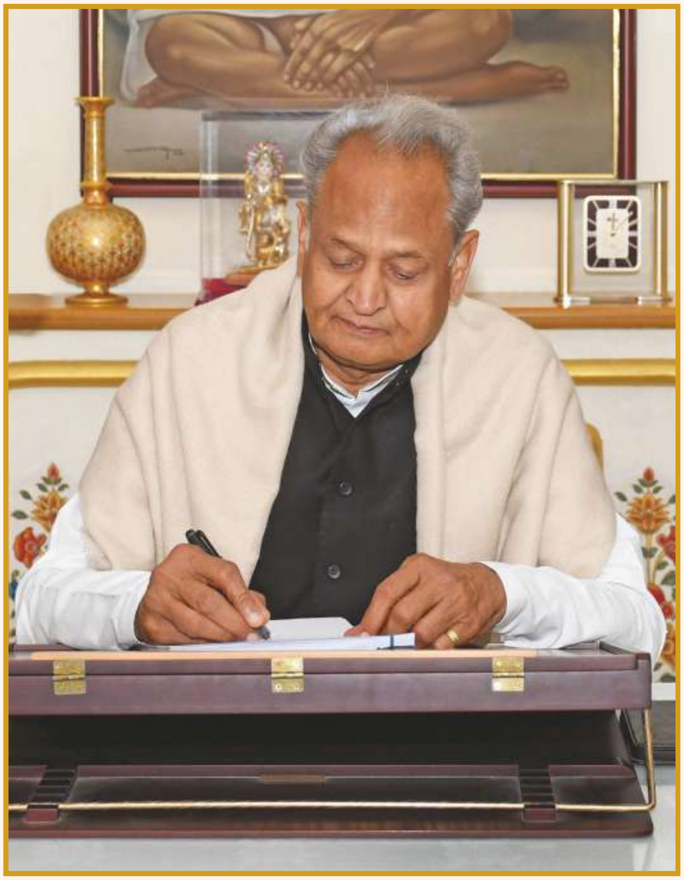

वित्तीय वर्ष 2022-23

बजट को अन्तिम रूप

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट को मंगलवार, 22 फरवरी को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) श्री सुरेश चन्द गुप्ता, शासन सचिव वित्त (बजट) श्री सुधीर कुमार शर्मा, शासन सचिव वित्त (व्यय) श्री नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) श्री ब्रजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्तुत बजट से राजस्थान में आज हर वर्ग प्रफुल्लित है। दूसरी बार पैपरलैस रूप से प्रस्तुत इस बजट में राज्य सरकार के पूर्व बजटों के समान ही प्रदेश में वास कर रहे हर आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने का भरपूर प्रयास नजर आया। साथ ही बजट को प्रदेश में कोरोना संकटकाल से उपजी वितरीत परिस्थितियों के बावजूद सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाने की कोशिश भी नजर आई।

हमेशा की तरह इस बजट में भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद्, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर ही भविष्य की कार्ययोजना को मूर्तरूप देने का प्रयास किया गया विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व संवाद इन प्रयासों का ही माध्यम थे। अलग से कृषि बजट प्रस्तुत कर राज्य सरकार ने कृषक कल्याण के प्रति अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित कर दिया है। बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रदेश के लगभग हर वर्ग द्वारा इसकी सराहना की गई और राज्य सरकार का आभार प्रकट किया गया। इसने प्रदेशभर में युवाओं, महिलाओं, कृषकों, उद्यमियों, राजकीय कर्मियों और लगभग हर वर्ग में नई उम्मीदों का संचार किया है। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू किए जाने जैसी घोषणाओं से तो यह बजट पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। साथ ही इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी विचार–मंथन का कारण भी बना है। प्रस्तुत हैं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में सत्र के दौरान प्रस्तुत राज्य के वर्ष 2021–22 के संशोधित एवं वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान, कृषि बजट, बजट पर सामान्य वाद विवाद एवं वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा पर उनके द्वारा सदन में दिए गए उद्बोधनों के संपादित अंश एवं घोषणाएं...

डॉ. रजनीश शर्मा

- सीमित वित्तीय संसाधन, केन्द्र से प्राप्त राशि में कमी एवं तीन वर्षों में से दो वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र में किये गये 70 प्रतिशत से अधिक वायदों तथा 85 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश को खुशहाल एवं चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर करने का इरादा कुछ इन शब्दों में जताया...

ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है।
ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है।।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी–रोटी के संकट से उबारने के लिए UPA Govt. द्वारा प्रारम्भ 'महात्मा गांधी नरेगा योजना' की तरह शहरी क्षेत्रों में ठेले, रेहड़ी, थड़ी व पटरी पर फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए और

अधिक सहायता उपलब्ध कराने के क्रम में ...

I. शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए '**इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना**' लागू जाएगी। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। इस पर प्रति वर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. कोविड की परिस्थितियों के कारण आगामी वर्ष में, महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाकर 125 दिवस करने पर 750 करोड़ रु. व्यय होंगे।

III. कोरोना काल में शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे। प्रावधान 75 करोड़ रुपये।

IV. अल्प आय वर्ग के साथ–साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आगामी वर्ष 100 यूनिट

बजट
2022-23

प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को **50 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क** मिलेगी। समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा। इस पर लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपये वित्तीय भार आएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

- मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच के साथ **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** लागू करने से राजस्थान **'Universal Health'** उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। योजना से लगभग एक करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ सके हैं तथा सिर्फ 9 माह में ही 7 लाख 41 हजार से ज्यादा लोगों ने लगभग 930 करोड़ रुपये के कैशलैस इलाज की सुविधा प्राप्त की है।
- आगामी वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को **बढ़ाकर 10 लाख रुपये** कर दिया गया है। योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी वर्ष से कॉक्लेयर इम्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड / प्लेटलेट्स / प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्ब प्रोस्थेसिस (बोन कैंसर) का भी नि:शुल्क इलाज उपलब्ध होगा। इस योजना के लाभ से कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार वंचित न रह जाये, यह सुनिश्चित करने हेतु **जिला कलक्टरों को अधिकृत किया जा रहा है ताकि किसी ऐसे व्यक्ति का चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी वे उसका नि:शुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकें** एवं भविष्य के लिए उस परिवार का चिरंजीवी कार्ड बनाना सुनिश्चित करें।
- 2 अक्टूबर, 2011 को मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना और वर्ष 2013 में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी। अब राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं भी समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णत: नि:शुल्क अर्थात फ्री एवं कैशलैस रहेंगी।

  इस प्रकार अब भविष्य में **सरकारी अस्पतालों यथा-मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी तथा सब सेंटर में बिना किसी खर्च के पूरा इलाज कैशलैस होगा।** अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां एवं जांचों की अतिरिक्त सुविधा भी सुनिश्चित होगी।
- दुर्घटनाओं को कम करने और दुर्घटना हो जाने की स्थिति में परिवार को संबल देने के लिए लागू **मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना** के अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
- प्रदेश में नये खुलने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों हेतु एक हजार 224 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 3 हजार 674 बेड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में ही हाथ में लिया जाएगा।

क्र.सं.	चिकित्सालय	बेड क्षमता	अनुमानित लागत
1	अलवर	100 बेड	35 करोड़ रुपये
2	बांसवाड़ा	140 बेड	45 करोड़ 50 लाख रुपये
3	बारां	240 बेड	80 करोड़ 50 लाख रुपये
4	बूंदी	250 बेड	84 करोड़ रुपये
5	चित्तौड़गढ़	315 बेड	105 करोड़ रुपये
6	दौसा	210 बेड	70 करोड़ रुपये
7	हनुमानगढ़	315 बेड	105 करोड़ रुपये
8	जैसलमेर	345 बेड	115 करोड़ रुपये
9	झुंझुनूं	240 बेड	80 करोड़ 50 लाख रुपये
10	करौली	300 बेड	105 करोड़ रुपये
11	नागौर	189 बेड	56 करोड़ रुपये
12	सवाई माधोपुर	300 बेड	105 करोड़ रुपये
13	सिरोही	315 बेड	105 करोड़ रुपये
14	श्रीगंगानगर	240 बेड	77 करोड़ रुपये
15	टोंक	175 बेड	56 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

प्रति परिवार सालाना बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये। सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज (आउटडोर एवं इनडोर सहित) पूर्णतः निःशुल्क।

- वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं। सात जिलों- बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में इनकी स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में, शेष 18 जिलों- बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर व टोंक में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 5 नये विभाग स्थापित करते हुए रोबोटिक सर्जरी एवं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय-सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल तथा राज्य कैंसर संस्थान में विभिन्न विकास कार्यों पर 300 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय कर...

I. जिला चिकित्सालय परिसर-सीकर में 100 बेड क्षमता के चिकित्सा ब्लॉक का निर्माण, टीबी हॉस्पिटल-बीकानेर, महात्मा गांधी चिकित्सालय व कमला नेहरू हॉस्पिटल-जोधपुर में संवर्द्धन के कार्य करवाये जायेंगे।

II. चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा एवं चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में पीजी छात्रावासों का निर्माण तथा जनाना अस्पताल, अजमेर में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा।

आगामी वर्ष जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में 250 करोड़ रुपये की लागत से नए मेडिकल इन्सटीट्यूट्स स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। ये इन्सटीट्यूट्स हैं...

I. Institutes of Neuro Sciences and Opthalmology (SMS Medical College, Jaipur)

II. Institute of Neuro Sciences (SN Medical College, Jodhpur)

III. Institute of Paediatrics, Neonatology and Maternity (JK Lone Hospital, Kota)

IV. Institute of Paediatrics and Neonatology (JLN Medical College, Ajmer)

- मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर में सभी 7 सुपर स्पेशियलिटी यथा-एण्डोक्रायनोलॉजी, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, गेस्ट्रोसर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी व कार्डियोलॉजी की सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी। MDM अस्पताल-जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डिएक लैब की स्थापना होगी।
- भीलवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, डूंगरपुर, पाली, झालावाड़ एवं चूरू मेडिकल कॉलेजों में आगामी वर्ष में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी सुविधायें शुरू की जायेंगी।
- Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) एवं इसके अधीन डेंटल कॉलेज, जयपुर का 100 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णतः पुनरूत्थान (revival) किया जायेगा। साथ ही, जोधपुर में नवीन Dental College की स्थापना होगी।

राज्य में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराए जाने, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से...

I. जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।

II. **एक हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र** खोले जायेंगे। प्राथमिकता नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इन्हें खोलने की होगी।

III. 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (Sub Centres) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कर कुल 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

IV. माचाडी (रैणी)-अलवर, रामसर (श्रीनगर)-अजमेर, मण्डली (कल्याणपुर), भाडखा-बाड़मेर, कोयला-बारां, कलसाडा (बयाना), बहनेरा (सेवर)-भरतपुर, अंटाली (बदनौर), ज्ञानगढ़ (करेड़ा)-भीलवाड़ा, गौडू (बज्जू)-बीकानेर, टामटिया (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, ददरेवा (राजगढ़)-चूरू, दौलतपुरा (लालसोट)-दौसा, धानोता (शाहपुरा), बनेठी (कोटपूतली), धानक्या (झोटवाड़ा), बडवा (बस्सी)-जयपुर, बर (रायपुर), बूसी (रानी)-पाली, झल्लारा-उदयपुर, रांधई (मंडरायल)-करौली, मिण्डा (नावां), धनकौली (डीडवाना), सुदरासन (मौलासर) -नागौर, सुकार (बामनवास), फलोदी (खण्डार)-सवाई माधोपुर, अनादरा (रेवदर)-सिरोही, पाटोदा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर, अरायण (श्रीकरणपुर)-श्रीगंगानगर, बपावर (सांगोद)-कोटा, छणी (नयागांव)-उदयपुर व मेघाना (नोहर)-हनुमानगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापर (सुजानगढ़)-चूरू व उदयमंदिर-जोधपुर को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. नवचौकिया डिस्पेंसरी-जोधपुर सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत होगी।

VI. धौरीमन्ना, चौहटन-बाड़मेर, नैनवा-बूंदी, बेगूं, रावतभाटा-

चित्तौड़गढ़, सिकराय, बांदीकुई, महवा-दौसा, बानसूर-अलवर,सादुलशहर-श्रीगंगानगर, पूगल (खाजूवाला)-बीकानेर, अंता- बारां, नगर-भरतपुर एवं जायल-नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उप जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत होंगे।

VII. नाथद्वारा-राजसमंद, बहरोड़-अलवर, डीडवाना-नागौर, रतनगढ़-चूरू, लालसोट-दौसा व नवलगढ़-झुंझुनूं के उप जिला अस्पताल जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत होंगे।

VIII. बाड़ी-धौलपुर, हिण्डौन सिटी-करौली, गंगरार-चित्तौड़गढ़ व देवली-टोंक में ब्लड बैंक की स्थापना होगी।

IX. जोधपुर व उदयपुर में एक-एक अतिरिक्त CMHO office स्थापित होगा।

- वर्तमान में 34 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध डायलेसिस की सुविधा का दूरदराज के क्षेत्रों में विस्तार करते हुए उप जिला चिकित्सालयों तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) पर भी यह सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रारंभ होगी। इसके साथ ही, इन सभी केन्द्रों पर दंत चिकित्सा की सुविधा भी चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।
- प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं को Early Cancer Detection की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले हेतु Cancer Diagnostic Van उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- आयुष सुविधा (आयुर्वेद, योग व नैचुरोपैथी, यूनानी एवं होम्योपैथी) से वंचित 19 ब्लॉक पर आयुष चिकित्सालय की स्थापना पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- तारानगर-चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय एवं भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। यूनानी महाविद्यालय, टोंक के भवन का लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार होगा।
- प्रदेशवासियों को मिलावट रहित व गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय-समय पर चलाए जाने वाले 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान कार्य को मूर्तरूप रूप देने के लिए बनाये गये Directorate of Food Safety के अधीन 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन करते हुए भर्ती की जाएगी। साथ ही, पूर्व में घोषित 7 Food Safety Labs का कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए, आगामी वर्ष 10 नई Mobile Food Safety Labs भी संचालित की जाएंगी।

सड़क सुरक्षा

सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने की दृष्टि से वाहन चालकों की regular training के साथ-साथ नियम तोड़ने व नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्यवाही आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा में अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए...

I. **Road Safety Act** लाया जाकर **'Rajasthan Public Transport Authority'** का गठन किया जाएगा। साथ ही, HCM RIPA, जयपुर में **State Road Safety Institute** खोला जायेगा।

II. शाहजहांपुर से अजमेर (NH-48 व NH-448) बर-बिलाड़ा - जोधपुर ((NH-25) तथा सीकर से बीकानेर (NH-11 व NH-52) तक के भाग को Pilot Porjet के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जायेगा।

राज्य के सभी 3820 सैकण्डरी स्कूल सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत, 36 नवीन कन्या महाविद्यालय एवं आगामी वर्ष में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुलेंगे।

शिक्षा एवं खेल

- राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में राज्य में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा है। इससे राजकीय स्कूलों को निरंतर upgrade करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी **3 हजार 820 सैकेण्डरी विद्यालय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत** किये जाएंगे।
- वैश्विक परिदृश्य में प्रदेश के विद्यार्थी देश और International स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बन सकें, इसके लिए 5 हजार से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में एक हजार 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय स्वीकृत, प्रारम्भ किये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल और शुरू किये जायेंगे।
- अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों के अंतर्गत English Medium शिक्षकों का पृथक से काडर (cadre within cadre) बनाया जाएगा। इन विद्यालयों में, प्रथम चरण में लगभग **10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती होंगे।**

प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु...

I. प्राथमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायतों पर प्राथमिकता से प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

II. रेगिस्तानी जिलों-जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर में दूरदराज बसी ढाणियों जैसे क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए नियमों एवं मानकों में शिथिलन देते हुए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

III. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित

मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. बालिकाओं को घर के समीप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने एवं विद्यालयों में ड्राप आउट कम करने की दृष्टि से राज्य में संचालित माध्यमिक स्तर के 389, उच्च प्राथमिक स्तर के 1 हजार 846 व प्राथमिक स्तर के 115 बालिका विद्यालयों (Girls Schools) को वरीयता के क्रम में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्षों के निर्माण सहित आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा।

- राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 3 हजार 800 से अधिक class rooms, laboratories, पुस्तकालय, आर्ट एवं क्राफ्ट, कम्प्यूटर रूम आदि का निर्माण, 20 नवीन भवन निर्माण एवं 100 विद्यालयों में वृहद् मरम्मत इत्यादि के कार्य होंगे। व्यय लगभग 200 करोड़ रुपये आएगा।
- प्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।

क्र. सं.	जिला	कन्या महाविद्यालय
1	अजमेर	ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद
2	अलवर	बड़ौद (बहरोड़), किशनगढ़ बास, राजगढ़
3	बांसवाड़ा	कुशलगढ़
4	बारां	अटरू
5	बाड़मेर	बायतू
6	बीकानेर	कोलायत
7	भीलवाड़ा	गुलाबपुरा
8	दौसा	मंडावरी (लालसोट), सैंथल, लवाण, महवा
9	भरतपुर	पीपला, उच्चैन (नदबई)
10	चूरू	सांडवा (बीदासर)
11	जयपुर	चाकसू, गोविंदगढ़ (चौमूं), बांसखोह (बस्सी), सांगानेर, विद्याधरनगर
12	झुंझुनूं	खेतड़ी, गुढ़ा (उदयपुरवाटी), मुकुन्दगढ़
13	जोधपुर	सेखाला (शेरगढ़), भोपालगढ़
14	कोटा	रामपुरा
15	नागौर	कुचामन सिटी
16	पाली	जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)
17	राजसमंद	भीम
18	सवाई माधोपुर	वजीरपुर, गंगापुर सिटी
19	टोंक	दत्तवास (निवाई), अलीगढ़ (उनियारा)

जयपुर के JLN मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर '**Education Hub**' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा, जिसमें से Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences (MGIGSS) पर 225 करोड़ रुपये, राजा रामदेव पोद्दार Residential School of Excellence पर 100 करोड़ रुपये, तथा राधाकृष्ण लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

- राजकीय महाविद्यालय तारानगर-चूरू व सरवाड़-अजमेर को पीजी महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25 कन्या महाविद्यालयों में नये विषय, संकाय खोले जाएंगे।
- देश के प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में वर्ष 2013 में स्थापित मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 15 करोड़ रुपये की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु **Centre of Excellence and Research** की स्थापना की जायेगी।
- खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से **Engineering College** स्थापित किया जाएगा। आगोलाई (शेरगढ़)-जोधपुर, अरांई (किशनगढ़)-अजमेर व उच्चैन (नदबई)-भरतपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोले जायेंगे।
- **मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना** के अंतर्गत इस वर्ष 7 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। आगामी वर्ष में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत **15 हजार विद्यार्थियों को** लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपये की लागत से **सावित्री बाई फूले वाचनालय** स्थापित किये जाएंगे। इन वाचनालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु Self Study करने वाले युवाओं को आवश्यक पत्र-पत्रिकायें, पुस्तकें, Computer, Internet इत्यादि की सुविधायें भी उपलब्ध होंगी। सुमेर पब्लिक लाईब्रेरी, जोधपुर का लगभग 42 करोड़ रुपये की लागत से पुन: निर्माण कर आधुनिकीकरण किया जायेगा।
- भरतपुर स्थित श्री हिन्दी साहित्य समिति पुस्तकालय को सरकारी संरक्षण में लेकर आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु गत 3 वर्षों में 123 महाविद्यालय खोले गए हैं। वर्तमान में कृषि, पशु चिकित्सा, नर्सिंग, मेडिकल एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में निजी शिक्षण संस्थाओं, (Private Colleger) के लम्बित प्रार्थना पत्रों का समुचित निस्तारण किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित कर Norms पूरा करने वाली संस्थाओं के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 2 माह में होगा एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए online प्रक्रिया निर्धारित होगी।
- पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों व अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपये की राशि से **आवासीय पैरा खेल अकादमी** स्थापित होगी। ओलम्पिक पदक विजेताओं को नि:शुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किये जाने वाला प्रावधान पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए भी लागू होगा।

राज्य में खेल सुविधायें विकसित करने हेतु

I. भरतपुर में कुश्ती, कबड्डी जैसे पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्टेडियम का विकास होगा। नावां-नागौर एवं रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ स्टेडियम के विकास कार्य करवाये जायेंगे। इस पर 12 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. टोंक में Multipurpose Indoor स्टेडियम बनाया जायेगा।

III. गिर्वा-उदयपुर, केरू (लूणी)-जोधपुर, हिण्डौन-करौली, धोद-सीकर, परबतसर-नागौर, परसरामपुरा (नवलगढ़) -झुंझुनूं, बानसूर-अलवर, रूपवास (बयाना), उच्चैन (नदबई)-भरतपुर, तारानगर-चूरू तथा बगरू-जयपुर में खेल स्टेडियम बनाये जायेंगे।

IV. जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जायेगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत **Rajasthan State Sports Institute** की स्थापना होगी। इस पर 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

V. जयपुर के SMS स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Centre बनाया जायेगा।

VI. SMS स्टेडियम-जयपुर व महाराणा प्रताप खेलगांव -उदयपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

VII. राजगढ़ (सादुलपुर)-चूरू में कबड्डी अकादमी तथा श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण किया जायेगा।

VIII. चौरासी-डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

- राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए 'On Duty' भेजा जाएगा। अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को पदक जीतने पर Pay Protect करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दी जाएगी।

युवा एवं रोजगार

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में प्रदेश की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान स्वामी विवेकानन्द के कथन, "युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है।" और संघर्षशील रहकर निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कथन, "Opportunities are not offered; they must be wrested, and worked for. And this calls for perserverance...and courage."'अर्थात् "अवसर प्रदान नहीं होते हैं; उन्हें हासिल करना पड़ता है और उसके लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता ... और साहस की।" की ओर दिलाया।
- अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग लेकर अपना भविष्य संवार सकें, इसके लिए उनके ठहरने की सुविधा हेतु दिल्ली स्थित 'उदयपुर हाउस' में 300 करोड़ रुपये की लागत से 500 युवक-युवतियों के लिए 250 कमरों का **Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre** बनाने की घोषणा की गई है।
- Service Sector, MSMEs एवं Start ups को सस्ती दरों पर Plug & Play Facility उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200-200 करोड़ रुपये से '**Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs**' बनाया जाएगा। इन 'Hubs' में महिलाओं के लिए पृथक् स्थान चिन्हित कर '**W-Hub**' बनाया जाएगा।
- ऐसी महिलायें जो 'Work form Home' कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए **मुख्यमंत्री Work from Home - Job Work योजना** प्रारंभ होगी। आगामी वर्ष 20 हजार महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- प्रदेश में भारत स्काउट एवं गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट-पाली में होगा। इसमें देश-विदेश के लगभग 25 हजार स्काउट, गाइड भाग लेंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय आएगा।
- वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से विज्ञान केन्द्र स्थापित होंगे।
- भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से कराने के लिए REET सहित विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय (पात्रता एवं चयन) नियुक्ति प्रणाली अपनायी जाएगी। हाल ही में रद्द हुई REET परीक्षा अब जुलाई, 2022 में होगी। नये सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा पूर्व में REET परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गयी समस्त सुविधायें भी पुन: उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही, युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगामी REET परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार की गई है।
- भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए SOG में **Anti Cheating Cell** का गठन किया जायेगा।
- विगत तीन वर्ष में अभी तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गयी है तथा लगभग 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग **एक लाख अतिरिक्त** पदों पर और भर्तियां की जाएंगी।

औद्योगिक विकास

- प्रदेश Industry Friendly होने से देश-दुनिया के निवेशकों की अग्रणी पसंद बना हुआ है। '**Invest Rajasthan-2022**' कार्यक्रम में निवेशकों द्वारा उत्साह दिखाया जा रहा है। देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुन: अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ने के लिए 'Rajasthan Foundation' के माध्यम से भी प्रेरित किया गया है।
- राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Area) से वंचित 147 उपखण्डों में से वर्ष 2021-22 में प्रथम चरण में 64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी, इनको विकसित करने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हो चुका है। आगामी वर्ष में 32 **औद्योगिक क्षेत्रों** की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
1	अजमेर	बड़ली (भिनाय)
2	अलवर	कैरवा (कोटकासिम)
3	बाड़मेर	रामसर, कागो की ढाणी (सिणधरी), सदराम की बेरी (सेडवा)
4	बीकानेर	बज्जू तेजपुरा, पूगल, सत्तासर (छतरगढ़)
5	भीलवाड़ा	खेमाणा (रायपुर), खांखला (गंगापुर), फतेहपुरा समेलिया (शाहपुरा), कीडीमाल (करेड़ा), फूलियाकलां
6	चित्तौड़गढ़	उपरेड़ा (राशमी), भूरकियाकलां (बड़ी सादड़ी), करसाना (डूँगला), आकोला (भूपालसागर)
7	जालोर	खेडाधनारी (आहोर), पांथेड़ी (सायला)
8	जैसलमेर	भणियाना
9	झालावाड़	बाल्दा (पिड़ावा), लाडपुरा बलराम (मनोहरथाना)
10	जोधपुर	खुड़ियाला (बालेसर)
11	कोटा	पीसाहेड़ा (कनवास)
12	नागौर	हरसौर (डेगाना), गोल (रियाबड़ी)
13	पाली	नाडोल चक-2 (देसूरी)
14	राजसमंद	राछेटी एवं साकरडा (आमेट)
15	सीकर	दयालका नांगल (नीमकाथाना)
16	टोंक	भूरटिया (निवाई)
17	उदयपुर	वल्लभनगर, नांदेशमा (गोगुन्दा)

पचपदरा-बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनेगा पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR), राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कर 2000 सुरक्षाकर्मियों की होगी भर्ती।

- Technology आधारित Industries लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में 250-250 करोड़ रुपये की लागत से **Multi Storied Industrial Complex** विकसित होंगे।
- इन परिसरों में IT, ITeS, Readymade Garments, Jewellery एवं सर्विस सेक्टर इकाइयों को Plug & Play Facility के साथ स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही, जोधपुर में एक अतिरिक्त Inland Dry Port की स्थापना होगी।
- आगामी वर्ष में RIICO के माध्यम से भिवाड़ी शहर, Greater Bhiwadi, Marwar Industrial Area जोधपुर-पाली, सीतापुरा-जयपुर, बोरानाडा-जोधपुर एवं पाली सहित 20 औद्योगिक क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही, भिवाड़ी शहर व औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज संबंधी समस्या के निवारण हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से एक वृहद् प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।
- पचपदरा-बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में **पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR)** की स्थापना होगी। इसकी आधारभूत संरचना के चरणबद्ध विकास हेतु रीको के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को RIPS के अंतर्गत लाभान्वित भी किया जायेगा।
- प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में Central Industrial Security Force (CISF) की तर्ज पर **राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF)** का गठन किया जायेगा। आगामी वर्ष इसके अंतर्गत 2 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समाज के पिछड़े, जरूरतमंद तथा असहाय वर्गों को सम्बल प्रदान करने के अपने लक्ष्य को रेखांकित करते हुए समाजसेवी बाबा आमटे के अग्रांकित कथन का उद्धरण दिया- ''मैं एक महान नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा मिलने पर भी सन्तुष्ट हो और लोगों के टूटने पर उनकी सहायता भी करे। जो मनुष्य ऐसा करता है वह निश्चित ही किसी पवित्र व्यक्ति से भी बड़ा है। यही मेरे जीवन का आदर्श है।''

  वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने व 100-100 करोड़ रुपये के विकास कोष बनाने की घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 में **Rajasthan State SC and ST Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Bill'** पेश किया गया। **अब SC व ST विकास कोष की राशि 100-100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 500-500 करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रत्येक कोष के अंतर्गत...**

  I. 200 करोड़ रुपये रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए,

  II. 150 करोड़ रुपये शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए, तथा

  III. 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराये जाने वाले कार्यों के लिए रखे गए हैं।

- साथ ही, सामान्य श्रेणी के Economically Weaker Section (EWS) परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये का **EWS कोष** बनाने की घोषणा की गई है। जिसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्य हाथ में लिए जायेंगे।
- शहरी क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में जरूरतमंदों, मजदूरों व विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आये व्यक्तियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'इंदिरा रसोई योजना' प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। अब **इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाते हुए 1 हजार की जाएगी**। इस पर 250 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा।
- कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2 हजार स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए '**मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना**' के अंतर्गत 5 हजार किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही, '**काली बाई भील**' एवं '**देवनारायण**' योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा की गई है। इन पर लगभग 170 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा।
- दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली-जयपुर में **बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय** स्थापित किया जाएगा। साथ ही, **नेत्रहीन विकास संस्थान**, जोधपुर को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। इन दोनों संस्थानों की स्थापना पर 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों के लिए NGOs द्वारा संचालित स्कूलों, आवासीय विद्यालयों को वेतन-भत्तों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।
- गत बजट में घोषित **बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति** अब बनकर तैयार है। आगामी वर्ष इस नीति के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे कराकर उनके जनाधार कार्ड बनवाये जायेंगे। साथ ही, उनके रोजगार, सामाजिक

सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कार्य कराये जायेंगे।

- राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर **मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना** लागू होगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार पुनर्वास गृह निर्मित कर चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। आगामी वर्ष 75-75 क्षमता के 45 गृहों को स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस हेतु 90 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- प्रदेश में मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान व इन्हें संबल प्रदान करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
- निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए Construction Workers Cess Fund के अंतर्गत वर्ष 2017 के उपरान्त लम्बित प्रकरणों के क्रम में इन श्रमिकों को राहत देने की दृष्टि से जिला स्तर पर जिला कलक्टर, अधिकारियों के साथ ही NGOs/Civil Society के सहयोग से 3 माह की समय सीमा में समस्त पात्र प्रकरणों का भुगतान सुनिश्चित होगा।
- वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बारां जिलों के लिए '**इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना**' प्रारंभ की गयी थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे लगभग 3 लाख 50 हजार गर्भवती महिलायें प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। इस पर 210 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- पालनहार योजना में 0-6 आयु वर्ग के **अनाथ बच्चों** को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार 500 रुपये व 6-18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों हेतु एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार 500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 14 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।
- पश्चिमी राजस्थान के गैर-अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (Non-TSP) के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर में 30 करोड़ रुपये की लागत से 400 छात्र-छात्राओं हेतु जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित होगा। साथ ही, बेड़ा (बाली)-पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर व जैसलमेर में जनजाति छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ होगा।
- आगामी वर्ष में उच्चैन-भरतपुर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, प्रतापगढ़, परबतसर-नागौर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बेगूं-चित्तौड़गढ़ में देवनारायण बालिका छात्रावास तथा खुरीकलां-दौसा में देवनारायण बालक छात्रावास खोले जाएंगे। साथ ही, राडावास-जयपुर एवं हींसला (थानागाजी)-अलवर में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास** खोले जायेंगे। आगामी वर्ष में इसके अंतर्गत जैसलमेर, चौरडी-दौसा, नागोला (भिनाय)-अजमेर, टोंक, बालोतरा-बाड़मेर व चितलवाना (सांचौर)-जालोर में छात्रावास खोले जायेंगे।

अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु आधारभूत संरचना, शैक्षणिक विकास तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये इस प्रकार हैं...

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' का दायरा बढ़ाया। प्रदेशभर में 3 लाख 50 हजार गर्भवती महिलायें प्रतिवर्ष होंगी लाभान्वित।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास।

I. चूरू, सवाई माधोपुर, नागौर, फतेहपुर-सीकर एवं ब्लॉक तिजारा-अलवर, घड़साना-श्रीगंगानगर व सम-जैसलमेर में लगभग 180 करोड़ रुपये की लागत से 7 अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण होगा।

II. घड़साना-श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा व अजमेर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, लाडनूं-नागौर, गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर, पाली, पहाड़ी (कामां)-भरतपुर एवं अलवर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का 20 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा।

III. पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम मय इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जायेंगे।

IV. हज हाउस, जयपुर में द्वितीय तल का निर्माण व विस्तार कार्य करवाये जायेंगे।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूं प्राप्त करने से, कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित हैं। ऐसे परिवारों को (NFSA (National Food Security Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी, 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की घोषणा की गई है।

आधारभूत संरचना (Infrastructure)

सड़क एवं सुनियोजित विकास

पिछले बजट में प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख सड़क मार्गों के कुल 99 मेजर रिपेयर कार्य एक हजार 900 करोड़ रुपये की लागत से कराये जाने की घोषणा की गई थी, जिनका कार्य प्रगति पर है। **आगामी वर्ष में भी प्रत्येक जिले की 3 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के 3 हजार 133 करोड़ रुपये की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य करवाये जाएंगे। ये सड़कें हैं...**

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
1	अलवर	• मालाखेड़ा से हल्दीना-नैथला-जातपुर-मीणापुरा -MIA (अलवर ग्रामीण/रामगढ़) • अजरका-सोडावास-मुण्डावर-बीबीरानी सड़क (मुण्डावर / किशनगढ़बास) • मंडावरा स्टैण्ड से नारायणपुर-थानागाजी-घाटा बांदरोल सड़क (थानागाजी/बानसूर)	108 करोड़ रुपये
2	अजमेर	• केकड़ी-बोगला से टांकावास-घटियाली-कुशायता-पीपलाज जिला सीमा (केकड़ी) • अजमेर-श्रीनगर-अराई(पुष्कर/नसीराबाद/ किशनगढ़) • ब्यावर-रामगढ़-बिजयनगर-गुलाबपुरा सड़क (मसूदा)	74 करोड़ 50 लाख रुपये
3	बांसवाड़ा	• सागडुगरी से बोराखांडी अनास नदी पर पुल निर्माण (बागीदौरा) • कोईवाव वाया जहांपुरा मय पुलिया (बुन्दन नदी पर) निर्माण कार्य (बांसवाड़ा) • भोयन-कुशलगढ़ मय पुल निर्माण कार्य (कुशलगढ़)	105 करोड़ रुपये
4	बारां	• बराना-जलवाड़ा-नाहरगढ़ सड़क पर पार्वती नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण (किशनगंज) • सीसवाली-बारां सड़क (अन्ता) • बमूलिया से नियाना जक्शन रोड NH-27 (बारां-अटरू)	160 करोड़ 76 लाख रुपये
5	बाड़मेर	• भाडखा-कानोड़-पाटोदी-बोरानाडा-भाग भीमड़ा से बोरानाडा (पचपदरा) • भाडखा-कानोड़-पाटोदी-बोरानाडा-भाग भाडखा से भीमड़ा (बाड़मेर) • परेऊ से मेघावास वाया जसोड़ों की बेरी- नवात्तला-बड़नावा जागीर-माडपुरा-बागावास • सड़क (बायतु)	92 करोड़ 90 लाख रुपये
6	भरतपुर	• रामगढ़ फतेहपुर सीकरी सड़क (स्टेट बोर्डर तक) वाया गोविन्दपुरा-सीकरी-नदबई-वैर-बयाना-रूदावल (वैर/ बयाना) • वैर से खानुआ वाया झील का वाडा-कैलादेवी-मिलकपुर-उच्चैन-गहनौलीमोड (वैर) • झालाटाला (NH-21) से बयाना वाया मूडियासाद-भुसावर-सलेमपुरकलां-तालचिडी-कलसाडा-खरैरी-एत्मादपुर (वैर)	200 करोड़ रुपये
7	भीलवाड़ा	• गुरला-माण्डलगढ़ सड़क (माण्डलगढ़) • भीलवाड़ा-कोटडी-पण्डेर-सावर सड़क (जहाजपुर) • भीण्डर-रामगढ़ वाया फतेहनगर-गंगापुर-रायपुर -करेड़ा (आसीन्द)	93 करोड़ रुपये
8	बीकानेर	• रणजीतपुरा-ओसियां (कोलायत/नोखा) • बीकानेर झझू-आउ-दासूड़ी (बीकानेर पश्चिम/ कोलायत) • MDR-296 कोडमदेसर से सम्मेवाला (खाजूवाला/बीकानेर पश्चिम)	164 करोड़ 10 लाख रुपये
9	बूंदी	• NH-52 (अकलोर)-दबलाना-गुढ़ासदावर्तिया-देई (हिण्डोली) • तालेड़ा-केशवरायपाटन (बूंदी/केशवरायपाटन) • MDR-52 (आर.सी. खेड़ा)-बड़ौदिया-दाता-छक-52-हरिपुरा (हिण्डोली)	131 करोड़ रुपये
10	चित्तौड़गढ़	• रावतभाटा-गांधीसागर सड़क (बेगूं) • गिलुण्ड से भाटीयों का खेड़ा-नवाबपुरा -मोहम्मदपुरा-पेमदिया खेड़ा चरलिया नागथून म.प्र. सीमा (निम्बाहेड़ा) • राशमी-रूद-चन्देरिया सड़क (कपासन, बेंगू, चित्तौड़गढ़)	114 करोड़ 90 लाख रुपये
11	चूरू	• हरियासर-अमरसर-नोहर सड़क (सरदारशहर/तारानगर) • रतनगढ़-बाढा की ढाणी सड़क (रतनगढ़/ सरदारशहर) • राजगढ़-बहल सड़क जिला सीमा तक (राजगढ़)	68 करोड़ 50 लाख रुपये
12	दौसा	• दौसा-कुण्डल-बांदीकुई-मण्डावर-कठूमर सड़क (महवा, बांदीकुई) • दौसा (बिगास मोड) से भूसावर वाया अलूदा-पापडदा-खवारावजी-बैरावण्डा-नाहर खोहरा-टोडाभीम-सांथा (सिकराय) • दौसा शहर की शहरी मुख्य सड़कों का विकास (दौसा)	130 करोड़ रुपये
13	धौलपुर	• बरसला से कठूमरी से सिकरवारों का अड्डा वाया जैतपुर-बाहरीपुरा-चीलपुरा (राजाखेड़ा) • धौलपुर राजाखेड़ा सड़क से काटरपुरा उत्तरप्रदेश सीमा तक वाया सौमली का घेर-चौधरी का • बाग-डिरावली (राजाखेड़ा) जाटोली से कुथियाना (धौलपुर)	34 करोड़ 60 लाख रुपये
14	डूंगरपुर	• उदयपुर-बांसवाड़ा राज्यमार्ग पर माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य (लसाडा पुल) (आसपुर) • धरीयावाद-पीठ सड़क (सागवाड़ा, चौरासी) • सीमलवाडा बाईपास निर्माण (चौरासी)	92 करोड़ रुपये
15	हनुमानगढ़	• तलवाड़ा-हनुमानगढ़ सड़क (हनुमानगढ़/संगरिया) नोहर-फेफाना सड़क (नोहर) • फतेहपुर-चुरू-तारानगर-साहवा-नोहर-थालड़का- मुण्डा-हनुमानगढ़- • श्रीगंगानगर सड़क (नोहर, संगरिया,हनुमानगढ़)	64 करोड़ रुपये

16	जयपुर	• पडासोली-साखून-साली-गहलोता-बुहारू (दूदू) • देवन से तिगरिया-निवाणा वाया शाहपुरा-अमरसर-नायन-धानोता (शाहपुरा) • रामकुई तिराहे-महरिया का बास-आईदान का बास-खेड़ी-गोकुलपुरा-अगरपुरा-कालख-हरिपुरा-डेहरा-जोबनेर हाईवे तक (झोटवाड़ा)	90 करोड़ रुपये
17	जैसलमेर	• पोकरण से राजमथाई तक वाया थाट-गुड्डी-दुधिया-जलोड़ा- पोकरणा (पोकरण) • पोकरण से झिनझिनयाली सत्तो वाया सांकड़ा-भैसंडा-डागंरी-फतेहगढ़ (जैसलमेर) • जैसलमेर सम रोड से 112 आरडी एसबीएस वाया लुद्रवा-रूपसी-बरमसर-देवा-नेहड़ाई (जैसलमेर)	96 करोड़ 50 लाख रुपये
18	जालोर	• नरसाणा से डुगरी वाया झाब-सिवाडा-चितलवाना (सांचौर, भीनमाल) • भीनमाल-थोबाऊ-जैलातरा-भादरूणा-मालवाड़ा-मीठी बेरी (भीनमाल, सांचौर) • बरलूट-सियाना-आकोली-नून-बाकरा-रेवतडा (आहोर, जालोर)	138 करोड़ रुपये
19	झालावाड़	• अकलेरा-मनोहरथाना-महाराजपुरा (मनोहरथाना) • श्रीछत्रापुरा से खोद-घटोद-पचपहाड़-भवानीमंडी काल्वा स्थान दुधाखेड़ी माताजी अपटू • मध्यप्रदेश सीमा (डग) बाघेर-भीमसागर-सारोला सड़क पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य (खानपुर)	100 करोड़ रुपये
20	झुंझुनूं	• सुलताना-गोवला सड़क (झुंझुनूं) • मण्डावरा से मनसा-माता (उदयपुरवाटी) • पिलानी-सूरजगढ़-बुहाना-पचेरी हरियाणा सीमा तक (सूरजगढ़/पिलानी)	78 करोड़ रुपये
21	जोधपुर	• एम्स से सालावास मय जोजरी नदी पर पुल निर्माण (लूणी) • ओसियां-आऊ-दासौड़ी (ओसियां/लोहावट) • कड़वासरों की ढाणी से खिन्दाखौर वाया रजलानी-नाड़सर-भोपालगढ़-हिरादेसर-खेड़ापा (भोपालगढ़)	171 करोड़ 50 लाख रुपये
22	करौली	• सूरौठ से लालसर वाया-हिण्डौन-नंगलामीना-निसूरा -शेखपुरा (हिण्डौन सिटी) • मासलपुर से केशपुरा (करौली) • बरौनी-सवाई माधोपुर-हाड़ौती-सपोटरा-कुडगाँव (सपोटरा)	57 करोड़ रुपये
23	कोटा	• पलायथा से सूमर वाया सांगोद-जोलपा (सांगोद) • खैडारूद्धा से चेचट मय उच्च स्तरीय पुल (रामगंजमण्डी) • कोटा-ताथेड-सुल्तानपुर-इटावा-खतौली-श्योपुर • सड़क पर सुखनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल (पीपल्दा)	103 करोड़ रुपये
24	नागौर	• मौलासर एवं तोषीणा में बाईपास निर्माण कार्य (डीडवाना) • कुचामन-जूसरी-मकराना बाईपास-कालवा-गेढ़ाकलां मियांकलां-मिठड़िया-डेगाना (मकराना) • अलाय-मकोड़ी-पिलनवासी-छीला-बुकर्मसोता (नागौर)	43 करोड़ 84 लाख रुपये
25	पाली	• रूपावास-जैतपुर-गेलावास मजल-करमावास जिला सीमा तक (पाली/सुमेरपुर) • पाली-खैरवा-जैतपुरा चौराया-गुड़ा मोकमसिंह-चतरा -गुड़ा चौराया तक (पाली, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन) • फालना-खिमेल-रानी नाडोल (मारवाड़ जंक्शन/बाली)	101 करोड़ 20 लाख रुपये
26	प्रतापगढ़	• प्रतापगढ़-झासड़ी-अखेपुर-कुलथाना-बिलेसरी मध्यप्रदेश सीमा तक (प्रतापगढ़) • SH-81 से डाबडा-मगरोडा-पील्लू-कोलवी मंदीर -भुवासीया (प्रतापगढ़) • प्रतापगढ़-लुहारीया-नकोर-बारवरदा-धोलापानी-धावटा-छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़/बड़ी सादड़ी)	56 करोड़ 50 लाख रुपये
27	राजसमंद	• नाथद्वारा-पाखण्ड वाया कोठारिया (नाथद्वारा) • कडिया-घोडाघाटी (नाथद्वारा) • मादडी-आमेट-देवगढ़-ताल-लसानी (भीम)	49 करोड़ रुपये
28	सवाई माधोपुर	• भाडोती-खिरनी-बौंली-लाखनपुर-मित्रापुरा-बोरदा-दांतवास (बामनवास) • SH-25 से NH-11B वाया ल्हावाद-सोप-खिदरपुर-उदेई खुर्द-छाण-जीवली-रामपुरा-कुडगांव (गंगापुरसिटी) • चकबिलोली से जिला सीमा वाया रघुवंटी सड़क (सवाईमाधोपुर)	95 करोड़ रुपये
29	सीकर	• गोरियां-श्यामगढ़ सड़क से भैरूजी मोड़ वाया बगड़ियों की ढाणी-पुरोहित का बास (सीकर) • नीमकाथाना-थोई वाया भूदोली (नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर) • पलसाना से सुरेरा वाया गोवटी-अलोदा-धींगपुर-पचार- खाचरियावास-करड़ (दांतारामगढ़)	75 करोड़ 50 लाख रुपये
30	सिरोही	• सरूपगंज-कालन्द्री सड़क (सिरोही) • रेवदर-जसवंतपुरा सड़क (रेवदर) • सांचौर-रानीवाड़ा-मण्डार-आबूरोड पर झाबुआ नदी में एवं गामती नदी पर • उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (रेवदर)	35 करोड़ 21 लाख रुपये
31	श्रीगंगानगर	• बीकानेर-श्रीगंगानगर सड़क शहरी क्षेत्र (श्रीगंगानगर)	

		● हनुमानगढ़-पदमपुर सड़क (करणपुर) ● श्री गंगानगर-हिन्दुमलकोट सड़क (सादुलशहर)	38 करोड़ 25 लाख रुपये
32	टोंक	● वनस्थली से जोधपुरिया सड़क (निवाई) ● सोप-आमली-अलीगढ़-खोलिया-सुरेली रेल्वे स्टेशन सड़क (देवली-उनियारा) ● मेहन्दवास से अमीनपुरा छान-बाससूर्या सड़क बनास नदी पर वेन्टेड काजवे मय एप्रोच निर्माण (टोंक)	83 करोड़ रुपये
33	उदयपुर	● झल्लारा-धरियावद-प्रतापगढ़ सड़क (धरियावद) ● ऋषभदेव-सराडा-बलुआ-जगत-झामेश्वर उदयपुर(उदयपुर ग्रामीण) ● झाडोल-देवास-गोगुन्दा सड़क (झाडोल)	89 करोड़ रुपये

- गत बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। आगामी वर्ष इस राशि को बढ़ाते हुए **प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 10 करोड़ रुपये** उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ रुपये नॉन-पेचेबल, क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए तथा 3 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु **2 हजार करोड़ रुपये** का प्रावधान रहेगा।
- पिछले वर्ष की बजट घोषणा की भांति सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 40 किलोमीटर, नगर परिषद की 25 किलोमीटर व नगर पालिका की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य किए जाएंगे। इस पर लगभग **1 हजार 200 करोड़ रुपये** व्यय होंगे।
- प्रदेश के 4 हजार किलोमीटर के राजमार्ग (State Highway) जो 2 लेन नहीं हैं, उनमें से प्रथम चरण में एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन किया जायेगा। इस पर **1 हजार 200 करोड़ रुपये** का खर्च होंगे।
- केन्द्र सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया है। राज्य के शेष रहे संभाग मुख्यालयों-जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में एक हजार 500 करोड़ रुपये के प्रावधान से **राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना** लागू होगी।
- वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में Jaipur Metro के रूप में Public Transport के क्षेत्र में नये युग की आधारशिला रखी गयी थी। वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक Metro संचालित है। अब जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक (फेज 1-C) एवं मानसरोवर से 200 फीट बाइपास पर अजमेर रोड तक (फेज 1-D) जोड़ने की घोषणा की गई है। इस पर **1 हजार 185 करोड़ रुपये** व्यय होंगे। साथ ही, जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण-सीतापुरा से अंबाबाड़ी की नये स्वरूप में DPR तैयार की जाएगी।
- राजधानी जयपुर में बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण विकास की दूरगामी योजना की कार्ययोजना के अन्तर्गत Satellite Towns जैसे-चाकसू, बस्सी, चौमूं, बगरू, फागी एवं चंदवाजी के मास्टर प्लान के साथ-साथ इन्हें मेट्रो, लाइट रेल से जोड़ने की DPR बनाई जाएगी।
- यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिंधी कैम्प को Multimodal Integrated ISBT Hub के रूप में विकसित किया जाएगा। सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर **सेटेलाइट बस टर्मिनल** बनाये जायेंगे। इन पर लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। साथ ही, Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों के Stands के उन्नयन व repair संबंधी कार्य 125 करोड़ रुपये की राशि से कराए जाएंगे।

प्रदेश के शहरों में आमजन की सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव कम करने, सुनियोजित विकास एवं सौन्दर्यन हेतु लगभग 525 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जायेंगे, **जो इस प्रकार हैं...**

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1	उदयपुर में प्रतापनगर से बलीचा 4 लेन सड़क, तथा आयुर्वेद चौराहा से सुभाष सर्किल, सज्जनगढ़ तिराहा, रामपुरा होते हुए सिसारमा-झाडोल एलिवेटेड सड़क	150 करोड़ रुपये
2	अलवर में कम्पनी बाग में मन्नी का बड़ के पास बेसमेंट पार्किंग	40 करोड़ रुपये
3	सीकर में फतेहपुर रोड से जयपुर रोड को जोड़ने वाले बाईपास का चौड़ाईकरण	20 करोड़ रुपये
4	श्रीगंगानगर में स्कीम नम्बर 8 में सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट एवं उद्यान विकास संबंधी कार्य	10 करोड़ रुपये
5	आबू-सिरोही में तलेटी तिराहे से आमथला न्यास सीमा तक फोरलेन सड़क	8 करोड़ रुपये
6	राज्य राजमार्ग संख्या-20 पर गोठड़ा कलां-कोटा पर चम्बल नदी पर High Level Bridge का निर्माण	165 करोड़ रुपये
7	छोटी सरवन-बांसवाड़ा में बुन्दन नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	12 करोड़ 50 लाख रुपये
8	कोटा के उम्मेदगंज पक्षी विहार में विकास कार्य	7 करोड़ रुपये
9	बाड़मेर, बारां, हनुमानगढ़ एवं राजसमंद में टाउन हॉल का निर्माण	50 करोड़ रुपये
10	सागवाड़ा-डूंगरपुर में भीखा भाई भील टाउन हाल का निर्माण	20 करोड़ रुपये
11	जोधपुर में विभिन्न विकास व ड्रेनेज, सोजती गेट पर पार्किंग उन्नयन संबंधी कार्य व पावटा चौराहा पर सुगम यातायात के लिए डीपीआर	40 करोड़ रुपये
12	भरतपुर में NH-21 गोपाल नगला मोड से मथुरा बाईपास तक लगभग 13 किलोमीटर लम्बाई में बाईपास एवं कोटा में चम्बल रिवर फ्रंट फेज-द्वितीय हेतु DPR बनायी जायेगी	2 करोड़ रुपये

- नाथद्वारा-राजसमंद, पुष्कर-अजमेर, पिलानी-झुंझुनूं एवं माउंट आबू-सिरोही में 160 करोड़ रुपये की लागत से सौन्दर्यन एवं अन्य आधारभूत कार्य होंगे।
- जयपुर में ड्रेनेज प्लान को सुदृढ़ करने हेतु गोनेर रोड नाला, वन्दे मातरम् रोड, जयसिंहपुरा भांकरोटा रोड का नाला, जगतपुरा एवं बैनाड़ रोड पर 142 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराये जायेंगे। साथ ही, जयपुर के परकोटा क्षेत्र में गंदी गलियों की सफाई का कार्य किया जाएगा।
- नवलगढ़-झुंझुनूं, सागवाड़ा-डूंगरपुर, भवानी मण्डी-झालावाड़ एवं बूंदी में 300 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज एवं अन्य आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे।
- शहरी आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए, शहरों से लगती हुई ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी भूमि को नगरीय निकाय को आवंटित किए जाने के लिए नीति लाई जाएगी। इसी क्रम में कड़ाना क्षेत्र की 76 बीघा भूमि नगर पालिका सागवाड़ा-डूंगरपुर को **नि:शुल्क** उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है।
- डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि को 10-10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष 25-25 करोड़ रुपये की जाएगी। साथ ही, प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए **मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना** प्रारम्भ होगी। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।
- सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधायें विकसित करने की दृष्टि से **उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण** का गठन होगा।

पेयजल एवं जल संसाधन

- घर-घर जल पहुंचाने के महत्व को देखते हुए, कोरोना काल के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपना बराबर का हिस्सा उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यों को तीव्र गति से (Fast Trach कर) implement किया है। करीब 60 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं, जिनसे 35 हजार 776 गांव लाभान्वित होंगे। इस योजना में 86 लाख 21 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये जायंगे।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 35 परियोजनाओं की DPR बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 11 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

आगामी वर्ष में लगभग **13 हजार 921 करोड़ रुपये** की 24 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जायेगा, **जिससे प्रदेश के 5 हजार 833 गांवों के 12 लाख 24 हजार से ज्यादा घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं हैं...**

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1	परवन पेयजल परियोजना-हाड़ौती संभाग के बारां-अटरू,छबड़ा, किशनगंज, अंता-जिला बारां, सांगोद, पीपल्दा-जिला कोटा, खानपुर व मनोहरथाना-जिला झालावाड़	3 हजार 523 करोड़ रुपये
2	नवनेरा बैराज से कोटा-बूंदी एवं बारां की पेयजल परियोजना	1 हजार 661 करोड़ रुपये
3	पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना-बसेड़ी, सरमथुरा, जिला धौलपुर	87 करोड़ रुपये
4	चंबल-धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट-प्रथम व द्वितीय	3 हजार 106 करोड़ रुपये
5	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-'ब' (बाड़मेर-बायतु-सिणधरी), जिला बाड़मेर	155 करोड़ रुपये
6	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स-बावड़ीकला-खारा-जालौड़ा, जिला जोधपुर	238 करोड़ रुपये
7	राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल RD-42 घाटौर-कानासर-बाप(बाप, फलौदी, लोहावट), जिला जोधपुर	92 करोड़ रुपये
8	मलार-जोड़-हिंडाल गोल (बाप, फलौदी), जिला जोधपुर	21 करोड़ रुपये
9	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मंडली, जैतपुर, पुख्तारी (रोहट), जिला पाली	310 करोड़ रुपये
10	नर्मदा एफआर (जालोर, सांचोर, चितलवाना, बागौड़ा, आहोर, सायला), जिला जालोर	536 करोड़ रुपये
11	नर्मदा डीआर क्लस्टर (जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचोर, सरनऊ), जिला जालोर	261 करोड़ रुपये
12	कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट), जिला बीकानेर	82 करोड़ रुपये
13	आपणी योजना एवं सरदार शहर संवर्धन पेयजल परियोजना, जिला चूरू एवं हनुमानगढ़	847 करोड़ रुपये
14	गुलण्डी जल प्रदाय परियोजना, जिला झालावाड़	34 करोड़ रुपये
15	कालीखाड जल प्रदाय योजना, जिला झालावाड़	35 करोड़ रुपये
16	पीपलाद पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	9 करोड़ रुपये
17	चंबल बूंदी क्लस्टर पेयजल परियोजना, जिला बूंदी	29 करोड़ रुपये
18	सिंगोला पेयजल परियोजना, जिला बारां	34 करोड़ रुपये
19	बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना, जिला कोटा	88 करोड़ रुपये
20	छापी झालावाड़ झालरापाटन पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	151 करोड़ रुपये
21	जँवाई क्लस्टर प्रथम पेयजल परियोजना, जिला पाली	128 करोड़ रुपये
22	बूंगी-राजगढ़ पेयजल परियोजना, जिला चूरू	173 करोड़ रुपये
23	कोलायत जलप्रदाय परियोजना, जिला बीकानेर	75 करोड़ रुपये
24	चंबल नदी से बेगूं, निम्बाहेड़ा एवं चित्तौड़गढ़ पेयजल परियोजना, जिला चित्तौड़गढ़	2 हजार 245 करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही **10 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत** की 36 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। **इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5 हजार 500 गांवों के लगभग 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं हैं...**

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1	चाकन बांध से इंदरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी	27 करोड़ 26 लाख रुपये
2	जावर चांदीपुर पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	18 करोड़ 7 लाख रुपये
3	पोकरण फलसुंड बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना पैकेज-4बी, जिला बाड़मेर	245 करोड़ 76 लाख रुपये
4	350 MH और 1439 OH BLWSP चरण-द्वितीय भाग-सी, जिला बाड़मेर	497 करोड़ 41 लाख रुपये
5	नर्मदा आधारित शिव-रामसर पेयजल परियोजना, जिला बाड़मेर	283 करोड़ 34 लाख रुपये
6	तिवडी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	224 करोड़ 65 लाख रुपये
7	माणकलाव-खांगता पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	84 करोड़ 59 लाख रुपये
8	मोरिया आऊ चाम्पासर 87 MH, 352 OH IGNP पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	274 करोड़ 34 लाख रुपये
9	जाम्बा घंटियाली बुन्गरी 80 MH, IGNP पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	224 करोड़ 81 लाख रुपये
10	नर्मदा केनाल आधारित सिलू जैसला बड़की परियोजना, जिला जालोर	74 करोड़ 66 लाख रुपये
11	सुरवानिया बांध से बागीडोरा, बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉक पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	130 करोड़ 4 लाख रुपये
12	ब्यावर-जवाजा पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	175 करोड़ 82 लाख रुपये
13	राजाखेड़ा एवं धौलपुर पेयजल परियोजना, जिला धौलपुर	343 करोड़ 39 लाख रुपये
14	पोकरण फलसुंड पेयजल परियोजना पैकेज-3(अ), जिला जैसलमेर	211 करोड़ 85 लाख रुपये
15	माधवी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	14 करोड़ 24 लाख रुपये
16	रायपुर-पिड़ावा-चांवली पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	27 करोड़ 33 लाख रुपये
17	छापी विस्तार पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	121 करोड़ 99 लाख रुपये
18	गरड़दा पेयजल परियोजना, जिला बूंदी	238 करोड़ 25 लाख रुपये
19	रामगंजमंडी-पंचपहाड़ पेयजल परियोजना, जिला कोटा	169 करोड़ 51 लाख रुपये
20	माही बांध से बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की पेयजल परियोजना	430 करोड़ 85 लाख रुपये
21	सोमकमला अम्बा बांध से आसपुर पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर	104 करोड़ 49 लाख रुपये
22	इंदिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजर्वायर के निर्माण की परियोजना	1274 करोड़ 26 लाख रुपये
23	माही बांध से कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	211 करोड़ 60 लाख रुपये
24	देवनिया-नाथरू पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	330 करोड़ 92 लाख रुपये
25	भिनाय मसूदा वृहद पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	425 करोड़ रुपये
26	अराई-किशनगढ़ वृहद पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	419 करोड़ 72 लाख रुपये
27	नसीराबाद वृहद पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	163 करोड़ रुपये
28	चिखली, सीमलवाड़ा एवं झोंतरी की सतही स्रोत माही नदी पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर	885 करोड़ 56 लाख रुपये
29	आनन्दपुरी एवं गंगडतलाई की सतही स्रोत माही नदी पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	710 करोड़ 42 लाख रुपये
30	माही बांध पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	620 करोड़ 76 लाख रुपये
31	बेणेश्वर एनिकट से साबला एवं सागवाड़ा की पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर	427 करोड़ 69 लाख रुपये
32	डेगाना भैरूण्डा रिया एवं जायल की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, CDS-04), जिला नागौर	108 करोड़ 31 लाख रुपये
33	डेगाना भैरूण्डा रिया एवं जायल की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, CDS-03), जिला नागौर	97 करोड़ 70 लाख रुपये
34	नागौर, खींवसर एवं मूण्डवा की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना, प्रथम चरण, पैकेज द्वितीय), जिला नागौर	418 करोड़ 37 लाख रुपये
35	बूंदी क्लस्टर जल प्रदाय परियोजना (चंबल भीलवाड़ा डब्ल्यूएसपी का विस्तार), जिला बूंदी	76 करोड़ 69 लाख रुपये
36	भीमनी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	21 करोड़ 66 लाख रुपये

- इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से प्रतापगढ़ अरनोद एवं पीपलखूंट क्षेत्र-प्रतापगढ़ के 554 गांवों को घर-घर जल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की DPR तैयार कर कार्य कराया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग एक हजार 620 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल कनेक्शन के कार्य द्वारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के एक हजार 899 गांवों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की DPR तैयार की जायेगी।
- पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बुजा तथा चक सांडमारिया बांधों का एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु एक हजार 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- माउण्ट आबू शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत सालगांव-सिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। साथ ही, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में पेयजल हेतु 106 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

ऊर्जा

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जीवन में ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता Ella Baker के कथन 'Give light and people will find the way' अर्थात् 'रोशनी दें और लोग रास्ता तलाश लेंगे।' का उद्धरण देते हैं।

  राज्य में इस कथन को चरितार्थ करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए बिजली की दर में अनुदान के माध्यम से कमी कर उनका जीवन रोशन करने का प्रयास किया गया है। साथ ही विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा ऊर्जा तंत्र का सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी किया गया है। **बिजली उत्पादन की लागत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दृष्टि से...**

  I. छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार कर अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीकी आधारित 660-660 मेगावाट की दो इकाइयों की 9 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्थापना की जायेगी।

  II. **कालीसिंध-झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना** का विस्तार करते हुए अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित की जायेगी।

  गुढ़ा-बीकानेर में 950 करोड़ रुपये की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जायेगी। राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में 'परिचालन हानि' (AT & C Loss) में कमी लाने के लिए **'पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना' (Revamped Distribution Sector Scheme-RDSS) के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं...**

  I. 3 हजार 565 करोड़ रुपये खर्च कर 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे।

  II. विद्युत वितरण के बुनियादी ढांचे को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

  ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु...

  I. धौलपुर व उदयपुर में 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। इन पर 650 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

  II. बाड़ी-धौलपुर एवं सीकरी-भरतपुर के 132 केवी जीएसएस को 220 केवी के जीएसएस में क्रमोन्नत किया जायेगा।

  III. छत्रौल-जैसलमेर, बयाना-भरतपुर, चौरडी-दौसा, दातिणा (खींवसर)-नागौर, अजनोटी-सवाई माधोपुर व मासलपुर, कटकड-करौली में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

  IV. परवेनी (राजगढ़)-अलवर, नगड़ानी फांटा गिड़ा (चौहटन), चांदेसरा (पचपदरा)-बाड़मेर, धाखड़ खेड़ी (मांडलगढ़)-भीलवाड़ा, खुरीकलां-दौसा, नवां (सादुलपुर)-चूरू, खेड़ली (राजाखेड़ा)-धौलपुर, कुलचासर (नोहर)-हनुमानगढ़, बिरासना (जमवारामगढ़)-जयपुर, डाबोली मीठी (डेगाना)-नागौर, निभेरा (बयाना)-भरतपुर, रामपुरिया (दीगोद)-कोटा, डाबर (नीमकाथाना)-सीकर एवं स्यावता (देवली)-टोंक में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण

- राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाये जाने हेतु आगामी वर्ष में 50 हजार हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
- विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)-जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपये की लागत से **Botanical Gardens** स्थापित किये जायेंगे।
- अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साईट सांभर झील के Integrated Management, Development and Conservation की दृष्टि से '**Sambhar Lake Management Project**' आरंभ किया जायेगा। इसके लिए आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।
- आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए **Captive Animal Sponsorship Scheme** शुरू की जायेगी।
- राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर विकसित किये जायेंगे। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर तथा माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस पर 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- e-Waste के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए '**e-Waste Disposal Policy**' लाने के साथ-साथ, जयपुर में '**e-Waste Recycling Park**' स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश राज्य की ओर से किया जायेगा।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपये की राशि से बनाए गए **पर्यटन विकास कोष** की राशि को बढ़ाते हुए एक हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 400 करोड़ रुपये प्रदेश की Tourism Destination के रूप में Branding करने, जिसमें Media Plan, Events, Concerts

आदि शामिल होंगे तथा 600 करोड़ रुपये पर्यटन स्थलों, सर्किट से संबंधी आधारभूत संरचना के कार्यों पर खर्च होंगे।

प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु

I. प्रत्येक जिले के 2-2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा संबंधी 100 करोड़ रुपये के कार्य आगामी वर्ष किए जाएंगे।

II. जयपुर में 100 कमरों के State Guest House के रूप में विकसित करने की दृष्टि से खासा कोठी के पूर्ण पुनरूद्धार हेतु DPR बनवायी जाएगी जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।

III. प्रदेश में **इन्ट्रास्टेट हवाई सेवा** पुन: संचालित करते हुए, जहां भी demand एवं feasibility होगी, उन स्थानों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। इस पर 15 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय आयेगा।

IV. साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए **Adventure Tourism Promotion Scheme** लायी जायेगी।

V. पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 10 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत ऑनलाईन बुकिंग **Portal एवं Mobile App** विकसित किये जायेंगे।

VI. पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु 500 'पर्यटक मित्र' भर्ती किये जायेंगे।

- डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़धाम-देवसोमनाथ-बेणेश्वर-गलियाकोट-अर्थूना-त्रिपुर सुंदरी कडाना-माही बजाज सागर-कागदी पिकअप-घोटिया अम्बा-आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर **वागड़ टूरिस्ट सर्किट** विकसित किया जायेगा।
- सवाई माधोपुर में रणथम्भौर रोड पर राजीव गांधी सेन्ट्रल पार्क का 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथम्भौर-सवाई माधोपुर तथा रामेश्वर महादेव मंदिर, आकोदा (हिण्डोली)-बूंदी मंदिर के लिए रोप-वे की DPR तैयार करवायी जायेगी। इन पर 5 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में 10 करोड़ रुपये की लागत से वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जायेगी।
- लोक कलाकारों को दिये जाने वाले मानदेय व अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

कानून व्यवस्था

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने की दृष्टि से...

I. आगामी वर्ष में 108 Ambulance की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर, Dial 100/ Dial 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल Units का गठन होगा।

II. अभय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया जायेगा। साथ ही, बड़े निजी संस्थानों एवं व्यवसायिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाकर अभय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्य योजना बनेगी।

III. साइबर अपराधों की रोकथाम, Digital Ecosystem की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की लागत से **Centre for Cyber Security** की स्थापना की जायेगी। साथ ही, प्रदेश के सभी जिलों में **Cyber Police Stations** स्थापित किए जाएंगे।

IV. आगामी वर्ष में पोकरण-जैसलमेर, हिण्डौन-करौली एवं कामां-भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

V. नत्थुसर घाटी-बीकानेर, कसारवाड़ी (सज्जनगढ़), गंगडतलाई-बांसवाड़ा, भादासार (सरदारशहर)-चूरू, भाण्डारेज (सिकराय)-दौसा, पीलवा (लोहावट), सेखाला (शेरगढ़), लालसागर (मण्डोर)-जोधपुर, गोठडा (हिण्डोली)-बूंदी, सुरपालिया (जायल), लूणवां (नावां)-नागौर, जाजोद (खण्डेला)-सीकर, भाणदा (खैरवाड़ा)-उदयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर (नाथद्वारा), कुम्भलगढ़ दुर्ग (केलवाड़ा)-राजसमंद व टुंकड़ा (जैतारण)-पाली में नवीन पुलिस चौकियां खोली जानी प्रस्तावित हैं। साथ ही, मालारामपुर (संगरिया)-हनुमानगढ़ में एंटी नारकोटिक्स चौकी बनायी जायेगी।

VI. सोने का गुर्जा (बाड़ी)-धौलपुर, झांपदा (लालसोट)-दौसा, बगड़ तिराया (रामगढ़), अकबरपुर-अलवर, राजतलाब-बांसवाड़ा, धनाऊ (चौहटन), रीको क्षेत्रा-बाड़मेर, रायथल-बूंदी, सरोदा-डूंगरपुर, फेफाना (नौहर)-हनुमानगढ़, बिन्दायका- जयपुर, चामू (शेरगढ़)-जोधपुर, रानपुर-कोटा, मित्रापुरा (बामनवास), कुण्डेरा-सवाई माधोपुर, जीणमाता-सीकर, बर (रायपुर)-पाली व पाटिया (खैरवाड़ा)-उदयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. बिशनगढ़ (सांचौर)-जालोर, पाली (छबड़ा)-बारां व कापरड़ा (बिलाड़ा)-जोधपुर में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे।

VIII. मसूदा-अजमेर, कठूमर-अलवर, उच्चैन (नदबई)-भरतपुर, लाडनूं-नागौर, बीदासर (सुजानगढ़)-चूरू, दांतारामगढ़-सीकर व जोबनेर-जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

IX. भिवाड़ी पुलिस लाइन सहित विभिन्न स्वीकृत पुलिस इकाइयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

- कारागार में रह रहे बंदियों को भी उचित वातावरण एवं सुविधायें मिल सके, इस दृष्टि से प्रदेश की जेलों के आवश्यक रिपेयर कार्य कराने के साथ ही सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, खुला बंदी शिविरों (Open Jails) में 240 आवासों का निर्माण करवाया जायेगा। इन कार्यों पर 75 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।

आमजन को सुगम व त्वरित न्याय की सुलभता के लिए आगामी वर्ष में...

I. भिवाड़ी-अलवर, नोखा-बीकानेर, सांगोद-कोटा एवं तारानगर-चूरू में **अपर जिला एवं सैशन न्यायालय** खोले जायेंगे।

II. चित्तौड़गढ़, मेड़ता एवं सीकर में **विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट)** खोले जायेंगे।

III. रेलमगरा-राजसमंद एवं किशनगढ़ बास-अलवर में **वरिष्ठ**

सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

IV. ब्यावर-अजमेर, राजगढ़, तिजारा-अलवर, दौसा, नागौर एवं पावटा-जयपुर **अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

V. सूरजगढ़-झुंझुनूं व सेडवा (चौहटन)-बाड़मेर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

VI. लाडनूं, कुचामन सिटी- नागौर, श्रीविजयनगर- श्रीगंगानगर, टिब्बी-हनुमानगढ़ एवं बौंली-सवाई माधोपुर के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर व उदयपुर में **पारिवारिक न्यायालय** खोले जायेंगे।

- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में 'Bar Council of Rajasthan' के लिए 8 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण करवाया जायेगा।

सुशासन

- वर्ष 2002 में जयपुर में लोकमित्र की स्थापना के साथ लोगों को बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाये सुगमता से सेवायें उपलब्ध कराने के नये युग का प्रारंभ हुआ था। यही लोकमित्र, आज ई-मित्र के रूप में 80 हजार से अधिक कियोस्कों तथा लगभग 15 हजार ई-मित्र प्लस के रूप में 400 से अधिक तरह की सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से '**मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना**' प्रारम्भ की गई है। इसके तहत लगभग एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की internet connectivity के साथ smart phone दिये जाने की घोषणा की गई है। इस पर 2 हजार 500 करोड़ रुपये वार्षिक का व्यय किया जायेगा। इससे सभी तरह की सेवायें प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सुविधा भी मिल सकेगी।
- वर्ष 2009-10 में प्रदेश का प्रथम एकीकृत राजकीय Call Centre स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह 400 Seater Call Centre, 181 CM Helpline के रूप में कार्यरत है। इस Toll Free Helpline ने आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी समस्याओं के निराकरण में अहम भूमिका निभायी है। इसे देखते हुए **181 CM Helpline** को और अधिक सुदृढ़ करते हुए इसे 400 से बढ़ाकर एक हजार Seater Call Centre करने की घोषणा की गयी है। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- विभिन्न विभागों द्वारा पात्रतानुसार लाभार्थियों को Non-cash Benefits यथा Scooty, Laptop, Cycle, कृषि उपकरण, विशेष योग्यजन के उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता लाने के साथ-साथ, लाभार्थियों को विकल्प प्रदान कर empower किया जायेगा। इसके लिए आगामी वर्ष से '**e-RUPI**' एवं '**जन आधार e-Wallet**' के माध्यम से इन लाभार्थियों को स्वयं अपनी पसंद से सामग्री क्रय करवायी जाएगी।

'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' के तहत एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की internet connectivity के साथ मिलेगा स्मार्ट फोन।

- ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक-Blok Chain के उपयोग से विभिन्न परियोजनाओं जैसे-Integrated Financial Management System (IFMS)3.0, इलेक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकार्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपॉजिटरी आदि में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपये की राशि से **Block Chain Centre of Excellence** की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेशवासियों को जवाबदेही (Accountability) एवं पारदर्शिता (Transparency) के साथ समय पर सेवायें उपलब्ध करवाने उद्देश्य से दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए 'Digital Verification' आधारित Auto Approval तथा Deemed Approval प्रणाली विकसित की गई है। पात्र लाभार्थियों की किसी अन्य पर निर्भरता समाप्त करने की दृष्टि से इस Auto प्रणाली को बाध्यकारी करने के लिए '**Rajasthan Guaranteed Service Delivery and Accountability Act**' लाया जाएगा। इस अधिनियम को, पूर्व में लाये गये 'Right to Hearing Act' एवं 'Guaranteed Delivery of Public Services Act' को समाहित करते हुए सुदृढ़ किया जायेगा।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु

I. भिवाड़ी-अलवर, सीकर, सिरोही, लक्ष्मणगढ़-सीकर, भिवाड़ी, हिण्डोली-बूंदी, श्रीगंगानगर, केकड़ी-अजमेर व बांसवाड़ा में मिनी सचिवालय की स्थापना हेतु DPR बनाई जाएगी।

II. जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) के भवन तथा दौलतपुरा (जमवारामगढ़)-जयपुर में नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाएगा।

III. विभिन्न आयोगों एवं वैधानिक निकायों हेतु इंदिरा गांधी नहर मण्डल के परिसर में नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

IV. समेरी-उदयपुर, सावर (केकड़ी)-अजमेर, बसवा-दौसा व मण्डावा-झुंझुनूं में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाएंगे।

V. राजगढ़-अलवर में राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प कोर्ट) न्यायालय खोला जायेगा।

VI. खैरथल, हरसौली (किशनगढ़बास)-अलवर, भानीपुरा (सरदारशहर)-चूरू,बांदीकुई-दौसा, पल्लू (नोहर)-हनुमानगढ़, कुडी भगतासनी, घंटियाली (फलौदी)-जोधपुर, फलसूंड (पोकरण), रामगढ़-जैसलमेर, भाद्राजून (सांचौर)-जालोर, बिसाऊ (मण्डावा)-झुंझुनूं, कालवाड़-जयपुर, मौलासर (डीडवाना)-नागौर, रींगस (खंडेला)-सीकर, उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. साहडोली (रामगढ़)-अलवर, बडौरा (अटरू)-बारां, रणजीतपुरा (कोलायत), सूडसर (डूंगरगढ़)-बीकानेर, विशाला-बाड़मेर, गोपालगढ़ (कामां), खरैरी (बयाना), जालूकी (नगर)-भरतपुर, आभानेरी (बांदीकुई)-दौसा, जारगा (बसेड़ी), मरैना (राजाखेड़ा)-धौलपुर, निमेड़ा (फागी)-जयपुर, चामू, आसोप (भोपालगढ़)-जोधपुर, नाचना (पोकरण), मोहनगढ़-जैसलमेर, गुड़ा (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं, बपावर (सांगोद)-कोटा, बडू (परबतसर)-नागौर, जैतपुर (रोहट), तखतगढ़ (सुमेरपुर)-पाली, मुंगाणा (धरियावाद)-प्रतापगढ़, टोडरा (खण्डार)-सवाई माधोपुर, बार (भीम)-राजसमंद, राणौली (पीपलू)-टोंक तथा बावलवाड़ा (खैरवाड़ा)-उदयपुर में उप तहसील खोली जायेंगी।

VIII. आगामी वर्ष में तहसील कार्यालयों को पुराने हो चुके वाहनों के स्थान पर 100 नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

- प्रदेश में बहादुरपुर (किशनगढ़बास), नीमराणा, टपुकड़ा-अलवर, खाजूवाला-बीकानेर, सिवाना-बाड़मेर, मंडावर (महवा)-दौसा, नरैना (नरायणा)-जयपुर, उदयपुरवाटी-झुंझुनूं; जायल, बासनी-नागौर, मारवाड़ जंक्शन-पाली, टिब्बी-हनुमानगढ़, दांतारामगढ़-सीकर व बौंली-सवाई माधोपुर को नगर पालिका बनाया जायेगा। साथ ही, नगर पालिका कोटपूतली-जयपुर व कुचामन सिटी-नागौर को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा देने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए जयपुर में **सैनिक कल्याण भवन** का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।
- कर्मचारी-अधिकारी वर्ग की समस्याओं को दूर कर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के आधार पर आमजन के लिए सुशासन स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं।
- सातवें वेतनमान को लागू करने के लिए निकाले गये 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश में परिवर्तन कर वर्ष 2013 में ACP के रूप में देय Next Grade Pay दिये जाने के प्रावधान को बहाल किए जाने की घोषणा की गई है। इससे आगामी वर्ष से सरकार पर एक हजार करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त भार आयेगा।
- जिन निगम, बोर्ड, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालय के कार्मिकों को वर्तमान में सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसी संस्थाओं में भी आगामी वर्ष से सातवां वेतनमान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका लाभ रोडवेज, RTDC सहित सभी ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को मिल सकेगा।
- वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत Contributory Pension का ही प्रावधान किया गया है। इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरान्त वृद्धावस्था में जीवनयापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है।
- इस स्थिति को चिंताजनक मानते हुए राज्य सरकार का मानना है कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। **मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा की गई है।**
- Home Guards की सेवायें राजकीय कार्यालयों में logistical कार्यों हेतु ली जाएंगी। इससे विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा व कार्य प्रणाली सुदृढ़ होगी एवं लगभग 10 हजार होम गार्ड्स को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। (मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर आगामी वर्ष में 2000 अतिरिक्त होम गार्ड जवानों को कानून, यातायात व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए तैनात किए जाने की घोषणा की गयी)।
- विभिन्न सेवा, काडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन एवं Promotional Posts में वृद्धि की कार्यवाही की जाएगी। इससे विभिन्न सेवाओं यथा राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा, RAC, पुलिस वायरलेस सेवा आदि की समस्या का निराकरण होगा।
- संविदा कार्मिकों के हितों के लिए हाल ही में 11 जनवरी, 2022 को **Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022** लागू किये गये हैं। पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाये जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, तथा REXCO कर्मी आदि जिनके **मानदेय** में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, उनके मानदेय में भी 1 अप्रेल, 2022 से **20 प्रतिशत वृद्धि** किये जाने की घोषणा की गई है।
- **नगरीय निकायों व पंचायतराज संस्थाओं** के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय, भत्तों में आगामी वर्ष से **20 प्रतिशत की वृद्धि** होगी।
- सुशासन स्थापित करने में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ Media/Press की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी प्रारम्भ से ही कोविड सहायता का लाभ दिये जाने की घोषणा की गई है। अभी तक कोरोना Duty कर रहे केवल अधिस्वीकृत पत्रकारों का निधन होने पर उनके लिए 50 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान था।
- अधिकाधिक पत्रकारों को, उनके लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के नियमों का सरलीकरण कर और व्यापक coverage किया जाएगा।
- आधारभूत संरचना सम्बन्धी विभिन्न कार्यों सहित प्रशासनिक व शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए प्रस्तावों का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की घोषणा बजट में की गई है।

प्रथम कृषि बजट

''समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान''

छाया चित्रः अमित सारस्वत

कृषि बजट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस बजट सत्र में प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया। इस मौके पर उन्होंने 'समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान' की सोच के साथ हरित क्रान्ति के अगुआ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के कथन का उद्धरण दिया ...

"If the agriculture goes wrong, nothing else will have chance to go right in the country." अर्थात् ''अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति संभव नहीं है।''

प्रस्तुत हैं राज्य के पहले कृषि बजट के सम्पादित अंश ...

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था में GSDP का लगभग 30 प्रतिशत कृषि तथा संबंधित गतिविधियों से आता है। कृषि पर लगभग 85 लाख परिवारों का जीवनयापन निर्भर है।
- राज्य सरकार हमेशा से ही किसान हितैषी रही है और उनकी आय एवं आजीविका के साधनों में बढोतरी उसका मुख्य ध्येय है।
- आगामी 5 वर्षों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
- पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत 2 हजार करोड़ रुपये की 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' की घोषणा की गई थी। इस योजना को वृहद् रूप देते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को बढाकर 5 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए Mission Mode पर कार्य किया जाएगा।

किया जाना प्रस्तावित है। ये 11 Mission हैं-

Mission-1 : राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

(Rajasthan Micro Irrigation Mission)

आगामी वर्ष लगभग 2 हजार 700 करोड़ रुपये की राशि से 'राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन' शुरू किया जाएगा। इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। **इस मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में ...**

I. Drip/Sprinkler से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को एक हजार 705 करोड़ रुपये एवं 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. फार्म पॉण्ड निर्माण के लिए 45 हजार कृषकों को 375 करोड़ रुपये, डिग्गियों के निर्माण के लिए 15 हजार किसानों को 450 करोड़ रुपये तथा 300 सामुदायिक जल स्रोतों के लिए 60 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

III. Micro Irrigation से संबंधित research एवं training की व्यवस्था के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Micro Irrigation** स्थापित किये जाएंगे।

Mission-2 : राजस्थान जैविक खेती मिशन

(Rajasthan Organic Farming Mission)

आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों के प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रूझान को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में अब, '**मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन**' शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में इससे लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। **मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत...**

I. कृषकों को जैविक (Organic) बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती हेतु 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जायेगी।

II. जैविक खेती का पूरा लाभ कृषकों को तभी मिल सकता है, जब उनके उत्पाद मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित हों। इस दृष्टि से **Organic Commodity Board** का गठन किया जाकर संभाग स्तरीय प्रमाणीकरण इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।

Mission-3: राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

(Rajasthan Seed Production and Distribution Mission)

बीज उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लघु एवं सीमांत कृषकों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से **'राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन' प्रारंभ किया जाएगा। इस मिशन के तहत...**

I. **बीज स्वावलम्बन योजना** के आकार को दोगुना कर आगामी 2 वर्षों में 50 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु 30 करोड़ रुपये का व्यय कर 9 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन करवाया जायेगा।

II. 12 लाख लघु, सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे।

इस पर 78 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ये बीज मिनीकिट हैं-

- 8 लाख कृषकों को संकर मक्का के,
- 2 लाख कृषकों को मूंग, मोठ, उड़द के तथा
- 2 लाख कृषकों को सरसों बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे।

III. 3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारा यथा-ज्वार, बाजरा, रिजका, बरसीम एवं जई के बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 9 करोड़ रुपये का व्यय होंगे।

Mission-4: राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

(Rajasthan Millets Promotion Mission)

प्रदेश में मिलेट्स यथा-बाजरा, ज्वार व छोटे अनाजों (Coarse Grains) आदि की खेती को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को **Millet Hub** के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन' शुरू की गई है। **इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा...**

I. 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को 25 करोड़ रुपये व्यय कर उन्नत किस्मों के बीज नि:शुल्क एवं 2 लाख किसानों को Micro Nutrients व Bio Pesticide Kit अनुदानित दर पर 20 करोड़ रुपये का व्यय कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. Millets की प्रथम 100 Processing Units की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

III. बाजरा व अन्य मिलेट्स के संवर्द्धन, प्रोत्साहन व नवीनतम

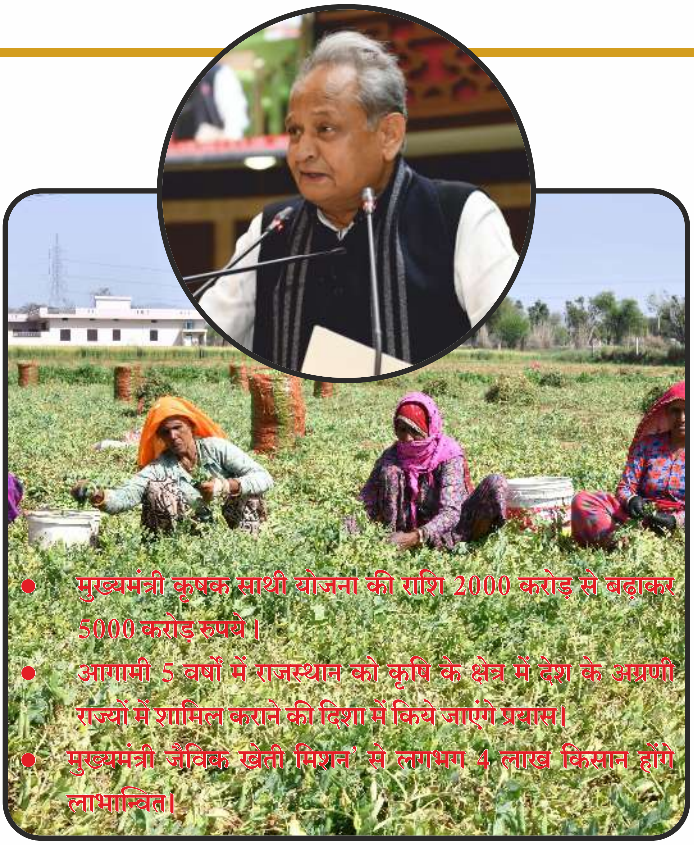

तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Millets** की स्थापना की जायेगी।

Mission-5: राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

(Rajasthan Protected Cultivation Mission)

संरक्षित खेती (Protected Cultivation) हेतु आधुनिक तौर-तरीके एवं तकनीक को अपनाये जाने तथा गैर-मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 'राजस्थान संरक्षित खेती मिशन' प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आगामी 2 वर्षों में 25 हजार किसानों को ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। पहले चरण में, आगामी वर्ष 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

Mission-6: राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन

(Rajasthan Horticulture Development Mission)

फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए **'राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन' प्रारंभ किया गया है, जिसमें 15 हजार किसानों को लाभान्वित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से आगामी 2 वर्षों में...**

I. 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10 हजार किसानों को अनुदान दिया जायेगा। साथ ही, अनुदान की वर्तमान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा।

II. मसाला फसलों का 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में और विस्तार करवाया जायेगा तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जायेगा। इससे 5 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

Mission-7: राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

(Rajasthan Crop Protection Mission)

नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए **'राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन' शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत...**

I. आगामी 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाकर 35 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

II. तारबंदी योजना में 3 किसानों को एक Unit मानने की शर्त को समाप्त कर Individual किसान को लाभ देने व न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को **1.5 हेक्टेयर** किये जाने की घोषणा की गई है।

Mission 8: राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन

(Rajasthan Land Fertility Mission)

लवणीय (Saline) व क्षारीय (Alkaline) भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु **'राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन' शुरू किया गया है। इससे आगामी 2 वर्षों में लगभग 2 लाख 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इसके तहत...**

I. जिप्सम के प्रयोग से 22 हजार हेक्टेयर क्षारीय भूमि का 11 करोड़ रुपये की लागत से सुधार किया जायेगा। इससे 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

II. हरी खाद (Green Manure) उत्पादन हेतु 2 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनीकिट नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 14 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

Mirrion-9: राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन

(Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission)

कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए **'राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन' शुरू किया किया गया है, इसके अंतर्गत कृषि कार्यों में लगे हुए Landless Labourers हेतु...**

I. वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान दिये जाने की घोषणा की गई है। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

II. आगामी 2 वर्षों में एक लाख श्रमिकों को Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Mission-10 : राजस्थान कृषि तकनीक मिशन

(Rajasthan Agri-Tech Mission)

कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए **'राजस्थान कृषि तकनीक मिशन' प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 2 वर्षों में...**

I. 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. कृषकों को महंगे यंत्र-उपकरण यथा-ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध कराने हेतु GSS/FPO के

माध्यम से एक हजार 500 कस्टम हायरिंग सेन्टर और स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

III. पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु आगामी वर्ष में कृषक उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को एक हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

IV. किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृहद् रूप देते हुए 50 करोड़ रुपये की लागत से IT/Mobile App आधारित **Integrated Farmer Support System** लागू किया जायेगा।

Mission-11: राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(Rajasthan Food Processing Mission)

राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन व निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए **'राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन' प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत...**

I. **लहसुन** के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां; अनार के लिए बाड़मेर एवं जालोर; संतरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा; टमाटर व आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में Processing Units को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक) का अनुदान दिया जाएगा। जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी।

II. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 5 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही, भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Apiculture** की स्थापना की जायेगी एवं शहद के गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल Lab भी संचालित की जायेगी। इसके अतिरिक्त श्रीगंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

किसानों के लिए बिजली

राज्य में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में...

I. एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इस हेतु 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. साथ ही, SC व ST वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। इससे SC/ST के लगभग 50 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। इस हेतु 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

- विगत 3 वर्षों में 2 लाख 48 हजार 269 कृषि विद्युत कनेक्शन दिये हैं, जबकि इससे पूर्व 5 वर्षों में मात्र 2 लाख 68 हजार 552 विद्युत कनेक्शन ही दिये गये थे। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत कनेक्शन आवेदनों की 31 दिसम्बर, 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की pendency, **लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन** खत्म करने की दृष्टि से 22 फरवरी, 2022 (22-2-22) तक के समस्त **बकाया विद्युत कनेक्शन** दो वर्षों में जारी किए जाने की घोषणा की गई है। इस पर लगभग 6 हजार 700 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

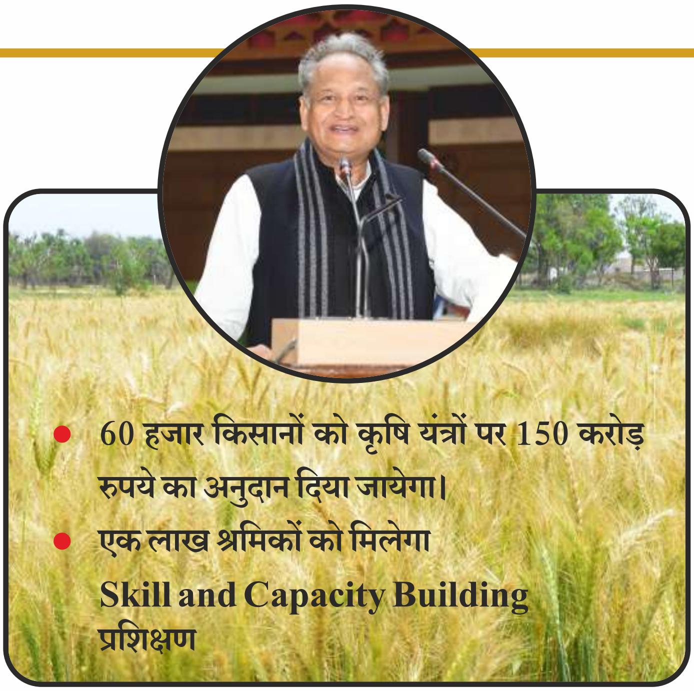

- किसानों को रात में सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस वर्ष से 16 जिलों में 2 बारी में दिन में ही बिजली उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करायी थी। कृषकों को रात में सिंचाई करने, विशेष कर सर्दियों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए शेष 17 जिलों में भी **आगामी एक वर्ष में ही दिन में सिंचाई के लिए बिजली** उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

कृषि ऋण

- वर्ष 2012-13 में शुरू की गयी **ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना** से किसानों को आशातीत लाभ हुआ है। आगामी वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपये राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नये कृषकों को सम्मिलित किये जाने की घोषणा की गई है। इस हेतु 650 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) पर व्यय किये जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ Non-Farm Activities यथा-हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर हैं।
- आगामी वर्ष, अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को 2 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने की घोषणा की गई है। इस हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जायेगा।

सिंचाई विकास

राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु **Rajasthan Irrigation Restructuring Programme** प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 14 हजार 860 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये

जायेंगे, **मुख्य कार्य इस प्रकार हैं...**

I. प्रदेश के 12 जिलों में काश्तकारों को सिंचाई सुविधा हेतु लगभग 550 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर लगभग 12 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। **ये परियोजनायें हैं...**

क्र.सं.	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनायें	लागत
1	अनास नदी पर डांगल ग्राम में एनिकट (बागीदौरा)–बांसवाड़ा	12 करोड़ 17 लाख रुपये
2	घाटकोन ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)–उदयपुर	9 करोड़ 65 लाख रुपये
3	गामदरा ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)–उदयपुर	4 करोड़ 57 लाख रुपये
4	बेड़ा का नाका ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)–उदयपुर	3 करोड़ 27 लाख रुपये
5	पीपल खुटिया ग्राम में सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	24 करोड़ 40 लाख रुपये
6	नालपाड़ा ग्राम में सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	4 करोड़ 76 लाख रुपये
7	अनास नदी पर ग्राम गोयका पारगिसत में एनिकट पर सिंचाई परियोजना(कुशलगढ़) बांसवाड़ा	7 करोड़ 74 लाख रुपये
8	बरवाला MST पर सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा	7 करोड़ 74 लाख रुपये
9	माही नदी पर ग्राम मटिया सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	50 करोड़ 64 लाख रुपये
10	माही नदी पर ग्राम सरोदिया सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	44 करोड़ 32 लाख रुपये
11	सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)–डूंगरपुर	26 करोड़ 64 लाख रुपये
12	सोम नदी पर धोलपुरा ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)–डूंगरपुर	35 करोड़ 16 लाख रुपये
13	सोम नदी पर भभराना ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)–डूंगरपुर	31 करोड़ 45 लाख रुपये
14	जाखम नदी पर पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना (धरियावाद)–प्रतापगढ़	15 करोड़ 33 लाख रुपये
15	जाखम नदी पर हकड़ी घाटी खोड़ाबेला ग्राम सिंचाई परियोजना (धरियावाद)–प्रतापगढ़	14 करोड़ 79 लाख रुपये
16	करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना–प्रतापगढ़	15 करोड़ 50 लाख रुपये
17	भवलिया चखड परियोजना (निम्बाहेड़ा) –चित्तौड़गढ़	7 करोड़ 50 लाख रुपये
18	बड़ी मानसरोवर MIS सिंचाई परियोजना (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़	19 करोड़ 50 लाख रुपये
19	बजरिया, भूराव, हसुला और देवेन्द्रा ग्राम सिंचाई परियोजना (सलूम्बर)–उदयपुर	17 करोड़ रुपये
20	नयागांव फारस ग्राम सिंचाई परियोजना डूंगरपुर	7 करोड़ 74 लाख रुपये
21	बालादित गमेती फाला कलस्टर परियोजना डूंगरपुर	13 करोड़ 25 लाख रुपये
22	हंगारीवाला, हांजूडूंगडा एवं पीपलदा कलस्टर परियोजना–डूंगरपुर	18 करोड़ 35 लाख रुपये
23	माण्डवीया, मोदर–1, मोदर–2 और मोदर–3 कलस्टर परियोजना–डूंगरपुर	16 करोड़ 9 लाख रुपये
24	सियावा ग्राम परियोजना (पिंडवाडा आबू) सिरोही	3 करोड़ 50 लाख रुपये
25	चंदलई बांध परियोजना (चाकसू)–जयपुर	14 करोड़ 20 लाख रुपये
26	टोडपुरा एनिकट सिंचाई परियोजना(बाड़ी) धौलपुर	8 करोड़ रुपये
27	मेज नदी पर गंगाराम माली ग्राम में एनिकट (हिण्डोली)–बूंदी	10 करोड़ रुपये
28	मेज नदी पर सुहरी ग्राम में एनिकट (हिण्डोली)–बूंदी	10 करोड़ रुपये
29	ब्लाण्डी नदी पर बरवास ग्राम सिंचाई परियोजना (हिण्डोली)–बूंदी	12 करोड़ रुपये
30	बास्याहेडी एम.एस.टी. (कांकरिया) सिंचाई परियोजना (सांगोद)–कोटा	4 करोड़ 50 लाख रुपये
31	मेज नदी पर झालीजी का बाराना ग्राम परियोजना(केशवरायपाटन)–बूंदी	12 करोड़ रुपये
32	मेज नदी पर खटकड ग्राम परियोजना–बूंदी	20 करोड़ रु.
33	अमझार नदी पर KHAM–1 (बड़ौदिया आंतरी) परियोजना (रामगंजमंडी)–कोटा	1 करोड़ 10 लाख रुपये
34	अमझार नदी पर KHAM–3 (खरली बावड़ी) परियोजना (रामगंजमंडी)–कोटा	1 करोड़ 85 लाख रुपये
35	कालीसिंध नदी पर रामडी ग्राम परियोजना (झालरापाटन)–झालावाड़	6 करोड़ रुपये
36	आहू नदी पर आहू–I परियोजना (रामगंजमंडी)–कोटा	16 करोड़ रुपये
37	सिंगोला लिफ्ट परियोजना (अंता)–बारां	15 करोड़ रुपये

II. जल अपव्यय को रोकने व दक्षता सुधार हेतु विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 100 बांधों तथा 100 नहरी तंत्रों का चिन्हीकरण कर 800 करोड़ रुपये व्यय कर जीर्णोद्धार कर सिंचित दक्षता में वृद्धि की जाएगी।

III. विभिन्न जिलों में भूजल पुनर्भरण हेतु लगभग 100 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर/एनिकट के निर्माण व जीर्णोद्धार के कार्य 600 करोड़ रुपये लागत से करवाए जाएंगे।

IV. बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/वितरिकाओं के 545 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जाएंगे।

V. घाटोल-बांसवाड़ा में खमेरा नहर प्रणाली में लघु सिंचाई योजना प्रथम से चतुर्थ की फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई पद्धति आधारित वितरण प्रणाली का 100 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

VI. चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में स्थित सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से होंगे।

VII. नवीन कृषि सिंचित क्षेत्र सृजित किये जाने हेतु माही परियोजना से '**अपर हाई लेवल नहर**' के निर्माण की आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमांड क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए **2 हजार 500 करोड़ रुपये** लागत से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं बागीदौरा के कुल 338 गांवों के 41 हजार 903 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है।

VIII. माही बेसिन के अधिशेष जल से पीपलखूंट तहसील-प्रतापगढ़ के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए '**पीपलखूंट हाई लेवल केनाल**' का 2 चरणों में निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इस पर **2 हजार करोड़ रुपये** की लागत आयेगी। इससे 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

IX. **गंगनहर प्रणाली** के 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में **एक हजार 153 करोड़ रुपये** की लागत से नहर एवं मोघों में पानी वितरण एवं नियंत्रण हेतु ऑटोमेशन के कार्य करवाए जाएंगे।

X. **भीखा भाई सागवाड़ा नहर-बांसवाड़ा** की लघु सिंचाई योजना सप्तम, अष्टम एवं नवम् लघु वितरिकाओं के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, दसवीं एवं ग्यारहवीं वितरण प्रणाली की DPR बनायी जायेगी।

XI. **हरिदेव जोशी नहर तंत्र-बांसवाड़ा** का लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से रखरखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा।

- **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)** प्रदेश के 13 जिलों-झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लिए पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है।

इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के सम्बन्ध में राज्य की ओर से केन्द्र से लगातार आग्रह किया जाता रहा है। ERCP के 13 जिलों के लिए महत्व को देखते हुए, राज्य के अपने संसाधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखा जाएगा। आगामी वर्ष नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के 9 हजार 600 करोड़ रुपये के काम हाथ में लिये जाएंगे। इस परियोजना का कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से कराने की दृष्टि से **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ERCP Corporation)** के गठन की घोषणा की गई है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग एक हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी अन्य कार्य करवाये जाएंगे। प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं...

I. जैसलमेर क्षेत्र में, जहां पर पक्के खाले नष्ट हो चुके हैं, वहां लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर से सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

II. गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट) के 10 हजार हेक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

III. लिफ्ट परियोजनाओं-साहवा, गजनेर, कोलायत में शेष रही लगभग 400 डिग्गियों का 300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

IV. कंवरसेन लिफ्ट का 200 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार करवाया जायेगा।

V. चारणवाला शाखा की नहरों का चरणबद्ध रूप से 102 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। इससे बीकानेर व जैसलमेर जिले का 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

VI. IGNP की सभी लिफ्ट परियोजनाओं में पुरानी मोटर, पम्पों की विद्युत दक्षता बढ़ाने के साथ समुचित रखरखाव व संचालन हेतु 200 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया जायेगा।

VII. सिद्धमुख नहर के 10 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत एवं जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

VIII. भादरा, नोहर तथा तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों के लिए सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए Technical Assessment सर्वे एवं Viability हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जायेगी।

IX. **Indira Gandhi Canal Project** के अंतर्गत जल संरक्षण व जल के optimal use को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहाँ के कृषकों को प्रोत्साहन देकर Micro Irrigation से जोड़ा जाएगा।

इस हेतु किसान के खेत के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 हेक्टेयर तक ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर Drip, Sprinkler पर 50 प्रतिशत तक Subsidy दी जाएगी। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।

- चम्बल कमांड क्षेत्र-कोटा, बूंदी व बारां के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु ड्रेनेज सिस्टम के जीर्णोद्धार, विभिन्न नहरों, वितरिकाओं व ब्रांच केनालों में पक्की लाईनिंग के कार्य करवाए जाएंगे। इस पर 483 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

- वर्ष 2021–22 में पहली बार राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में लगभग 23 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग के कार्य कराये गए थे। साथ ही, सरहिंद फीडर के 80 किलोमीटर लम्बाई में भी रिलाइनिंग करवायी गयी थी।
- अब वर्ष 2022–23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिंद फीडर की 15 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग के कार्य करवाए जाएंगे। इस पर 425 करोड़ रुपये व्यय होंगे। फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) की मरम्मत हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- वर्ष 2022–23 में मरु क्षेत्र के लिए **राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD)** में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लम्बाई में तथा वितरिकाओं, माइनरों के लगभग 227 किलोमीटर लम्बाई में जीर्णोद्वार के कार्य करवाए जाएंगे।
- वर्षा जल के संग्रहण एवं उसके समुचित उपयोग से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए **राजीव गांधी जल संचय योजना–द्वितीय चरण** के अंतर्गत आगामी दो वर्षों में 2 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 352 पंचायत समितियों के लगभग 4 हजार 500 गांवों में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण (Water Harvesting & Conservation) संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

कृषि भण्डारण व विपणन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथन '' मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे।'' के उद्धरण से राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए खेती की गुणवत्ता व कृषि उत्पादकता के साथ–साथ भण्डारण क्षमता को बढ़ाए जाना एवं विपणन प्रणाली को बेहतर किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

- आगामी वर्ष में करावन (पचपहाड़)–झालावाड़, मांडल–भीलवाड़ा, खटौटी (नदबई)–भरतपुर सहित कोटा, सोनवा–टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, तथा उदयपुर जिलों में 220 करोड़ रुपये की लागत से मिनी फूड पार्क बनाये जायेंगे। साथ ही, चैनपुरा (निवाई)–टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है।
- राज्य के कृषि उत्पादों यथा–ईसबगोल, जीरा, धनिया एवं फल–सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए pesticide residue testing and analysis हेतु 12 करोड़ रुपये की लागत से कोटा व जोधपुर में Phyto-sanitary Labs की स्थापना की जायेगी। साथ ही, टोंक में Bio Pesticide व Bio Agents Integrated Lab स्थापित की जायेगी।
- कृषकों के फसल उत्पाद को भंडारित करने की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में Cold Storage, Warehouse एवं 100 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम व कार्यालयों का 87 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, 5 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं (Storage Structure) के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
- गौण मण्डी प्रांगण चांदन–जैसलमेर, लोहावट, आऊ, देचूं–जोधपुर, पूगल–बीकानेर, हिण्डोली–बूंदी, समराणिया, नाहरगढ़–बारां, रावतभाटा–चित्तौड़गढ़ तथा तूंगा–जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

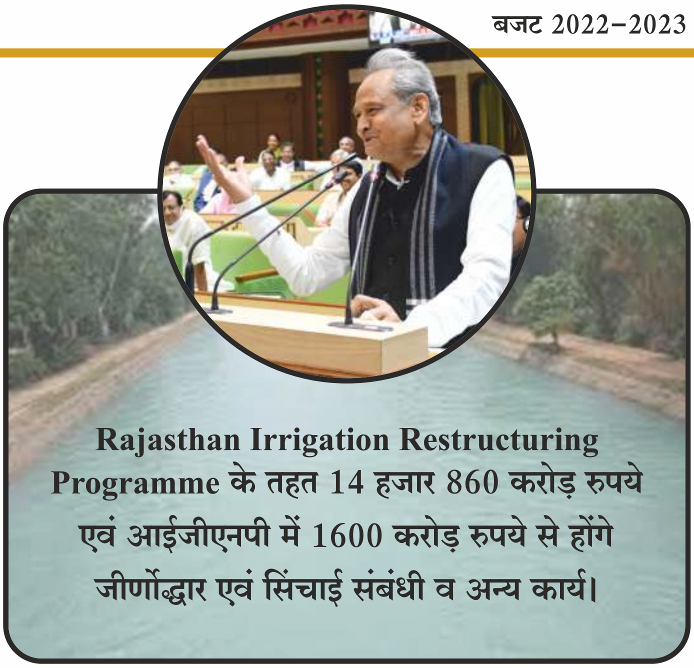

- बीकमपुर (कोलायत)–बीकानेर, चामूं (शेरगढ़)–जोधपुर, मण्डरायल (सपोटरा)–करौली में गौण मण्डी, गौण मण्डी सायला–जालोर में अनार मण्डी, भोपालगढ़–जोधपुर एवं रेवदर–सिरोही में कृषि मण्डी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, बिलाड़ा–जोधपुर की कृषि मण्डी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मण्डी घोषित किया जाएगा।

संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण

ग्राम सहकारी समितियों (GSS) की किसानों को मिनी बैंक के साथ–साथ कृषि आदान (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आदि) सुविधा उपलब्ध कराने में भी महती भूमिका है। वर्तमान में राज्य में गठित 7 हजार 133 GSS के माध्यम से लगभग 67 लाख किसान इनके सदस्य के रूप में लाभान्वित हो रहे हैं। **आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4 हजार 171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित किए जाएंगी**। इसके साथ ही, प्रदेश के कोने–कोने से छोटे किसान भी सहकारी संस्थाओं से जुड़ सकें, इस दृष्टि से ग्राम सहकारी समिति हेतु निर्धारित अंशदान को 5 लाख रुपये से कम कर 3 लाख तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या को 500 से कम कर 300 किया जाना जाएगा।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए विभिन्न कदम उठाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं...

I. मुण्डावर–अलवर, केकड़ी–अजमेर, बाड़मेर, पोकरण–जैसलमेर, नोहर, जोगीवाला (भादरा)–हनुमानगढ़, डीडवाना, नावां–नागौर, केशवाणा (सायला)–जालोर, मंडावा, चिड़ावा–झुंझुनूं, ओसियां– जोधपुर, पहाड़ी (कामां)–भरतपुर, खेड़लाबुजुर्ग (महवा)–दौसा, करौली, टोडाभीम–करौली, प्रतापगढ़ तथा खैरवाड़ा–उदयपुर में **कृषि महाविद्यालय** (Agriculture College) खोले जायेंगे।

II. देवली (उनियारा)–टोंक में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जायेगा।

III. नाथद्वारा–राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा।

जन-जन के उद्गार

खुशियां अपार

डेयरी एवं पशुपालन

प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को **उच्च गुणवत्तायुक्त दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में...**

I. 2 हजार 500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जायेगा।

II. 500 से अधिक गांवों को जोड़ते हुए 51 नवीन milk routes चालू किये जायेंगे।

III. 5 हजार नये डेयरी बूथ खोले जायेंगे, जिसमें से **एक हजार डेयरी बूथ** महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित होंगे।

IV. राजसमंद जिले में 30 करोड़ रुपये की लागत से Milk Porerring Plant की स्थापना की जायेगी।

V. जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के Processing Plant का 10 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

- प्रदेश में राज्य पशु 'ऊँट' के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु **'ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति'** लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- ग्रामीणों, कृषकों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 1 करोड़ 57 लाख रुपये प्रति नंदी शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

आगामी वर्ष से जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम NGO उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपये तक की राशि से गौशाला स्थापित की जायेंगी। इस प्रकार चरणबद्ध रूप से समस्त ग्राम पंचायतों पर पशु आश्रय स्थल स्थापित हो सकेंगे।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए...

I. मलसीसर (मण्डावा)-झुंझुनूं में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।

II. राजकीय पशु चिकित्सालय, चाकसू-जयपुर तथा कुचामन सिटी-नागौर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत होंगे।

III. नागोला (भिनाय)-अजमेर, दुलचासर (डूंगरगढ़)-बीकानेर, भानपुर कलां (जमवारामगढ़)-जयपुर, खुडियाला (शेरगढ़), पंडितजी की ढाणी (ओसियां)-जोधपुर, जावला (परबतसर), रोल (जायल), तौषिणा (डीडवाना), महाराजपुरा (नावां)-नागौर तथा बगड़ी नगर (सोजत), खैरवा (सुमेरपुर), जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)-पाली के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. झालाटाला (लक्ष्मणगढ़)-अलवर, नोवी (सुमेरपुर), जैतपुर (रोहट)-पाली, कैथरी (सैपऊ)-धौलपुर, नीमला-जयपुर, कायमसर (फतेहपुर)-सीकर तथा रासला (फतेहगढ़)-जैसलमेर पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. पगारा (पीसांगन)-अजमेर, जगपुरा (बदनौर)-भीलवाड़ा, बिशनपुरा-दौसा, सुजानगढ़-चूरू, आवलहेड़ा, गोपालपुरा (बेंगू)-चित्तौड़गढ़, कोलीवाड़ा (जमवारामगढ़)-जयपुर, चेण्डा, खिमाड़ा, बामनेरा (सुमेरपुर)-पाली, बाहला (पोकरण), कोलूतला -जैसलमेर, अल बख्स का बाग (लक्ष्मणगढ़)-अलवर, गारिंडा (फतेहपुर)-सीकर तथा देवीखेड़ा (देवली), चन्दवाड (दूनी)-टोंक में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जायेंगे।

VI. वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में **Block Veterinary Health Office (BVHO)** एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं (Primary Disease Diagnosis Labs) की स्थापना की जायेगी।

VII. साथ ही, प्रदेश की 3 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं में 15 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य करवाये जायेंगे।

- आगामी वर्ष से पशु बीमा का लाभ देते हुए लगभग 6 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाते हुए **Regulatory Authority** का गठन किया जाएगा। साथ ही, पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में Testing Lab स्थापित की जायेगी।
- दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रेल, 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना** प्रारम्भ की गयी थी। संभवतया यह देश में प्रथम पहल थी। 1 फरवरी, 2019 से पुन: इस योजना को शुरू किया गया है। अब आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय **अनुदान राशि को 2 रुपये प्रतिलीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर** किये जाने की घोषणा की गई है। इससे लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकेगी।
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट की मूल भावना को उद्घाटित करते हुए सदन को बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट है...

राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए।
बेटियों और मांओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए।
स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए।
सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए।
नौजवानों को सक्षम बना उनकी हसरतों को पूरा करने के लिए।
गरीब, मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए।
गांवों का हाल बदलने के लिए।
शहरों की रफ्तार बदलने के लिए।
विज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए।
हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की के लिए।

इस बजट के अंतर्गत प्रदेश के हर वर्ग, जाति तथा धर्म के लोगों की आशा के अनुरूप भविष्य की योजनायें तैयार करने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं को मूर्तरूप देने के साथ ही हर प्रदेशवासी की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर रहेगी।

कर प्रस्ताव

- गत बजट में कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थिति के दृष्टिगत कोई नया कर नहीं लगाते हुए लगभग 900 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई थी। साथ ही जनवरी, 2021 के उपरान्त पैट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले VAT की दरों में क्रमश: 6 रुपये एवं 7 रुपये प्रति लीटर कमी कर कोविड के समय मंहगाई में राहत दी गयी। इससे राज्य के राजस्व पर 6 हजार करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये इस बजट में सभी वर्गों के लिये राहत देने का प्रयास किया गया है।
- पर्यटन, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने में भी अग्रणी है, किन्तु कोविड का सबसे विपरीत प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है।
- इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिकोण से **Tourism** एवं **Hospitality Sector** को **'Industry Sector'** के रूप में पूर्ण मान्यता दिए जाने की घोषणा की गई है। अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial Norms के अनुसार ही Government Tariffs व Levies देय होंगे। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

इसी के साथ अन्य उद्योगों तथा व्यवसाय के समस्त क्षेत्रों (Sectors) को कोविड के संकट से उबरने में सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से

I. RIPS-2010 एवं RIPS-2014 का लाभ ले रही इकाईयाँ, जिनके लाभ लेने की अवधि 31 मार्च, 2022 तक शेष है, ऐसी इकाईयों के लाभ लेने की अवधि को, 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की गई है।

II. Rajasthan MSME (Facilitation of Establishment and Operation) Act-2019 के अन्तर्गत MSME उद्यमियों को संबल प्रदान करने हेतु उद्यमों को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिये स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किया जाएगा।

III. राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत (White) श्रेणी के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों, उद्यमों के लिए भूमि रूपान्तरण शुल्क में सम्पूर्ण छूट दिए जाने की घोषणा की गई है।

IV. होटल तथा ट्यूर ऑपरेटरर्स को समय-समय पर जमा SGST का पुनर्भरण किया गया था। अब जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 की अवधि में जमा कराये गये SGST की 50 प्रतिशत राशि के पुनर्भरण की घोषणा की गई है।

V. RIICO द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत Service Charge बढ़ाया जाता है। उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में यह वृद्धि नहीं की जायेगी।

VI. कोविड महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2022-23 के लिये DLC दरों में होने वाली 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि को कम कर मात्र 5 प्रतिशत किया जाएगा।

VII. मीडिया प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित भवन को Sub-let किये जाने की वर्तमान सीमा को Build-up area का 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गई है।

कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से...

I. कृषि आधारित MSME इकाइयों की स्थापना/विस्तार (expansion) हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत Interest Subsidy को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

II. मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क आदि की ''ब्याज माफी योजना-2019'' सफल रही है। अब इस योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2022 तक कर दी गई है।

III. इसी तरह ''राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रसंस्करण (Agriculture Processing) प्रयोजनार्थ कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना'' के तहत बकाया राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2022 किया गया है।

IV. मंडी प्रांगणों में वर्ष 2010 के पूर्व के व्यापारियों के लम्बित प्रार्थना पत्रों का आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने की घोषणा की गई है।

V. राज्य के मण्डी प्रांगणों में आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अवधि बिना शास्ति 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

VI. बजट वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी फूडपार्क के लिये सरकारी भूमि का नि:शुल्क आवंटन किया जायेगा।

VII. 31 मार्च, 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को अब एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है।

VIII. गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्रा 0.50 प्रतिशत यूजर चार्जेज लिया जा कर मण्डी में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी (वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर घोषणाओं के दौरान मुख्यमंत्री ने इस यूजर चार्ज को और घटाकर 0.25 प्रतिषत किए जाने की घोषणा की है)।

कोविड की परिस्थितियों के कारण राज्य के उद्यमियों एवं प्रदेशवासियों को बकाया वसूल योग्य राशि में छूट देकर गत बजट में **VAT, Stamps, Excise, Motor Vehicle आदि Acts** के अन्तर्गत Amnesty योजना लायी गयी थी, जिसका सभी वर्गों ने स्वागत किया था। आगामी वर्ष में नयी Amnesty योजनाओं के माध्यम से और अधिक छूट दी गई है ।

I. **VAT Amnesty** : गत वर्ष Repealed Acts-Sales Tax, VAT, Entry Tax इत्यादि से सम्बन्धित एमनेस्टी स्कीम-2021 लायी जाकर 2 लाख से अधिक व्यवहारियों को राहत प्रदान की गई थी, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। अब **एमनेस्टी स्कीम-2022** लाये जाने की घोषणा की गई है जिसमें -

   a. 30 जून, 2017 से पहले की मांग राशि के समाधान हेतु एकपक्षीय (ex-parte) अथवा सर्वोत्तम विवेक से (Best judgement) पारित कर निर्धारण आदेशों को रिओपन (Re-open) करने का प्रावधान किया जायेगा।

b. पूर्व में पारित किये गये आदेशों में Suo-Moto संशोधन (Rectification) किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि से सम्बन्धित बाधा को समाप्त किया जाएगा।

c. ऐसे व्यवहारियों जिनकी कोई ज्ञात चल एवं अचल सम्पत्ति नहीं है, संबंधित मांग राशि के Write off करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। इस हेतु अधिकारियों के क्षेत्राधिकार (Pecuniary Limit) का पुर्ननिर्धारण होगा।

d. ऐसी फर्में जिनके द्वारा किसी माल की खरीद एवं बिक्री नहीं की गई है, उनके संदर्भ में सृजित की गयी माँगों को समाप्त किये जाने हेतु निश्चित प्रक्रिया बनाई जायेगी।

e. बकाया घोषणा पत्रों (Declaration Form) को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ाई जायेगी।

f. आगत कर (Input Tax) सत्यापन को सरल किया जायेगा।

g. राज्य के सरकारी विभागों, निगमों-उपक्रमों इत्यादि के विरूद्ध सृजित की गई माँगों के साथ-साथ भारत सरकार के रक्षा विभाग की विभिन्न इकाईयों के विरूद्ध चल रही मांग राशि को समाप्त कर दिया गया है।

h. इस योजना के तहत नकद वसूली को प्रोत्साहित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

GST लागू होने के पश्चात् 6 प्रकार की वस्तुयें (Goods) ही वर्तमान में Vact Act के तहत कर योग्य हैं। इनके सम्बन्ध में बकाया चल रही माँगों के निस्तारण हेतु भी पृथक से एमनेस्टी स्कीम-2022 लाया जाएगी।

II. **Stamp Duty**: आगामी वर्ष से स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना-2022 लागू किये जाने की घोषणा की गई है जिसकी अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी। इस योजना में ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट के साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

साथ ही ऑडिट या निरीक्षण में किसी दस्तावेज पर निकाली गई बकाया स्टाम्प ड्यूटी, प्रथम डिमाण्ड नोटिस की दिनांक से एक माह की अवधि में जमा कराने पर पक्षकारों को एक Permanent Amnesty के रूप में ब्याज एवं पैनल्टी की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

III. **Motor Vehicle Act** : वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Transport Amnesty Scheme -2022 लायी जाएगी। इस योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी, इसमें -

a. खान विभाग के ई-रवन्ना पोर्टल पर ओवरलोड वाहनों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 2021 तक कारित अपराधों के प्रशमन (Compounding) हेतु Amnesty योजना लायी जायेगी।

b. मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया कर जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जायेगी।

c. बकाया राशि जमा होने पर, नष्ट हो चुके वाहनों का नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जायेगी।

IV. **Excise**: अधिक व्यवहारियों को छूट प्रदान करने के लिये आगामी वर्ष में आबकारी एमनेस्टी योजना-2022 लाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी -

a. 31 मार्च, 2021 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी; तथा

b. 31 मार्च, 2014 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार मूल राशि में भी आंशिक छूट दी जाएगी।

V. **RIICO**: RIICO क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिये **एमनेस्टी योजना-2022** लाई जायेगी जो 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत -

a. सेवा शुल्क एवं किराये (Service Charge & Economic Rent) की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट

b. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण प्रारंभ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार (Retention Charge), अतिरिक्त भूमि लागत में 75 प्रतिशत छूट

c. भूखण्ड, उप विभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

d. बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पेनल्टी/ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।

e. औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के बढ़ाया जायेगा ; तथा

f. 30 जून, 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया (Outstanding) किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

VI. **उपनिवेशन क्षेत्र**: उपनिवेशन क्षेत्र के लगभग 15 हजार काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर 1 अप्रेल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि में-

a. 31 दिसम्बर, 2022 तक की शेष रही बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत् प्रतिशत छूट दी जाएगी है; एवं

b. आवंटन की समस्त बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत् प्रतिशत छूट मिलेगी।

VII. **खनन संबंधी**: खनन पट्टाधारियों, क्वारी लाईसेन्स धारकों एवं रॉयल्टी ठेकेदारों को 31 मार्च 2021 तक के लगभग 1800 बकाया प्रकरणों हेतु एमनेस्टी योजना के माध्यम से राहत दी

जायेगी। साथ ही इस योजना में प्रथम बार अवैध खनन परिवहन एवं निर्गमन के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

VIII. **सतर्कता जांच प्रतिवेदन (VCR)** : वर्तमान में बड़ी संख्या में विद्युत वितरण कम्पनियों में लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदन (VCR) में बकाया करोड़ों रूपये की राशि को देखते हुए इनके अन्तिम निस्तारण हेतु एमनेस्टी योजना लायी जाएगी। इसमें –

a. 31 दिसम्बर, 2021 या उससे पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु 1 लाख रुपये तक की सिविल लायबिलिटी राशि होने पर इस राशि का 50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन (Compounding) राशि लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

b. यदि सिविल लायबिलिटी राशि 1 लाख रुपये से अधिक है तो 1 लाख रुपये तक की राशि का 50 प्रतिशत एवं 1 लाख रुपये से अधिक राशि का 10 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन (Compounding) राशि लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

c. यह राशि 6 मासिक किश्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत 1 अप्रेल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक आवेदन किये जा सकेंगे।

- जिन इकाईयों ने RIPS-2003, RIPS-2010 एवं RIPS-2014 में कस्टमाइज्ड पैकेज लेकर पात्रता प्रमाण पत्र (Entitlement Certificate) के अनुसार लाभ प्राप्त किया है, ऐसी इकाईयों ने यदि RIPS-2019 की परिचालन अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है या किया जायेगा, तो उन्हें 400 करोड़ रुपये का निवेश तथा 200 लोगेां को रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त पर RIPS-2019 का लाभ दिये जाने की घोषणा की गई है।
- जिन इकाइयों की SGST देयता नहीं बनती, उनको निवेश अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी इकाईयों के लिये RIPS-2019 में SGST पुनर्भरण के विकल्प के रूप में पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया जाएगा।
- वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु जैव व हरित क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों के कारण कुछ नवोदित विनिर्माण क्षेत्रों (Sunrise Sectors) यथा –
- राजस्थान के पचपदरा, जिला बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स 800 हेक्टेयर में प्रस्तावित PCPIR (Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region) क्षेत्र में केमिकल एण्ड पेट्रोकेमिकल्स ;
    - इलैट्रॉनिक्स ;
    - मेडिकल डिवाइसेज ;
    - बल्क ड्रग्स ;
    - Rare Earth Elements से संबंधित विनिर्माण ; तथा
    - ग्रीन हाइड्रोजन को RIPS-2019 के अन्तर्गत Thrust Sector में जोड़कर अतिरिक्त परिलाभ दिए जाने की घोषणा की गई है।
- Inland Container Depot(ICD) में ऐसी पात्र इकाइयां जिनके पास न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का निवेश तथा 10 एकड़ भूमि क्षेत्र उपलब्ध हो उन्हें RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र की पात्र गतिविधियों तथा थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित करते हुए लाभ दिया जाएगा।
- **RIPS-2019** के अन्तर्गत Thrust Sector-Gems & Jewellery के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमों को देय पूंजी निवेश अनुदान (Capital Subsidy) की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा की गई है।
- टोक्यो पैरा ओलम्पिक में राज्य के 4 खिलाड़ियों अवनी लखेरा, देवेन्द्र झाझड़िया, सुन्दर सिंह तथा कृष्णा नागर द्वारा 5 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

  इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली स्पोर्ट्स एकेडमी को RIPS-2019 में पात्र सेवा क्षेत्र में सम्मिलित करने व उपकरणों के क्रय पर 1 करोड़ रुपये तक का पूंजी अनुदान (Capital Subsidy) दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही RIPS-2019 के अन्तर्गत स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में दिए जाने वाले पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से नये निवेश को प्रदेश में लाने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

  इसी कड़ी में Invest Rajasthan-2022 के अन्तर्गत किये जा रहे MOU, LOI को धरातल पर लाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी कर शिलान्यास आदि का कार्य भी करवाया जा रहा है। अब तक राज्य में

I. 10 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के कुल 4 हजार 16 MOU (Memorandum of Understnding) एवं LOI (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। जिससे राज्य में 4 लाख 90 हजार रोजगार सम्भावित हैं।

II. राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 7 लाख 98 हजार करोड़ रुपये की राशि के 92 MOU, LOI हस्ताक्षर हुए हैं। जिससे राज्य में 2 लाख 20 हजार रोजगार सम्भावित हैं।

राज्य में निवेश को उत्तरोतर बढ़ाने की दृष्टि से RIPS-2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुये **Rajasthan Investment promotion Scheme-2022 (RIPS-2022)** लाये जाने की घोषणा की गई है। विभिन्न राज्यों के मुकाबले राजस्थान को Competitive Destination के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से RIPS-2022 में निवेश के अनुकूल (Investment Friendly) प्रावधान किया जाएगा, जो इस प्रकार है

I. वर्तमान में देय SGST के पुनर्भरण के विकल्प के रूप में पूँजीगत अनुदान (Capital Subsidy) का प्रावधान किया जायेगा

II. राज्य में प्रथम बार एथेनोल पॉलिसी में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) का प्रावधान किया है। जिसे अन्य चयनित सैक्टर्स पर भी लागू किया जायेगा;

III. वर्तमान में ऐसी इकाईयां जिनको पूर्ववर्ती RIPS योजना के लाभ मिल रहे है, उनको नयी RIPS योजना आ जाने के पश्चात् शेष समयावधि के लिये नयी RIPS योजना के प्रावधानों का लाभ

अथवा विकल्प नहीं मिल पाता है, ऐसी ईकाइयों के लिये चयनित सैक्टर्स, कस्टमाइज पैकेज हेतु कार्यकाल आधारित प्रोत्साहन प्रणाली (Tenure Based Incentive System) लागू की जायेगी

IV. RIPS योजनाओं के अन्तर्गत देय लाभों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दृष्टि से Auto Disbursal प्रणाली लागू की जाएगी।

V. स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत छूट की सीमा को यथावत रखते हुये प्रारम्भ में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जायेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर पात्र औद्योगिक इकाई को जमा की गई 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का पुनर्भरण किया जायेगा।

- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MSME** क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है। छोटे व्यवसायी जो उद्योग स्थापित करने में रुचि रखते हैं, उनमें इस योजना से नये उत्साह का संचार हुआ है।

  योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की समस्या के समाधान हेतु 27 अगस्त, 2021 को जारी संशोधन से पूर्व बैंकों से स्वीकृत तथा जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना प्राप्त प्रकरणों को एक बारीय छूट देते हुए योजना का लाभ दिया जाएगा।

  इससे राज्य की लगभग 1000 इकाइयों, जिन्होंने ऋण प्राप्त कर लिया था किन्तु संशोधित प्रावधानों के कारण पात्रता पूरी नहीं कर पा रहीं थी, वे अब योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

  10 लाख तक के ऋण लेने वाले छोटे निवेशकर्ताओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिए जाने की दृष्टि से योजना के अन्य प्रावधान यथा सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी के मध्य अनुपात रखा जाना तथा वित्तीय संस्थान से ऋण वितरण पश्चात 90 दिवस की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किए जाने आदि शर्तों को विलोपित कर, MSME को बढ़ावा दिया जायेगा।

  इस प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देने के लिये आगामी वर्ष में ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये Rajasthan Rural Tourism Scheme लायी जाएगी जिसमें पात्र इकाइयों को**

  I. स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगी, Tourism इकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जायेगा।

  II. देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा ; तथा

  III. 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिये उद्योगों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु निष्पादित दस्तावेजों एवं ऋण समनुदेशन (Debt Assignment) के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

वंचित वर्ग यथा दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्प-संख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से लोगों को आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए RIPS-2019 के अन्तर्गत ''डॉ भीमराव अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज'' के तहत अतिरिक्त लाभ दिये गए थे। इसे आगे बढ़ाते हुये ''डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022'' की घोषणा की गई है। जिसके तहत 9 प्रकार की राहत दी जायेंगी

I. वंचित वर्गों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये की राशि से Incubation cum Training Centre स्थापित किया जायेगा।

यह केन्द्र Confederation of Indian Industry (CII) / Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) के सहयोग से संचालित किया जायेगा।

II. साथ ही इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे चयनित उद्योगों में RIICO@Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF) की 10 प्रतिशत भागीदारी अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई किये जाने के विकल्प का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार की Partnership से उन्हें तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा ;

III. RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्गमीटर को बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तक भूखण्ड तथा आवंटन में निर्धारित 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जायेगा

IV. भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट दी जायेगी ;

V. भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत रियायत दी जायेगी ;

VI. जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट ; जिसमे प्रारम्भ में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का पुनर्भरण किया जायेगा ;

VII. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा ;

VIII. मार्जिन मनी 25 प्रतिशत और अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जायेगा ; तथा

IX. 100 प्रतिशत SGST पुनर्भरण 7 साल के लिये किया जायेगा।

- वित्तीय प्रबन्धन की कुशलता से कराधान की प्रक्रिया के सरलीकरण व विभिन्न क्षेत्रों को राहत का सिलसिला जारी रखा जाएगा।

- कम्पनियों के Merger एवं Demerger के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को तर्कसंगत करते हुए 200 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- Limited Liability Partnership (LLP) तथा Partnership Firms की एक समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए LLP के गठन (Constitution), विघटन (Winding up) एवं भागीदारों के रिटायरमेंट से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी Partnership Firms के मामलों में निष्पादित दस्तावेजों के समान की गई है।

- राज्य में व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार एक वाणिज्यिक संरचना (Partnership Firm] Proprietorship Firm आदि) से दूसरी वाणिज्यिक संरचना में परिवर्तन कराने पर दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क को घटाकर अधिकतम दस हजार रुपये कर दिया गया है।

- वर्तमान में 100 वर्ष पुरानी सम्पत्तियों को हैरिटेज मानते हुए स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जा रही है। अब राजस्थान ट्यूरिज्म पॉलिसी, 2015 के अनुसार 1 जनवरी, 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों में संचालित होटल्स को हैरिटेज होटल्स की श्रेणी में मानते हुए स्टाम्प ड्यूटी की रियायत प्रदान की जाएगी।

- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट, कैम्पिंग साईट, एम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क आदि प्रयोजनों की भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक दरों के स्थान पर कृषि दरों के समान किया जायेगा। साथ ही Convention Centre, सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ भूमियों का मूल्यांकन शहरों में आवासीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि दरों के बराबर किया जाएगा।

- लोक (Public) नीलामी के माध्यम से विक्रय की गयी सम्पत्तियों के मूल्यांकन के मामलों में अनावश्यक Litigation को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन नीलामी राशि पर तथा साथ ही सरकार एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आवंटित सम्पत्तियों का मूल्यांकन भी आवंटन राशि पर ही किया जाएगा।

- वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ भूमियों की DLC दरें वाणिज्यिक से घटाकर औद्योगिक दरों के समान तथा कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दो गुणा से घटाकर डेढ़ गुणा के बराबर की जाएंगी।

- रीको क्षेत्रों में स्थित वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ भूमियों का आवंटन वर्तमान में औद्योगिक दरों के डेढ़ गुणा पर किया जाता है। इसको घटाकर औद्योगिक दरों के समान किये जाने की घोषणा की गई है।

रियल एस्टेट सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। बड़े क्षेत्रफल के Projects की लागत को कम करके आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन (DLC) में रियायत दी जाएगी...

I. 1 हजार वर्गमीटर से 2 हजार वर्गमीटर तक – 5%

II. 2 हजार वर्गमी. से अधिक किन्तु 3 हजार वर्गमी. तक 10%

III. 3 हजार वर्गमीटर से अधिक –15%

- गत बजट में मल्टीस्टोरी भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लेट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इस छूट को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया है।

- बहुमंजिला भवनों में आवासीय इकाइयों के पुन: विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में पहले ही रियायत प्रदान की हुई है। इसी तर्ज पर शेष सम्पत्तियों के मामलों में भी एक बार विक्रय होने के बाद 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष के भीतर पुन: विक्रय किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती विक्रय के दस्तावेज पर प्रथम विक्रय के समय भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि के क्रमश: 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत के बराबर राशि की छूट मिलेगी।

- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अनुरूप संशोधन किया जाकर रिवीजन के लिये निर्धारित समय सीमा के बाद भी रिवीजन स्वीकार करने की सुविधा दी जाएगी।

- जिन अप्रधान खनिजों (Minor Minerals) के खनन पट्टों, क्वारी लाईसेन्सों की अवधि 31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो रही है, उन्हें निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2040 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

- वैज्ञानिक और सुरक्षित खनन को बढ़ावा देने की दृष्टि से खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज (Minor Mineral) खनन पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा को हटाने की घोषणा की गई है।

- अप्रधान खनिज (Minor Mineral) के खनन पट्टों, क्वारी लाईसेन्स के समीप उपलब्ध भूमि में से एक निश्चित क्षेत्रफल तक निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर खनन पट्टा, लाईसेन्सधारी को आवंटित किया जा सकेगा। खनन पट्टों का संविदा निष्पादन (Lease Agreement Execution) बिना पर्यावरण अनुमति के किया जाना प्रस्तावित किया गया है परन्तु खनन कार्य पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने पश्चात ही अनुमत हो सकेगा।

- अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाले प्रीमियम के संबंध में डेड रेन्ट, लाईसेन्स फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रुपये के प्रीमियम के स्थान पर 5 गुणा व अधिकतम 5 लाख रुपये प्रीमियम लिया जाएगा।

- पट्टाधारियों द्वारा अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के संबंध में मासिक ऑनलाईन रिटर्न के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था लागू होगी।

- प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG चलित नये वाहनों को बढ़ावा देने हेतु मोटर वाहन कर में 50% की छूट है। अब यह छूट CNG Kit Retrofitment कराये जाने वाले वाहनों पर भी देय होगी।

- विगत वर्ष संभागीय क्षेत्र के संविदा परमिट (Contract Carriage Permit) जारी करने का प्रावधान किया जाकर ऑल राजस्थान परमिट की तुलना में मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी। इस छूट को बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।

- स्टेज कैरिज बसों के लिये माह अप्रेल से फरवरी तक नियमित रूप से मोटर वाहन कर जमा कराने पर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में देय मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- वर्तमान में R.C. Surrender की अधिकतम अवधि 90 दिवस है, जिसे बढ़ाकर एक कैलेण्डर वर्ष में 180 दिवस किया जाएगा।
- उद्योग संचालन को सुगम करने हेतु रीको क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से निरस्त भूखण्डों के बहालीकरण तथा वसूल किये जाने वाले शुल्क को भविष्य में तर्कसंगत बनाने के लिये एक नीति बनायी जायेगी।
- रीको क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन ई-निलामी के जरिये किया जाता है। अब, कुछ विशिष्ट श्रेणी के उद्योग यथा **Sunrise Sectors** के तहत **Anchor Investors, RIPS** के अन्तर्गत **Customized Package** के पात्र निवेशक एवं स्थानीय छोटे निवेशक आदि को विशेष जोन चिन्हित करते हुए सीधे आवंटन का प्रावधान भी होगा।
- गत वर्ष छोटे करदाताओं को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में माल के परिवहन हेतु e-way bill की अनिवार्यता सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख की गयी थी। इसी क्रम में, करदाताओं को व्यापार करने में सुविधा हेतु कतिपय वस्तुओं को छोड़कर अन्य माल के शहर के भीतर परिवहन पर 2 लाख रुपये सीमा तक e-way bill की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी।
- अधिकांश राज्यों के द्वारा लॉटरी को बंद कर दिया गया है परन्तु Online Games का जाल बिछा हुआ है। आज युवाओं एवं बच्चों में Online Games का प्रचलन बढ़ रहा है। 'Online Betting' को तो न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है, किन्तु Online Skill Based Games पर प्रतिबन्ध नही है। अभी अनेक Online Games बिना किसी नियंत्रण व Scrutiny के चल रहे हैं। इनको नियंत्रित तथा Regulate करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में Online Skill Based Games, Fantasy Games को नियंत्रित करने के लिये अधिनियम लाया जाएगा।
- वर्ष 2021-22 में नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्यसंयम हेतु "**स्वर्गीय श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान**" चलाने के लिये 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। आगामी वर्ष के लिये इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

राजस्व अर्जन करने वाले विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन संबंधी उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिये

I. दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी से पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय खोले जायेंगे;

II. पूर्णकालीन उप-पंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों एवं आम जनता की सुविधाओं हेतु प्रति कार्यालय 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की जायेगी तथा 11 उप पंजीयक एवं 2 उपमहानिरीक्षक कार्यालय भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जायेगा ;

III. प्रदेश के करदाताओं को वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर Faciliation की समुचित सुविधा मिल सके इस दृष्टि से 100 करोड़ रुपये से **Tax Facilitation and Support Centre** स्थापित किया जाएगा।

IV. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा एवं राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।

V. आबकारी थानों में सिपाहियों के 400 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती की जायेगी तथा राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 25 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा ; तथा

VI. जयपुर मुख्यालय पर परिवहन विभाग से संबंधित कार्य की अधिकता को देखते हुए एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। विभाग को Enforcement गतिविधियों एवं कुशलता बढ़ाने हेतु 50 वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे।

गत बजट में SSIPS (Social Security Investment Promotion Scheme) के रूप में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद वर्गों के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की अभिनव पहल की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुये सामाजिक सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से निम्नानुसार राहत दी जायेगी...

I. राज्य में नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों द्वारा प्रचलित DLC अथवा आरक्षित दर, जो भी कम हो, की 25 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कराने पर इन सम्पत्तियों के स्वामित्व हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान किया जाएगा।

II. कृषि भूमियों एवं उस पर आवासीय मकानों के विक्रय की स्थिति में कुएं एवं टयूबवैल का वर्तमान में मूल्यांकन जोड़कर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क लिया जाता है। ऐसे कुएं एवं टयूबवैल के मूल्य पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

III. दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करने के लिए उनके द्वारा क्रय वाहनों पर छूट दी जाएगी। इसके तहत...

a. दिव्यांगजन, जो पैर से अशक्त है, को Automatic Transmission वाले 10 लाख रुपये तक के चार पहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में शत् प्रतिशत छूट दी जायेगी; एवं

b. दिव्यांगजन के उपयोग में लिये जाने वाले Adapted, Retrofitted दुपहिया, तिपहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी जायेगी;

IV. मध्यम एवं निम्न आय वर्ग का स्वयं के आवास का सपना पूरा करने हेतु 100 वर्गगज तक के रिक्त या निर्मित आवासीय भूखण्डों पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दिये जाने की घोषणा की गई है।

V. साथ ही आमजन को स्वयं का कारोबार स्थापित करने हेतु 50 वर्गगज तक के रिक्त या निर्मित वाणिज्यिक भूखण्डों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी ;

VI. वर्तमान में पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के मामले में 10 लाख रूपये तक स्टाम्प ड्यूटी 5 सौ रुपये तथा उससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर 5 हजार रुपये है। अब, 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की पैतृक सम्पत्ति पर भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 5 सौ रुपये करने की घोषणा की गई है।

VII. गत बजट में पुत्र वधु के पक्ष में Gift Deed पर स्टाम्प ड्यूटी 2.5 प्रतिशत से घटाकर पुत्रियों के समान 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 1 लाख रुपये की गई थी तथा पोता–पोती, दोहिता–दोहिती के पक्ष में निष्पादित Gift Deed पर स्टाम्प ड्यूटी पूर्णतया माफ की थी। अब पुत्री एवं पुत्रवधू के पक्ष में Gift Deed के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा की गई है।

VIII. इसी प्रकार मार्च, 2019 में पत्नी के पक्ष में Gift Deed के दस्तावेज पर 31 मार्च, 2022 तक स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई थी। इस छूट को अब स्थाई रूप से दिया जाएगा।

IX. राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों द्वारा अचल सम्पत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।

X. वर्तमान में छोटे परिवार तथा देश–विदेश में रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण संताने अपने माता–पिता की सार–संभाल के लिये उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कतिपय मामलों में वृद्धजनों के आर्थिक संसाधन भी कम हो जाते है। ऐसे वृद्धजनों को बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा अचल सम्पत्ति को मार्गेज (Mortgage) रखकर ऋण की सुविधा दी जाती है। इस हेतु निष्पादित रिवर्स मोर्गेज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत्–प्रतिशत छूट देकर वृद्धजनों को राहत दिए जाने की घोषणा की गई है।

XI. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये विद्यार्थियों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

- **कोविड के कारण सभी वर्गों को हुई मुश्किलों को देखते हुए कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि करोना–काल में लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की गयी है।**

कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इसके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।

राजस्व प्राप्तियाँ	1 लाख 89 हजार 431 करोड़ 48 लाख रुपये
राजस्व व्यय	2 लाख 25 हजार 120 करोड़ 84 लाख रुपये
राजस्व घाटा	35 हजार 689 करोड़ 36 लाख रुपये
पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	1 लाख 29 हजार 697 करोड़ 20 लाख रुपये
पूंजी खाते में व्यय	93 हजार 973 करोड़ 41 लाख रुपये
पूंजी खाते में आधिक्य	35 हजार 723 करोड़ 79 लाख रुपये
कुल व्यय (बजट साईज) (मार्गोपाय अग्रिम सहित)	3 लाख 19 हजार 94 करोड़ 25 लाख रुपये
कुल व्यय (बजट साईज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित)	2 लाख 71 हजार 881 करोड़ 42 लाख रुपये

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण

राजस्व प्राप्तियाँ	2 लाख 14 हजार 977 करोड़ 23 लाख रुपये
राजस्व व्यय	2 लाख 38 हजार 465 करोड़ 79 लाख रुपये
राजस्व घाटा	23 हजार 488 करोड़ 56 लाख रुपये
पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	1 लाख 31 हजार 324 करोड़ 99 लाख रुपये
पूंजी खाते में व्यय	1 लाख 7 हजार 717 करोड़ 4 लाख रुपये
पूंजी खाते में आधिक्य	23 हजार 607 करोड़ 95 लाख रुपये
कुल व्यय (बजट साईज) (मार्गोपाय अग्रिम सहित)	3 लाख 46 हजार 182 करोड़ 83 लाख रुपये
कुल व्यय (बजट साईज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित)	2 लाख 94 हजार 182 करोड़ 83 लाख रुपये

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से जल जीवन मिशन का केन्द्रीयांश राज्य के Consolidated Fund में ना दिया जाकर सीधे कार्यकारी संस्था के Bank Account में दिए जाने के कारण वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान में तथा वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त होने वाली हिस्सा राशि शामिल नहीं है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान में 2 हजार 345 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये कम दर्शित हैं।

कृषि बजट

- वर्ष 2022-23 के लिये प्रदेश का प्रथम कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों का योजनावार एवं Budget मदवार विस्तृत विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- इस कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में समेकित निधि, राज्य की स्वायत्तशाषी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि रुपये 78 हजार 938 करोड़ 68 लाख का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान रखा गया है। यह राशि राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.92 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.68 प्रतिशत अधिक है। कुल कृषि बजट में से राशि रुपये 46 हजार 145 करोड़ 20 लाख समेकित निधि से व्यय की जावेगी, जो कि राज्य के बजट (मार्गोपाय अग्रिम रहित) रुपये 2 लाख 94 हजार 182 करोड़ 83 लाख का 15.69 प्रतिशत है।

राजस्व घाटा

- कोविड की दूसरी लहर अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक एवं तीसरी लहर दिसम्बर, 2021 से फरवरी, 2022 तक प्रभावी होने के कारण विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर पाबंदियां रहीं। इससे वर्ष 2021-22 के साथ-साथ वर्ष 2022-23 की राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ा।
- कोविड-19 की परिस्थिति में राजस्व प्राप्तियों में कमी के बाद भी पैट्रोल, डीजल पर तअढ सहित अन्य करों में छूट देते हुए आमजन को 7 हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की राहत का प्रावधान किया गया है। साथ ही, केन्द्र से प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि में वर्ष 2021-22 में लगभग एक हजार करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022-23 में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की कमी संभावित है।
- अत: वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राशि रुपये 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

राजकोषीय घाटा

- कोविड-19 के कारण सभी स्तरों पर अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 4 प्रतिशत (ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु 0.5 प्रतिशत सहित) निर्धारित की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में किये गये प्रावधान के अनुसरण में पूंजीगत कार्यो के लिए केन्द्र सरकार से लगभग रुपये 5 हजार करोड़ का ऋण प्राप्त होना संभावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष राज्य की कुल ऋण सीमा जीएसडीपी का 4.37 प्रतिशत है।
- केन्द्र सरकार ने राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र में निष्पादन (Performance) संबंधी कतिपय मानकों को पूरा करने पर वर्ष 2021-22 से 2024-25 के मध्य 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण अनुमत करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें राजकीय विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOMs) का घाटा वर्ष 2025-26 तक चरणबद्ध रूप से Takeover करना भी शामिल है। इस कारण वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर आना अनुमानित है।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि रुपये 58 हजार 211 करोड़ 55 लाख अनुमानित किया गया है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.36 प्रतिशत है एवं यह अनुमत सीमा 4.37 प्रतिशत से कम है। इसमें से 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सीमा की राशि लगभग रुपये 6 हजार करोड़ को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जायेगा। अत: इस राशि को राजकोषीय घाटे से कम करने पर प्रभावी राजकोषीय घाटा (कोविड-19 रहित) राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत से कम रहना संभावित है।

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रखा। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' (Fiscal Policy Strategy Statement) भी सदन में प्रस्तुत किये। अन्य बजट-पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की गयीं।
- उन्होंने बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ इसे प्रस्तुत करते समय यह विश्वास जताया कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों के बाद भी कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने वाले इस बजट को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने इस भावना ओर संकल्प को कुछ इन शब्दों में उद्घाटित किया:-

न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है।
हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का,
इसलिए अभी भी सफर जारी है।।

प्रस्तुत बजट 2022–23 पर सदन में सामान्य वाद विवाद पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 3 मार्च 2022 को दिए गए जवाब में की गई घोषणाएं इस प्रकार हैं...

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है। वर्तमान में राज्य के 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। आगामी वर्ष में श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर में भी मेडिकल कॉलेज शुरू किये जायेंगे।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से...

I. बीबीपुर, किराडा छोट्टा (निमलाई) (भादरा)–हनुमानगढ़ में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

II. उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा व नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे, **जो इस प्रकार हैं...**

उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

अजबपुरा (बानसूर)–अलवर, उवार–भरतपुर, सिणली जागीर (बालोतरा), मोड़ का निम्बाहेड़ा (आसींद)–भीलवाड़ा, पूनरास, सडू छोटी (बीदासर), राजपुरा (तारानगर)–चूरू, उदपुरा–चित्तौड़गढ़, महारिया (लालसोट), देलाड़ी, चांदेरा व खेड़ी (बांदीकुई)–दौसा, कैथरी (सैपऊ)–धौलपुर, जेठाना– डूंगरपुर, मेहरवाला (टिब्बी)–हनुमानगढ़, विजयपुरा, सुमेल, बगराना, डीडावता (माधोराजपुरा)–जयपुर, राजलानी (भोपालगढ़), खोपारड़ी, ननेऊ (फलौदी)–जोधपुर, बालवाड़ा (सायला), देताखुर्द–जालोर, खेड़ी (टोडाभीम)–करौली, मकराना–नागौर, फुलाद (मारवाड़ जंक्शन), जीवंद कला (रानी)–पाली, उमरगढ़, छापावाली (सादुलशहर) –श्रीगंगानगर।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

हरपुरा, खवास (केकड़ी)–अजमेर, साहडोली (रामगढ़), न्याणा (गोविन्दगढ़)–अलवर, संतरा (गिड़ा), खिंपसर (बायतू), मांगता, शौभाला (गुड़ामालानी)–बाड़मेर, रामसिंहपुर पालकी (नगर), घाटोली तिराहा (रूपवास)–भरतपुर, जालूपुरा (बिलाड़ा)–जोधपुर, दौलतपुरा (डीडवाना), जनाणा (खींवसर), चूडियास (डेगाना), गुलर (परबतसर)–नागौर, धुरासनी (सोजत)–पाली, सारोठ, अजीतगढ़ (भीम)–राजसमंद, छाण (खण्डार)–सवाई माधोपुर, पाटिया (नयागांव)–उदयपुर, जारगा (बसेड़ी)–धौलपुर, चिखली (चौरासी)–डूंगरपुर तथा पथाना (बुहाना), सोनासर (मलसीसर), वाहिदपुरा (मण्डावा), कांकरिया (खेतड़ी)–झुंझुनूं।

साथ ही, बहीर टोंक, कालाखोह (सिकराय)–दौसा व खीरियां (केकड़ी)–अजमेर में नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

III. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा, **जो इस प्रकार हैं...**

धुंधरी (केकड़ी)–अजमेर, हरलाना (राजगढ़), माजरी (बहरोड़), इटैडा (लक्ष्मणगढ़), कराना (बानसूर)–अलवर, कक्कू (नोखा)–बीकानेर, झील का बाड़ा (बयाना), ललिता मूडिया (वैर)–भरतपुर, सिद्धमुख–चूरू, राहुवास (लालसोट), बहरावण्डा (सिकराय)– दौसा, नादनपुर (बसेड़ी)–धौलपुर, धवली (शाहपुरा), आंतेला (विराट नगर), मोतीकटला–जयपुर, अलसीसर (मंडावा), सुल्ताना–झुंझुनूं, बापीणी (लोहावट), सामराऊ (ओसियां)– जोधपुर, बूटाटी (डेगाना), खुनखुना (डीडवाना)– नागौर, तलावड़ा (गंगापुर)–सवाई माधोपुर, चला (नीमका थाना)–सीकर, सागवाड़ा (खैरवाड़ा), बंबोरा (वल्लभनगर), भबराना (सलूम्बर)–उदयपुर व दत्तवास (निवाई)–टोंक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, नावां–नागौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहावट–जोधपुर में मातृ एवं शिशुरोग कल्याण केन्द्र शुरू किया जायेगा।

IV. अटरू–बारां, डेगाना–नागौर व नोहर–हनुमानगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. जयपुर के मोतीडूंगरी रोड स्थित मोबाइल सर्जिकल यूनिट को सेटेलाइट अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा।

VI. निम्बाहेड़ा–चित्तौड़गढ़ उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. बच्छरारा (रतनगढ़)–चूरू व बावड़ीखुर्द (फलौदी)–जोधपुर में आयुर्वेद औषधालय खोले जायेंगे।

शिक्षा एवं खेल

- English Medium स्कूलों में Pre-Primary **बाल वाटिकायें** आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में **एक हजार विद्यालयों में** Pre-Primary बाल वाटिकायें आरम्भ की जायेंगी। इसमें NTT Course किये हुए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस पर 50 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से **एपीजे अब्दुल कलाम Personality Development Programme** प्रारंभ किया जायेगा। इसके अंतर्गत, शिक्षा की दृष्टि से मेधावी एवं विभिन्न सह–शैक्षणिक गतिविधियों यथा–Debate, Essay competition, साहित्यिक गतिविधियों व सांस्कृतिक लोक कलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले **एक हजार विद्यार्थियों का चयन** कर उन्हें देश के अन्य राज्यों में exposure visit करवायी जायेगी तथा Exchange Programme में भेजा जायेगा।
- प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनकी समस्याओं का भी समुचित समाधान करने की दृष्टि से Private Educational Institutions Regulation and Facilitation Board का गठन किया जाएगा।

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं...

टांटोटी (केकड़ी)–अजमेर, टहला (थानागाजी)–अलवर, पूगल (खाजूवाला)–बीकानेर, चौरासी, रामसागड़ा–डूंगरपुर, पावटा–जयपुर, सांकड़ा (पोकरण), रामगढ़–जैसलमेर, कालन्द्री–सिरोही, हिन्दूमलकोट–श्रीगंगानगर, भचुण्डला–प्रतापगढ़, मण्डरायल (सपोटरा)–करौली, नेछवा (लक्ष्मणगढ़)–सीकर व चौथ का बरवाड़ा–

सवाई माधोपुर। साथ ही, दूदू-जयपुर, खींवसर-नागौर, प्रतापगढ़-अलवर, बड़ा गुढ़ा (सोजत)-पाली व फतेहपुर, श्रीमाधोपुर-सीकर में **राजकीय कन्या महाविद्यालय** खोले जायेंगे।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरोही व नागौर तथा राजकीय महाविद्यालय-उनियारा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर को स्नातक (यूजी) से स्नातकोत्तर (पीजी) में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, राजकीय महाविद्यालय, जामडोली-जयपुर में आधारभूत सुविधायें विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय एवं नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं...

I. राजकीय महिला महाविद्यालय बस्सी-जयपुर, देवगढ़- राजसमंद व तिजारा-अलवर में विज्ञान संकाय,

II. राजकीय महाविद्यालय बस्सी-जयपुर में वाणिज्य संकाय,

III. राजकीय महाविद्यालय तिजारा-अलवर में कला संकाय (गृह विज्ञान),

IV. राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल-जयपुर में इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र विषय, तथा

V. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय-बाड़मेर में पीजी स्तर पर Botany विषय शुरू किया जायेगा।

राजकीय तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने एवं बढ़ाने की दृष्टि से आगामी वर्ष **Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvement Scheme** लागू होगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक उन्नयन की परियोजनायें प्रस्तुत करने पर उन पर भी विचार कर स्वीकृति दी जा सकेगी। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

खमनोर-राजसमंद, मांडण (बहरोड़)-अलवर, कामां, वैर- भरतपुर, बगरू-जयपुर व भणियाणा (पोकरण), फतेहगढ़-जैसलमेर में आईटीआई खोली जायेंगी।

बायतू-बाड़मेर, गुड़ा (उदयपुरवाटी), मण्डावा-झुंझुनूं एवं किशनगढ़बास, तिजारा-अलवर में खेल स्टेडियम स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, रतनगढ़-चूरू के खेल स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम सहित अन्य आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

परिवहन

- गत वर्ष एवं इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में कोविड महामारी के चलते Tour Operators को हानि हुई है। अत: Indian Association of Tour Operators (IATO) तथा Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक मासिक मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी जाएगी।
- वर्ष 2021-22 में e-vehicles के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए 31 मार्च, 2022 तक ऐसे वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण करने का तथा दो पहिया एवं तिपहिया ई-वाहनों पर बैटरी क्षमतानुसार क्रमश: 5 से 10 हजार तथा 10 से 20 हजार रुपये तक का एकमुश्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की गई थी। अब SGST पुनर्भरण तथा एकमुश्त अनुदान की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

  टैक्सी/मैक्सी केब के गैर परिवहन यानों के रूप में Assignment होने पर अतिरिक्त कर नहीं लिया जायेगा।
- बेगूं-चित्तौड़गढ़ में नवीन उप परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।

युवा, रोजगार एवं उद्योग

- युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर राज्य में आगामी वर्ष में 3 हजार 300 लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में सहरिया, कथौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसकी निरन्तरता में आगामी वर्ष में भी इन्हें 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुन: अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ने के लिए **Rajasthan Foundation** के माध्यम से प्रेरित किया गया है। प्रवासी राजस्थानियों द्वारा राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में दिये जा रहे अमूल्य योगदान के दृष्टिगत विश्व के प्रमुख देशों में चरणबद्ध रूप से Rajasthan Foundation के Chapters शुरू किये जायेंगे। आगामी वर्ष Rajasthan Foundation के कार्य को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- ओसियां-जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा

- प्रदेश में असंगठित क्षेत्रा के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी/ठेले वालों तथा परम्परागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास एवं समग्र कल्याण हेतु **Labour Welfare Board** का गठन किया जाएगा।
- इन्दिरा रसोई योजना के अंतर्गत किसी भी दानदाता द्वारा यदि नि:शुल्क अथवा सस्ती दर (Token Price) पर अपने स्वयं के खर्चे पर गरीबों हेतु खाने की व्यवस्था की जाती है, तो सरकार द्वारा इन भोजनालयों के संचालन के लिए बिजली, पानी सहित नि:शुल्क भवन उपलब्ध कराया जायेगा।

राज्य में स्वयं सहायता समूहों के विस्तार एवं इनके सदस्यों की आय में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से...

I. 50 हजार नवीन स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 5 लाख 50 हजार ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

II. Revolving Fund d Community Investment Fund के रूप में 300 करोड़ रुपये तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी।

III. सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व दौसा जिलों में **ग्रामीण हाट एवं सुविधा केन्द्रों** की स्थापना की जायेगी।

तिंवरी (ओसियां)-जोधपुर, नाथद्वारा-राजसमंद व सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति बालक छात्राावास, भणियाना (पोकरण)-जैसलमेर, सेडवा-बाड़मेर में अम्बेडकर छात्राावास, बेगूं-चित्तौड़गढ़ में देवनारायण

बालक छात्रावास, धौलपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्राावास व अभे का पार (रामसर)-बाड़मेर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे।

- राज्य के समस्त राजकीय एवं अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्राावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ ही वृद्ध आश्रम, बेघर व्यक्तियों के गृह आदि में मैस भत्ते की राशि को एक समान करते हुए दो हजार 500 रुपये प्रति विद्यार्थी, आवासी प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही राजकीय छात्रावासों में मैस व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार हेतु आधुनिक उपकरण, डायनिंग टेबल एवं कुर्सी आदि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

जन सहभागिता योजना के तहत राज्य की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं विकास हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

आधारभूत संरचना

- वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ रुपये की नॉन पेचेबल, क्षतिग्रस्त तथा 3 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक स्वीकृत करने की घोषणा की गई थी। इसे संशोधित करते हुए प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 करोड़ रुपये की नॉन पेचेबल सड़कें, मिसिंग लिंक स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं अन्य आधारभूत कार्य लगभग **1 हजार 147 करोड़ रुपये** की लागत से करवाये जाना प्रस्तावित हैं, **ये कार्य हैं...**

क्र.सं.	सड़क	लागत
1	झुंझुनूं के ग्राम समसपुर एवं ग्राम इस्लामपुर में बाईपास सड़क निर्माण	6 करोड़ रुपये
2	खाटूश्यामजी से सालासर धाम को जोड़ने के लिए खूड से सेवद बड़ी 34 किलोमीटर सड़क का निर्माण	20 करोड़ रुपये
3	ऊंटोली-कोहराना-जखराना-जटगांवड़ा-नायसराना -अकलीमपुर हरियाणा सीमा तक (अलवर)	15 करोड़ 50 लाख रुपये
4	एनएच-8 से जैनपुरबास पहाड़ी अपटू बबेडी तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (अलवर)	12 करोड़ रुपये
5	लक्ष्मणगढ़ में खुड़ी रसदीपुरा से भुमा छोटा वाया खेरू मणासीया से बादुसर तक सड़क निर्माण (सीकर)	8 करोड़ रुपये
6	रामपुर मेवाडा (बिछीवाड़ा)-डूंगरपुर में कोडियागुण बांध के ओटे में पुलिया निर्माण	7 करोड़ 10 लाख रुपये
7	छक-52 से हुवालिया-पगारा-औधन्धा-काछोला-नरसिंहपुरा-टिच का बरडा-मेण्डी (छक-148 डी) तक 31 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य (हिण्डोली)	31 करोड़ रुपये
8	खैरवाड़ा-उदयपुर में जवास सुवेरी मार्ग पर स्थित सोम नदी पर पुलिया निर्माण	6 करोड़ रुपये
9	करौली में बालाजी से बामनवास वाया टोडाभीम, दलपुरा-रायसना मेगा हाईवे निर्माण	140 करोड़ रुपये
10	पीपल्दा-कोटा में अन्थड़ा से बनकाखेड़ा सम्पर्क सड़क का निर्माण	2 करोड़ 97 लाख रुपये
11	मोनापुरा जिला सीमा से हुड़ला सीमा एनएच-21 वाया गढ़हिम्मतसिंह सड़क का निर्माण (महवा)-दौसा	20 करोड़ रुपये
12	टामटिया से मोरेन नदी पर पुलिया में सड़क झकड़ा गांव छवि तक (डूंगरपुर)	2 करोड़ 60 लाख रुपये
13	शाहपुरा जयपुर में बिशनगढ़ से नायन सड़क निर्माण व तीन वेंटेड कोजवे निर्माण कार्य	2 करोड़ 80 लाख रुपये
14	विराटनगर कुहाड़ा मोड से वाया पापड़ा, बड़ा काकराणा, खाला की ढत्राणी, तालूकाबास की छींड, तालूकाबास, पांछूडाला की छींड, सितोपसिंहपुरा, भोजावास, भांकरी, चौबाला, पाथरेड़ी, चौकी राजनोता रोड, भालोजी मोड़ तक एमडीआर 251 (33 किमी.)	33 करोड़ रुपये
15	पिलानी-सूरजगढ़-बुहाना-पचेरी हरियाणा सीमा तक सड़क मरम्मत एवं उन्नयन कार्य (पिलानी-झुंझुनूं)	52 करोड़ 50 लाख रुपये
16	करौली के हिण्डौन शहर के रेलवे ओवरब्रिज से कोतवाली पुलिस थाना हिण्डौन सिटी तक सड़क निर्माण कार्य	19 करोड़ रुपये
17	लोरवाड़ा से महेशरा वाया दोबड़ा खुर्द सड़क निर्माण कार्य मय वेन्टेड कॉजवे (बनास नदी)-सवाई माधोपुर	28 करोड़ 40 लाख रुपये
18	अंता-सांगोद राज्य उच्च मार्ग 51ए (22 किमी.)	9 करोड़ 60 लाख रुपये
19	बबाई-हरडिया-सेफरागवार-कांकरिया-जोधपुरा-बागोली-पंचलगी-झड़ाया (खेतड़ी) सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	23 करोड़ 40 लाख रुपये
20	सपोटरा-कैलादेवी की 16 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	16 करोड़ रुपये
21	सपोटरा-मांगरोल-गोठरा-गेरई-सैमरदा-काशीपुरा-घुराकर 12 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य (करौली)	12 करोड़ रुपये
22	खारडा-रानी से विजोवा-रानी की 15 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (मारवाड़ जंक्शन-पाली)	15 करोड़ रुपये
23	अरनोद गोतमेश्वर मंदिर तक सड़क सुदृढ़ीकरण-प्रतापगढ़	4 करोड़ रुपये
24	जस्टाना, बौंली, निवाई रोड (स्टेट हाइवे-117) 32.40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जायेगा (बामनवास-सवाई माधोपुर)	56 करोड़ 35 लाख रुपये
25	झील-मिलकपुर रोड से लहचोरा कलां (बयाना)-भरतपुर को जोड़ने वाली नॉन पेचेबल सड़क का पुनर्निर्माण	37 लाख रुपये
26	सीकर शहर में स्थित आरओबी (नवलगढ़ पुलिया) की चौड़ाई दो लेन से बढ़ाकर 4 लेन करने का कार्य	45 करोड़ रुपये

27	भुसावर बाईपास का निर्माण (भुसावर-छोंकरवाड़ा सड़क एट कंचनपुरा से वैर-भुसावर सड़क वाया ईटामडा, मूसेपुर)-भरतपुर	33 करोड़ 50 लाख रुपये
28	बगड़ी-महारिया-खुर्रा-मण्डावरी कृषि मण्डी तक एवं रीको एरिया से जमात तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लालसोट)-दौसा	31 करोड़ रुपये
29	आगासडी से उनरोड तक सड़क निर्माण कार्य (शिव)-बाड़मेर	3 करोड़ 20 लाख रुपये
30	स्टेट हाईवे सवाई माधोपुर से होकर खण्डार से करणपुर (करौली) तक सड़क निर्माण कार्य (बहरावण्डा-खण्डार-बालेर-करणपुर सड़क एसएच 123 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य)	60 करोड़ रुपये
31	सांभरिया बराला, हनुमानपुरा सड़क पर ढूंढ नदी में पुलिया निर्माण सहित सड़क निर्माण कार्य (बस्सी)-जयपुर	9 करोड़ 50 लाख रुपये
32	डूण्डलोद से टिटनवाड रोड वाया कारी, जाखल रोड (जाखल बाईपास सहित) एमडीआर 312 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (नवलगढ़, उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं	45 करोड़ रुपये
33	मेहंदीपुर बालाजी से बामनवास वाया रायसना, टोडाभीम, दलपुरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (महवा,टोडाभीम, बामनवास)-दौसा	90 करोड़ रुपये
34	एसएच 29ए बासड़ी मोड़ से अलवर सीमा तक लिंक रोड, सैंथल वाया बीनावाला सहित सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण एवं एमडीआर-152, सींगवाड़ा से नांगल बैरसी वाया एनएच 121 सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (दौसा)	10 करोड़ रुपये
35	मिसिंग लिंक रोड सोप से पचाला (देवली-उनियारा)	2 करोड़ 40 लाख रुपये
36	धवा से हरसोलाव वाया नोखा चान्दावता-रोल चान्दावता मिसिंग लिंक की 20 किलोमीटर सड़क	6 करोड़ रुपये
37	भदाणा-झाड़ीसरा-जोधियासी-रोहिणी सड़क (28किलोमीटर) (नोखा)-नागौर	28 करोड़ रुपये
38	चौमूं पुरोहितान से शाहपुरा ठिकरिया, होद से बरसिंगपुरा, अठबीघा से सुन्दरदास जी-सलबाड़ी,	6 करोड़ रुपये
39	महावा से जोरा मीणा की ढाणी (7 किलोमीटर) (नीम का थाना)-सीकर	7 करोड़ रुपये
40	एसएच-60 जायल-दूगोली-खाबडियाना (21 किलोमीटर) (जायल-नागौर)	21 करोड़ रुपये
41	रामगढ़ से कालापट्टा विलेज सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य मय पुलिया (बारां)	5 करोड़ 60 लाख रुपये
42	जालोर से बागौरा सड़क का निर्माण (सायला)-जालोर	25 करोड़ रुपये
43	विराट नगर में जौधूला स्कूल से वाया राडावास होते हुए दौलाज तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण	8 करोड़ रुपये
44	कुशालीपुरा में कमलेश्वर महादेव वाया टोडरा सड़क का निर्माण (खण्डार)-सवाई माधोपुर	50 करोड़ रुपये
45	भीम-राजसमंद में देवगढ़ से 40 मील चौराया एनएच-8 की 25 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	25 करोड़ रुपये
46	मेड़ता रोड से बूटाटी सड़क का सुदृढ़ीकरण-नागौर	12 करोड़ रुपये
47	झामरी से धाडका तक पुलिया निर्माण (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा	8 करोड़ 50 लाख रुपये
48	राजा के नंगला से सालेपुर, बाड़ी रोड घटिया से चौराहा सैपऊ तक व बाड़ी रोड सैपऊ से बसेड़ी रोड तक सीसी सड़क कुल 6 किलोमीटर	10 करोड़ रुपये
49	बड़ी सादड़ी-छोटी सादड़ी-नीमच रोड एसएच-15 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये

प्रदेश के विभिन्न शहरों में बाईपास, सड़क व ब्रिज निर्माण कार्यों हेतु DPR बनायी जानी प्रस्तावित है, ये कार्य हैं ...

क्र.स.	बाईपास सड़क एवं ब्रिज निर्माण कार्य (DPR)
1	मण्डावरी (लालसोट)-दौसा में बाईपास निर्माण
2	डीग-कुम्हेर में बाईपास का निर्माण
3	गुढ़ा-जयपुर वाया किशोरी-सिघला-तिबारा-झिरी आंधी-रामगढ़ (SH-55) आंधी बाईपास (2.5 किलोमीटर) का निर्माण
4	भादरा शहर-हनुमानगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज का निर्माण
5	मेड़ता रोड-नागौर रेलवे फाटक (101) पर आरओबी निर्माण
6	गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर में आरयूबी निर्माण हेतु डीपीआर

प्रदेश के विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे, **जो इस प्रकार हैं...**

I. कपिल सरोवर-कोलायत के जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण के कार्यों के साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. सवाई माधोपुर शहर में कोतवाली के पास से राजबाग लटिया नाले के एक तरफ सुरक्षा दीवार मय सीसी सड़क निर्माण के साथ पार्क व वॉकिंग ट्रेक का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, हम्मीर सर्किल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। इस पर 45 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

III. हिण्डोली-बूंदी की रामसागर झील का सौन्दर्यीकरण करते हुए

साईकिल ट्रेक व पार्क का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु 15 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

IV. जोधपुर में क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में वॉक पथ एवं परिसर का 13 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाया जायेगा।

V. बाड़मेर नगर परिषद् क्षेत्रा में सीवरेज कार्य करवाया जायेगा।

VI. बेगूं-चित्तौड़गढ़, सुजानगढ़-चूरू, मकराना, डीडवाना-नागौर तथा मुकुन्दगढ़-झुंझुनूं में बारिश व गंदे पानी की निकासी व ड्रेनेज सिस्टम हेतु उझ्ठ बनायी जायेगी।

पेयजल एवं भूजल

आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न पेयजल योजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे, **ये कार्य हैं...**

I. खो-नागोरियान-जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 133 करोड़ 24 लाख रुपये लागत से कार्य करवाया जायेगा।

II. जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड, जयपुर के आस-पास के क्षेत्र हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 184 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

III. पृथ्वीराज नगर, जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना, फेज प्रथम, स्टेज-द्वितीय एवं फेज-द्वितीय का 600 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

IV. शहरी जल योजना, दौसा के संवर्धन हेतु 126 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

V. महवा शहरी जल योजना के संवर्धन हेतु 62 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

VI. नवगठित नगरपालिका थानागाजी-अलवर में ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर 21 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत आयेगी।

VII. ईसरदा बांध परियोजना से जमवारामगढ़ में पानी लाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

VIII. बिलाड़ा-जोधपुर में दातिवाड़ा परियोजना के अंतर्गत देवलिया ग्राम से जोलेजी फोजदारा तक बड़ी पाईप लाइन जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की क्प्त बनायी जायेगी।

IX. बस्सी-जयपुर की ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

X. झोटवाड़ा-जयपुर के उद्योग नगर क्षेत्रा में पेयजल हेतु 2 हजार किलोलीटर क्षमता की टंकी बनाकर जलप्रदाय की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XI. लक्ष्मण डूंगरी-जयपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु वर्तमान जल प्रणाली में सुधार किया जायेगा। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XII. ब्लॉक रोहट-पाली में पेयजल की व्यवस्था हेतु लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर से रोहट-पाली तक पाईप लाईन का कार्य किया जायेगा।

XIII. गुडामलानी एवं चौहटन-बाड़मेर के 7 ब्लॉकों की 1 हजार 42 बस्तियों में 425 आरओ प्लांट लगाये जाकर शुद्ध पीने योग्य जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु 120 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XIV. शहरी जल योजना भिण्डर-उदयपुर का 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्गठन किया जायेगा।

XV. श्रीमाधोपुर-सीकर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कार्य हाथ में लिया जायेगा।

- वर्ष 2013-14 तथा अब वर्ष 2019-20 के बजट में बाड़मेर जिले के चौहटन, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना व सिणधरी के 889 गांवों तथा झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ के 921 गांवों व इनकी ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना लागू करने की घोषणा की गई थी। अब 4 हजार 765 करोड़ रुपये का JICA से ऋण लेते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस परियोजना की तकनीकी DPR अंतिम चरण में है। शीघ्र ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर आगामी वर्ष में प्राथमिकता से कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- वर्ष 2021-22 के बजट में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खण्डेला, दातारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीम का थाना के शेष रहे 864 गांव व 13 कस्बों तथा झुंझुनूं जिले की तहसील चिड़ावा, नवलगढ के 269 गांव एवं 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना की नई BSR के अनुसार लगभग 8 हजार 780 करोड़ रुपये की संशोधित DPR अंतिम चरण में है। इस परियोजना के लिए IGNP के साथ-साथ यमुना से जल उपलब्धता भी आवश्यक रहेगी। जिसके लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना का कार्य प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- भादरा, नोहर तथा तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों के लिए सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए Technical Assessment सर्वे एवं Viability हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाये जाने की बजट घोषणा की गयी थी। पूर्व में इस क्षेत्रा में फिजिबिलिटी के कई बिन्दु सामने आये। अब विशेषज्ञों द्वारा Assess कर बतायी गई Feasibility के आधार पर इन गांवों की सिंचाई के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिये जायेंगे। इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क को 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति में शत् प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा की गई है।

- राज्य में भू-जल के समुचित उपयोग तथा राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा हेतु **भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण** का गठन किया जायेगा।
- कठूमर-अलवर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नवीन अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोला जायेगा

ऊर्जा

- राज्य में विद्युत वितरण निगमों के वित्तीय लेखांकन, पदार्थ प्रबंधन, मानवीय संसाधन प्रबंधन तथा अन्य कार्यों के लिए उद्यम संसाधन आयोजना (ERP) लागू करने की घोषणा की गई है जिस पर लगभग 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु...

I. शिव-बाड़मेर में 220 केवी जीएसएस स्थापित किया जायेगा।

II. फुलवारा-भरतपुर व मुकाम (नोखा), दामोलाई (खाजूवाला) - बीकानेर में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. सैंथली, पीपरोली (रामगढ़), सिलीबावड़ी (थानागाजी), सुरेर (राजगढ़)-अलवर व सालरिया (रानी)-पाली में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

IV. हथोज-जयपुर, गडरारोड़ (शिव), आडेल (गुड़ामलानी)-बाड़मेर में सहायक अभियंता (विद्युत) व सिकराय-दौसा में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण

- राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक-एक इको-टूरिज्म **लव-कुश वाटिका** विकसित करने की घोषणा की गई है। इसमें आनासागर झील-**अजमेर**; चूहड़ सिद्ध घाटी-**अलवर**; सवाई माता-**बांसवाड़ा**; शाहबाद-**बारां**; जूनापत्रासार - **बाड़मेर**; मांडेरा रूंध-**भरतपुर**; भड़क, छत्रीखेड़ा-**भीलवाड़ा**; जोडबीड -**बीकानेर**; भीमलत-**बूंदी**; मोहर मगरी-**चित्तौड़गढ़**; श्याम पांडिया, तारानगर-**चूरू**, गोल (मेन)-**दौसा**; दमोह वाटरफॉल-**धौलपुर**; रतनपुर, बिछीवाड़ा-**डूंगरपुर**; धन्नासार बरानी-**हनुमानगढ़**; नईनाथ बांसखोह - **जयपुर**; कनोई-**जैसलमेर**; सुंधा माता-**जालोर**; बड़बेला तालाब-**झालावाड़**; मनसा माता-**झुंझुनूं**; माचिया-**जोधपुर**; कैलादेवी नेचर कैम्प-**करौली**; आवली रोजड़ी-**कोटा**; गोगेलाव-**नागौर**; खोबागुड़ा, देसूरी-**पाली**; गोतमेश्वर, लालगढ़-**प्रतापगढ़**; रूप नगर, झीलवाड़ा-**राजसमंद**; विजयगढ़, बौंली-**सवाई माधोपुर**; हर्ष पर्वत-**सीकर**; राजलदाबेला-**सिरोही**; 3 एमएसडी डाबला-**श्रीगंगानगर**; बीसलपुर-**टोंक** एवं माछला मगरा-**उदयपुर** सम्मिलित किये जायेंगे।
- वर्ष 2021-22 के बजट में सीवरेज सुविधा से वंचित 50 शहरों में Faecal Sludge Treatment Plants (FSTP) स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी, जिन पर तीव्र गति से कार्य प्रगतिरत है। इसी क्रम में आगामी वर्ष 600 करोड़ रुपये की लागत से 68 शहरों में FSTPs स्थापना व संबंधित कार्य किये जायेंगे, **जो इस प्रकार हैं...**

क्र.सं.	जिला	शहर
1	अजमेर	सरवाड़
2	अलवर	खेरली, राजगढ़, किशनगढ़बास, तिजारा
3	बांसवाड़ा	परतापुरगढ़ी
4	बारां	मांगरोल
5	भरतपुर	भुसावर, कुम्हेर, नदबई, नगर, वैर, डीग, कामां
6	भीलवाड़ा	जहाजपुर, गंगापुर, शाहपुरा
7	बीकानेर	देशनोक
8	बूंदी	कापरेन, केशोरायपाटन, नैनवा, इंद्रगढ़
9	चित्तौड़गढ़	बेगूं, कपासन
10	चूरू	छापर
11	धौलपुर	बाड़ी
12	दौसा	महवा, बांदीकुई, दौसा
13	हनुमानगढ़	पीलीबंगा
14	जयपुर	विराटनगर, चौमूं, जोबनेर, शाहपुरा
15	जालोर	जालोर
16	जैसलमेर	पोकरण
17	झालावाड़	अकलेरा
18	झुंझुनूं	बिसाऊ, मुकुन्दगढ़, सूरजगढ़
19	जोधपुर	फलौदी
20	करौली	टोडाभीम, करौली
21	कोटा	ईटावा, कैथून, सांगोद
22	नागौर	कुचेरा, मुंडवा, नावां
23	पाली	बाली, फालना, तख्तगढ़
24	प्रतापगढ़	छोटी सादड़ी
25	राजसमंद	आमेट, देवगढ़
26	सीकर	खाटूश्यामजी, रींगस, नीमका थाना
27	सिरोही	पिंडवाड़ा
28	श्रीगंगानगर	पदमपुर, श्रीकरणपुर, श्रीबिजय नगर, सूरतगढ़
29	टोंक	देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह
30	उदयपुर	भीण्डर, कानौड़

- **जोधपुर** के MDM चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय व कमला नेहरू वक्ष एवं क्षय चिकित्सालय; **उदयपुर** के टीबी बड़ी चिकित्सालय, खेमराज कटारा चिकित्सालय व सुंदरसिंह भंडारी चिकित्सालय (अम्बा माता); **अजमेर** के जेएलएन चिकित्सालय व जनाना चिकित्सालय तथा **झालावाड़** के एसआरजी चिकित्सालय में 27 करोड़ रुपये की लागत से Sewerage Treatment Plants (STPs) स्थापित किये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों में **बूंदी** जिले की अभयनाथ, नागर-सागर का कुण्ड, भावल्दी, मीरा गेट, मालनमासी, शुक्ल बावड़ी, बोहराजी का कुण्ड, मनोहर बावड़ी, क्लब बावड़ी, अनार कली की बावड़ी व पुलिस लाईन की बावड़ी; **कोटा** जिले की बडगांव बावड़ी, खडे.गणेश जी **जयपुर** जिले की पन्ना मीना का कुण्ड व गोनेर बावड़ी; **दौसा** जिले की झाझीरामपुरा, भद्रावती- भाण्डारेज तथा **टोंक** जिले की टोडारायसिंह की बावड़ियों का 20 करोड़ रुपये की लागत से पुनरूद्धार किया जायेगा।
- राणा हम्मीर की स्मृति में सवाई माधोपुर में **राणा हम्मीर पेनोरमा**, अदम्य

साहस और स्वाभिमान के धनी दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में जोधपुर में **वीर दुर्गादास पेनोरमा** तथा **गोविन्द गुरू की कर्मस्थली** छाणी मगरी-डूंगरपुर में पेनोरमा के निर्माण कराये जायेंगे। इन पर 12 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

- नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस राजस्थान की कला एवं संस्कृति के Face के रूप में स्थापित है, विशेषकर इसकी आर्ट गैलेरी का अपना विशेष महत्व है। इसकी विरासत को दृष्टिगत रखते हुए 15 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर हाउस के उन्नयन एवं विकास के कार्य करवाये जायेंगे।
- ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा करने वाले एवं गोवर्धन जी जाने वाले श्रद्धालुओं हेतु यात्री विश्राम स्थलियों सहित अन्य आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी। साथ ही, डीग महल-भरतपुर में लाईट एवं साउंड शो की व्यवस्था की जायेगी।
- वर्ष 2021-22 में धार्मिक नगरी, पुष्कर के पवित्र सरोवर में बारिश के पानी के साथ गंदगी को जाने से रोकने संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु डीपीआर बनाये जाने की घोषणा की गई थी। जिसके तहत प्रथम चरण में लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से वराह घाट चौक, ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता ढाणी स्थित Sump तक Drain का कार्य किया जायेगा। जयपुर की विश्व विरासत-चारदीवारी क्षेत्रा की हवेलियों, भवनों आदि के संरक्षण, रखरखाव एवं प्रबंधन कार्य हेतु जयपुर हैरिटेज फंड बनाया जाकर आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।
- खण्डेला-सीकर में छोटा पाना एवं बड़ा पाना की छतरियां, चारोडा धाम तालाब परिसर, गोपी नाथ मंदिर व टिनगरिया हनुमान मंदिर के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।
- कैलादेवीजी मंदिर, झील का बाड़ा (बयाना)-भरतपुर के मंदिर परिसर एवं तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।
- साथ ही, भैरव जी मंदिर-बांसवाड़ा व गोरेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास कार्य भी करवाये जायेंगे। इन पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- विज्ञान को Night Sky Astro Tourism के माध्यम से आम जन से जोड़ने एवं इसके प्रचार हेतु राज्य के समस्त जिलों एवं जयपुर में प्रमुख 4 पर्यटक स्थलों, पार्कों एवं बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में उच्च स्तरीय रिज्योल्यूशन के टेलिस्कोप स्थापित किये जायेंगे।

गृह

- सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में सुविधाओं का विस्तार करते हुए आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ नेशनल फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, गुजरात का ऑफ केम्पस खोला जायेगा।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु...

I. कैलादेवी (सपोटरा)-करौली व विराट नगर-जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

II. बगड़ तिराया (रामगढ़)-अलवर, जसोल (पचपदरा)-बाड़मेर, सिरोही सदर-सिरोही, अलसीसर (मंडावा), मेहाड़ा (खेतड़ी)-झुंझुनूं, माधोराजपुरा (चाकसू)-जयपुर, मामचारी (सपोटरा)-करौली एवं नासिरदा (देवली)-टोंक में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे।

III. टिमेड़ा बड़ा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, पीह (परबतसर)-नागौर, छाण (खंडार)-सवाई माधोपुर, मिथोद (पीपल्दा)-कोटा व सेवर (बाड़ी)-धौलपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेंगी।

- प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालयों पर स्थित 150 पुलिस थानों में से 108 सीआई (CI) स्तर के पुलिस थाने हैं। आगामी वर्ष शेष रहे SI तक के पुलिस थानों को भी सीआई (CI) स्तर के थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा। (वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के समस्त थानों को सीआई स्तर का बनाने के लिए शेष रहे उप निरीक्षक स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है) **आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में...**

I. चौहटन-बाड़मेर व घड़साना-श्रीगंगानगर में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

II. नागौर में **विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट)** खोला जायेगा।

III. ओसियां-जोधपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. सीकर में **एन.आई. एक्ट न्यायालय** खोला जायेगा।

V. धोद-सीकर, मसूदा-अजमेर, पीपलू-टोंक, सरमथुरा-धौलपुर, बिलाड़ा- जोधपुर व सलूम्बर-उदयपुर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

सुशासन

- प्रदेश में, आम जन को ई-मित्र के माध्यम से घर के नजदीक 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इसमें विस्तार करते हुए निजी क्षेत्र की लगभग 200 अन्य जन उपयोगी सेवाएं यथा ई-कामर्स, ई-शिक्षा, कृषि क्षेत्र एवं चिकित्सा परामर्श आदि भी ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेंगी।
- 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी एवं अवकाशों के बदले नकद भुगतान की गणना उनके सेवानिवृत्ति के समय महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से किया जाएगा। इस पर लगभग 400 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आयेगा।
- कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि को 5 अक्टूबर, 2018 के आदेश से असाधारण अवकाश के रूप में ही स्वीकृत कर उक्त अवधि को Qualifying Service हेतु अमान्य करने के निर्णय को बदलकर कार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को Qualifying Service के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत नकद लाभ उनकी स्क्रीनिंग की तिथि से देय था। इन संस्थानों के शिक्षकों की मांग को देखते हुए 01 जनवरी, 2018 एवं इसके पश्चात् देय सी.ए.एस. पदोन्नति का लाभ पात्रता की तिथि से नकद दिया जाएगा।

प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु...

I. देचू (लोहावट)-जोधपुर व जोबनेर-जयपुर में नवीन उपखण्ड

कार्यालय खोले जाएंगे।

II. फागी-जयपुर में राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प कोर्ट) न्यायालय खोला जायेगा।

III. निर्झरना (लालसोट)-दौसा, डेह (जायल)-नागौर, तलावड़ा (गंगापुर सिटी), बरनाला (बामनवास)-सवाई माधोपुर, धोद, पाटन (नीमकाथाना)-सीकर व झल्लारा-उदयपुर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. मिर्जापुर (अंता)-बारां, पांचू (नोखा), दंतोर (खाजूवाला), जसरासर (नोखा)-बीकानेर, सुवाणा, टोंकरवाड़-भीलवाड़ा, हमीरवास बड़ा (राजगढ़)-चूरू, पिलानी-झुंझुनूं व धुंवाकलां (देवली)-टोंक में उप तहसील खोली जायेंगी।

V. नये जिले बनाने के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों मांग पत्रों के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नये जिलों के लिए 6 माह में अभिशंषा देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- प्रदेश में हम्मीरगढ़-भीलवाड़ा, रानीवाड़ा-जालोर, मनोहरपुर- जयपुर, बालेसर-जोधपुर एवं गुढा (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं, सेमारी(खैरवाड़ा)-उदयपुर को नगर पालिका बनाया जायेगा। साथ ही, पोकरण- जैसलमेर नगर पालिका को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, बगड़ी (सोजत)-पाली को पंचायत समिति बनाया जायेगा।
- राज्य के विभिन्न सेवा संवर्गों यथा पुलिस कानिस्टेबल, हेड कानिस्टेबल, जेल प्रहरी, होम गार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ, आबकारी विभाग के कार्मिकों आदि को देय मैस भत्ते की राशि में 01 अप्रेल, 2022 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- प्रदेश में गत 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा अनेक निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करवाये जा सके हैं। आगामी वर्ष में ऐसी सभी निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों में चरणबद्ध रूप से चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

- प्रदेश में तिजारा-अलवर, शाहबाद-बारां, गुडामालानी-बाड़मेर एवं सवाई माधोपुर में **कृषि महाविद्यालय** खोले जायेंगे। साथ ही, जोबनेर-जयपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा व श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) के कार्यालय खोले जायेंगे।
- जैविक उत्पादों, जैविक सब्जियों के उत्पादन एवं विक्रय को प्रोत्साहन देने के उेश्य से कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद एवं अन्य कृषि जिन्स को क्रय कर कॉनफेड व सहकारी उपभोक्ता भंडार के डिपार्टमेंटल स्टोर, रिलायन्स स्टोर, डी-मार्ट स्टोर, मेट्रो स्टोर आदि ग्रोसरी स्टोर्स पर विक्रय कराने की व्यवस्था की जायेगी।
- खरपतवार वृद्धि की रोकथाम एवं फसलों की कतारों के बीच मृदा की नमी को बनाये रखने के लिए 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग लगायी जायेगी।
- आगामी वर्ष में, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचशाला (Panch-Shala) योजना के अंतर्गत पौधशाला (Nursery) कार्यशाला (Work-Shade), निर्माणशाला (Building Material Production Centre), पशुशाला व पोषणशाला (Nutri-Centre) के 50 हजार से अधिक कार्य किए जायेंगे।

तिजारा-अलवर, शाहबाद-बारां, गुडामालानी-बाड़मेर एवं सवाई माधोपुर में खुलेंगे कृषि महाविद्यालय।

निजी क्षेत्र की 200 अन्य जनोपयोगी सेवायें ई-मित्र के माध्यम से होंगी उपलब्ध।

- किसानों की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- गीजगढ़-दौसा व रेलमगरा-राजसमंद में कृषि उपज मण्डी खोली जायेंगी। साथ ही, छतरगढ़ (खाजूवाला)-बीकानेर की गौण मंडी को कृषि उपज मण्डी घोषित किया जायेगा।
- परेऊ (गिड़ा)-बाड़मेर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा। पदमपुरा, चिड़ासन (चिड़ावा)-झुंझुनूं व आसपुर (नावां)-नागौर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
- Veterinary शिक्षा में अधिक से अधिक छात्रा प्रोत्साहित होकर जुड़ सकें, इस दृष्टि से वर्तमान में देय Stipend 3 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 14 हजार रुपये किये जाने की घोषणा की गई है।
- वर्ष 1954-55 में निर्मित माधोपुर ब्यास लिंक तथा माधोपुर ब्यास क्रीक की विशेष रिपेयर का कार्य पंजाब सरकार के माध्यम से करवाया जाएगा। इससे रावी नदी का अतिरिक्त पानी स्थापित क्षमता 10 हजार क्यूसेक के अनुसार इंदिरा गांधी नहर फीडर के माध्यम से प्रदेश को प्राप्त हो सकेगा।
- चंबल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- सवाई माधोपुर मुख्यालय पर नाले पर एनिकट रवांजना डूंगर का निर्माण किया जायेगा।
- सादुलशहर-श्रीगंगानगर में पक्के खालों का निर्माण किया जायेगा। डूंगरपुर में अपर घोड़ी तालाब की दायीं एवं बायीं नहरों की मरम्मत एवं अधूरी नहरों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।
- दुल्हेपुरा (खण्डेला)-सीकर में डब्ल्यू.एच.एस. के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
- जनजाति क्षेत्र के कृषकों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से 50 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से लगभग एक हजार 500 हेक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 21 मार्च 2022 को विधानसभा सदन में वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिए गए उद्बोधन के दौरान की गयी घोषणाएं...

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर मेडिकल कॉलेजों में Cath Labs स्थापित होंगी।
- शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों और अल्प आय वर्ग के मोहल्लों में आमजन को अपने घर के नजदीक त्वरित एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुलभ कराने हेतु 13 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित। अब सरकारी धनराशि से 135 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित होंगे जिनमें से आगामी वर्ष, 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लीनिकों की स्थापना पर 200 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- राज्य वित्त आयोग से Covid Health Assistance एवं Covid Health Consultants के लिए आगामी वर्ष से राशि नहीं ली जायेगी तथा एक Medical Health Volunteer Force का गठन किया जाएगा।
- प्रत्येक मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञों को केरेटोप्लास्टी का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं आगामी वर्ष में 5 हजार कॉर्निया कलेक्शन कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए...

I. गुन्दली (किशनगढ़)-अजमेर, फागणियां, गेणियां (गंगरार)-चित्तौड़गढ़, डाहर (चाकसू)-जयपुर व खुमानपुरा (खमनोर)-राजसमंद में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

II. उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निम्नानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन होगा व नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे...

a. **उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र...**

भादला, साधाखर, आडसर (नोखा), नगरासर (बज्जू)-**बीकानेर**; हरपालिया (चौहटन)-**बाड़मेर**; भटवाड़ा (मांगरोल)-**बारां**; बड़ी सरवा (कुशलगढ़)-**बांसवाड़ा**; बरखेड़ा (वैर), न्योठा (नदबई)- **भरतपुर**; हड़ला, हिंगोटा (महवा), काली पहाड़ी, बनियाना, लाहड़ी का बास-**दौसा**; मंडोर (फागी), निमेना, बैसावा (जोबनेर), काशीपुरा, लालगढ़ (बस्सी), गोविंदपुरा धाबाई (विराटनगर)-**जयपुर**; सिलासन (रानीवाड़ा)-**जालोर**; मंडला कलां (लोहावट), पाल (लूणी), दईजर (मण्डोर)-**जोधपुर**; भामरवासी (चिड़ावा), लालपुर-**झुंझुनूं**; खुईयाला (सम), खींया-**जैसलमेर**; निनाण (भादरा)-**हनुमानगढ़**; गोविन्दी (नावां), भींचावा (मकराना), दधिमती (जायल)-**नागौर**; कोशीवाड़ा (खमनोर)-**राजसमंद**; काछवा (नेछवा), बठोठ (लक्ष्मणगढ़), रामपुरा, कांसरडा, कोटडी धायलान (खंडेला)-**सीकर** व चकेरी, खिलचीपुर-**सवाई माधोपुर**।

b. **नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र...**

ककराली, पूनखर-**अलवर**; सत्तासर (खाजूवाला), अमरपुरा, तलाई (पूगल), गोसाईसर (डूंगरगढ़)-**बीकानेर**; कनाना (पचपदरा), बीजराड (शिव)-**बाड़मेर**; सजनाबाद (आसींद), बरडोद (सहाड़ा)-**भीलवाड़ा**; बंजारी (छबड़ा)-**बारां**; घाटका बराना-बूंदी; सिमसिया (रतनगढ़), बायला, आसपालसर (सरदारशहर)-**चूरू**; बसई, भालोजी (कोटपूतली), पीपला (माधोराजपुरा), जाटावाली (चौमूं)-**जयपुर**; पालासनी (बिलाड़ा)-**जोधपुर**; शीलगांव, करणू (खींवसर)-**नागौर**; गोठरा, डाबरा, चंदेलीपुरा (सपोटरा), गुनेसरा, खेड़िया-**करौली**; दरियाटी, सरथुना (चौरासी)-**डूंगरपुर**; कोट सोलंकियान (देसूरी)-**पाली**; डूमरा, कसेरू (नवलगढ़)-**झुंझुनूं**; बिहार (नीमकाथाना)-**सीकर**; पीपलवाड़ा, पीलू खेड़ा (बामनवास)- **सवाई माधोपुर**; देवली (उनियारा), सिरोही (निवाई)-**टोंक** व ढिकवास (खैरवाड़ा), अग्गड़ (लसाड़िया) -**उदयपुर**।

III. **पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन...**

जखराना (बहरोड़)-**अलवर**; रेलावन (किशनगंज)-**बारां**; नमाना- **बूंदी**; पथैना (वैर)-**भरतपुर**; जोधियासी (जायल)-**नागौर**; दाउदसर (रतनगढ़)-**चूरू**; गढ़ (सिकराय), छारेड़ा-**दौसा**; रामगढ़ (आसपुर)-**डूंगरपुर**; ताला (जमवारामगढ़), साखून (दूदू)- **जयपुर**; झाझड़ (नवलगढ़)-**झुंझुनूं**; सूरवाल-**सवाई माधोपुर**; टोड़ा (श्रीमाधोपुर), बीबीपुर (फतेहपुर)-**सीकर** व चांवड (सलूम्बर) **उदयपुर**।

IV. भट्टा बस्ती-जयपुर में डिस्पेंसरी खोली जायेगी।

V. राजाखेड़ा-धौलपुर,श्रीकोलायत-बीकानेर, मांडल-भीलवाड़ा व नावां-नागौर में उप जिला चिकित्सालय खोले जायेंगे।

VI. लालसोट-दौसा, भीम-राजसमंद, सीकर व खण्डेला-सीकर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र शुरु किए जायेंगे।

VII. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर-जयपुर को सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VIII. गंगरार-चित्तौड़गढ़ में ट्रोमा सेंटर खोला जायेगा।

IX. ताऊसर-नागौर में आयुर्वेद औषधालय खोला जायेगा।

X. सदरी (लोहावट)-जोधपुर में होम्योपैथी औषधालय शुरू होगा।

- रूस एवं यूक्रेन के मध्य चल रही समस्या के कारण प्रदेश के भी कई छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस राजस्थान आना पड़ा। प्रदेष के छात्रों को प्रदेष में ही मेडिकल की पढाई के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने व वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार हेतु नई नीति लाई जाएगी।
- 'शुद्ध के लिए युद्ध' सतत अभियान के लिए Directorate of Food Safety स्थापित किया गया है। आमजन को उचित रूप से दवाइयों की प्राप्ति को भी सतत् अभियान में जोड़ा जाएगा। Food Safety निदेशालय एवं Drug Control संगठन का आमेलन करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर **Food Safety and Drug Control Commissionerate** स्थापित होगा।
- अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की Society के तत्वाधान में Pilot Basis पर नाथद्वारा-राजसमंद में **Medi-Tourism Wellness Centre** संचालित होगा।

- वर्ष 2010 में पीबीएम अस्पताल–बीकानेर में निर्मित Cardiovascular Sciences Centre को जनसहयोग के माध्यम से **Cardiovascular Centre of Excellence** के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में 6 स्नातक (यू.जी.) विभागों को स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों में क्रमोन्नत कर 50 बेड क्षमता की वृद्धि होगी।

शिक्षा

- आगामी वर्ष 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही, 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय, संकाय प्रारंभ होंगे।
- Right to Education Act (RTE) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक फीस का पुनर्भरण इन्दिरा महिला शक्ति निधि से होगा। इससे प्रतिवर्ष 18 हजार से अधिक बालिकायें लाभान्वित होंगी। इस हेतु 18 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान रहेगा।
- पारिवारिक एवं अन्य कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा सकने वाली किशोरियों व महिलाओं को Distance Education के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए '**बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना**' लागू की जाएगी। इसके अन्तर्गत UG, PG, Diploma, Certificate Courses आदि हेतु देय शुल्क के पुनर्भरण पर 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- प्रदेश के 254 विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ होंगे।
- अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को Digital Learning का लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए e-library एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु...

I. **राजकीय महाविद्यालय** खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

बिजयनगर, रूपनगढ़–**अजमेर**; नीमराना–**अलवर**; आनन्दपुरी–**बांसवाड़ा**;नाहरगढ़ (किशनगंज)–**बारां**; सिद्धमुख (सादुलपुर)–**चूरू**; पाल देवल–**डूंगरपुर**; आंधी (जमवारामगढ़), किशनगढ़ रेनवाल–**जयपुर**; टिब्बी, रावतसर–**हनुमानगढ़**; बुहाना–**झुंझुनूं**, रेवतड़ा–**जालोर** व कुराबड (वल्लभनगर)–**उदयपुर**।

II. **कन्या महाविद्यालय** खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

बड़ौदा मेव–**अलवर**; सिवाना–**बाड़मेर**; केलवाड़ा (किशनगंज), छबड़ा–**बारां**; माण्डल–**भीलवाड़ा**; झालाटाला (वैर), डीग– **भरतपुर**; बस्सी–**चित्तौड़गढ़**; मरैना (राजाखेड़ा)–**धौलपुर**; गंगापोल–**जयपुर**; लोहावट–**जोधपुर**; पांचला सिद्धा (खींवसर)–**नागौर**; अलसीसर (मंडावा), मंड्रेला–**झुंझुनूं**; कटकड़–**करौली**; शिवगंज–**सिरोही**; मित्रापुरा (बामनवास) – **सवाई माधोपुर** व निवाई–**टोंक**।

III. जमवारामगढ़–जयपुर, राजगढ़–अलवर में नवीन विषय; बाली–पाली, फागी, विराटनगर–जयपुर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय व नावां–नागौर, होद (खण्डेला)–सीकर में विज्ञान संकाय सहित 50 महाविद्यालयों में नवीन संकाय एवं विषय प्रारंभ होंगे।

IV. विराटनगर–जयपुर, पोकरण–जैसलमेर व सराडा (सलूम्बर)–उदयपुर सहित 25 महाविद्यालय पीजी में क्रमोन्नत होंगे।

V. संस्कृत महाविद्यालय, कोटकासिम–अलवर नियमित राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित होगा।

- सिकन्दरा (सिकराय), बांदीकुई–दौसा, पीपलू (निवाई)–टोंक एवं मलारना डूंगर–सवाई माधोपुर में देवनारायण बालिका छात्रावास, फलौदी–जोधपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास, दौसा व नगर–भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, लोहावट–जोधपुर, सरमथुरा–धौलपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास तथा छबड़ा–बारां, दरियाटी (चौरासी)–डूंगरपुर में जनजाति बालक छात्रावास खोले जायेंगे। साथ ही, करेड़ा (माण्डल)–भीलवाड़ा, छबड़ा–बारां, गुढ़ा पोंख (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं, नोहर–हनुमानगढ़ में सावित्री बाई फूले छात्राावास प्रारंभ होंगे।
- हिण्डोली–बूंदी, हमीरगढ़–भीलवाड़ा, सावा–चित्तौड़गढ़, टोडाभीम–करौली, निवाई–टोंक व सराडा (सलूम्बर)–उदयपुर में आईटीआई केन्द्र खुलेंगे।
- गांधीनगर एवं सांगानेर–जयपुर स्थित महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आगामी वर्ष से Non-Engineering स्नातक पाठ्यक्रम यथा Fine Arts, Visual Arts, Textile Designing एवं Fashion Designing प्रारंभ होंगे।
- सरकारी स्कूलों में 2 लाख बालिकाओं को आगामी वर्ष **रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान** के तहत Self Defence का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- '**शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय**' के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आदि पर 5 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

साथ ही, प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से...

I. खादी क्षेत्र के कामगारों के लिए **खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना** लागू कर लगभग 20 हजार खादी कामगारों को लाभांवित किया जाएगा। जिस पर आगामी वर्ष 18 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. कोटा, जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कत्तिन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए Training Centers शुरू होगा।

युवा, खेल एवं रोजगार

- महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में **महिला कॉपरेटिव बैंक – राजस्थान महिला निधि** की स्थापना राजीविका के माध्यम से की जाएगी। इसके माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह का समस्त कार्य राजीविका के माध्यम से ही कराया जाएगा।
- आदिवासी बाहुल्य एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक इकाइयों को RIPS-2022 में विशेष पैकेज दिया जाएगा।

- आगामी वर्ष में ग्रामीण ओलम्पिक्स के आयोजन के साथ-साथ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता होगी। इस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- ग्रामीण ओलम्पिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत Contractual Cadre के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।
- ओलम्पिक, एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए आगामी वर्ष से **Sports Person Pension योजना** लागू होगी जिसमें खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी।

राज्य में खेल सुविधायें विकसित करने एवं शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से...

I. माउंट आबू-सिरोही में साहसिक (Adventure) खेलों के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से Adventure Sports Training and Mountaineering Centre स्थापित होगा।

II. प्रत्येक जिला स्टेडियम में Open Gym स्थापित होंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम-जयपुर व बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम-जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर State of the Art Gym & Fitness Centres स्थापित होंगे जिस पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

III. उमरैण-अलवर में खेल स्टेडियम का निर्माण एवं कुचामन-नागौर व बूंदी के खेल स्टेडियम में विकास कार्य करवाये होंगे।

सामाजिक सुरक्षा

- गाडोलिया, बन्जारा, कालबेलिया, भोपा नायक, गाड़िया लुहार, पारदी, भेड़कुट, रैबारी, मोगिया, सिकलीगर, सीगडीवाल, रंगास्वामी (शनि महाराज के भक्त), नाथ, भाण्ड, राणा, बाजीगर, गुजराती, बागरिया, सांसी, कंजर, जंगलिया इत्यादि समुदाय के उत्थान एवं पुनर्वास हेतु इन्हें नवजीवन योजना में सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा एवं इनकी बस्तियों में शिक्षा के प्रसार पर विशेष कार्य होंगे।
- गाड़िया लोहारों के लिए संचालित महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को **70 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपये** कर दिया गया है। गाड़िया लोहारों के लिए स्वरोजगार हेतु कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में **5 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये** कर दिया गया है।
- राज्य में SC, ST, OBC, MBC व EBC के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए लागू अम्बेडकर DBT वाउचर योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।
- दैनिक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर विशेष योग्यजन को पेंशन राशि के अतिरिक्त **1 हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता** दी जाएगी।
- प्रदेश के ऐसे NFSA परिवार, जिनके सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा नि:शक्त होने के कारण स्वयं राशन लेकर आने में असमर्थ हैं, उनको राशन की **नि:शुल्क door step delivery** के लिए योजना लागू की होगी जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आगामी वर्ष **5 हजार नई राशन की दुकानें** खोली जाएंगी।
- राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील के अन्तर्गत आगामी वर्ष से सप्ताह में 2 दिवस Powder Milk का उपयोग कर दूध उपलब्ध करवाया जायेगा। इस पर **500 करोड़ रुपये** व्यय होंगे।
- बिजली से वंचित 43 हजार 60 आंगनबाड़ी केन्द्रों का आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण विद्युतीकरण होगा। जिस पर 21 करोड़ 53 लाख रुपये एक मुश्त तथा मासिक विद्युत व्यय हेतु प्रावधान रहेगा।
- **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना** के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये की लागत से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराइजेशन, Furniture व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण होगा।

वन एवं पर्यावरण

- Wildlife Surveillance परियोजना के अंतर्गत वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु झालाना, सरिस्का, रणथम्भौर तथा मुकुन्दरा में की गई व्यवस्था का विस्तार कर संरक्षित क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। इस पर 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने के लिए डीपीआर बनेगी।

प्रदेश में सीवरेज एवं कचरे की समस्या के समुचित निस्तारण के लिए...

I. कोटपूतली-जयपुर, नोखा-बीकानेर, केशोरायपाटन-बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा-बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं भरतपुर में **1 हजार करोड़ रुपये** की लागत से सीवरेज व अन्य कार्य करवाये जायेंगे।

II. रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, पीपाड़ सिटी (बिलाड़ा)-जोधपुर में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य होंगे। साथ ही, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य हेतु डीपीआर बनेगी।

III. सपोटरा में पानी भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नाले का निर्माण व अन्य कार्य होंगे।

IV. शहरों में गीले कचरे (Liquid Waste) को process कर बायोगैस, मिथेन के उत्पादन पर 125 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

V. समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से solid एवं liquid waste management सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

आधारभूत संरचना

कच्ची बस्ती के आवासियों को राहत प्रदान करने हेतु...

I. सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कटऑफ डेट 15.08.2009 से बढ़ाकर 31.12.2021 कर दी गई है।

II. पट्टे अहस्तान्तरणीय होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में यह प्रावधान किया गया है कि पट्टा जारी होने के 10 वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तांतरणीय हो सकता है। इस 10 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष कर दिया गया है।

III. 110 वर्गगज से 200 वर्गगज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर, जो भी कम हो, की 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त भाग का पट्टा दिया जा सकेगा। वर्तमान में जारी '**प्रशासन शहरों के संग**' अभियान की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 किया कर दी गई है।

प्रदेश में लगभग 1 हजार 260 करोड़ रुपये लागत से कराये जाने वाले सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं अन्य कार्य...

क्र.	सड़क	लागत
1	डिगोर राज्य राजमार्ग-62 से गजानंद चौराहा तक सड़क (मारवाड़ जंक्शन)-पाली	11 करोड़ रुपये
2	कुचामन, हिराणी, भांवता, इंदौखा, कांकरिया, भूणी, मुआना, राजलिया, सुरेरा सड़क (नागौर)	40 करोड़ रुपये
3	धरियावद-सलूम्बर-बेड़ावल एमडीआर-12बी सड़क (प्रतापगढ़,उदयपुर)	14 करोड़ रुपये
4	करड़ रेनवाल सड़क से दातारामगढ़ वाया मुण्डली, सेप्टों की ढाणी, मीणों की ढाणी सड़क का निर्माण-सीकर	1 करोड़ 94 लाख रुपये
5	बरसलपुर ब्रांच के समानान्तर सड़क (48 किलोमीटर)-बीकानेर	24 करोड़ रुपये
6	देहली गेट चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण-उदयपुर	30 करोड़ रुपये
7	स्टेट हाईवे पुनरूद्धार एवं मरम्मत- रामगढ़ से गोविन्दगढ़ हाईवे (रामगढ़) - अलवर	9 करोड़ रुपये
8	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 पाट-आमझरिया तक सड़क (चित्तौड़गढ़)	3 करोड़ 23 लाख रुपये
9	केसुन्दा से भाटखेड़ा सड़क-चित्तौड़गढ़	13 करोड़ रुपये
10	बिजवामाता मेन रोड रघुबावसी से बोडका तक सड़क (आसपुर)-डूंगरपुर	5 करोड़ रुपये
11	देवदा से नारणावास सड़क (आहौर)-जालोर	2 करोड़ 40 लाख रुपये
12	देवता-छारदड़ा-बखराना-चिमनपुरा-निहालपुरा-बड़िवा वाली ढाणी (एमडीआर) तक सड़क (कोटपूतली)-जयपुर	8 करोड़ रुपये
13	बालासिन्दुर से पाडला (शक्करवाडा एवं चनावला) पुलिया निर्माण (कुशलगढ़) -बांसवाड़ा	8 करोड़ 50 लाख रुपये
14	डूंगरपुर से देवसोमनाथ (शिवजी मन्दिर) तक सडक (डूंगरपुर)	15 करोड़ रुपये
15	खिरणी (हरसोता) एमडीआर 233 से काकरिया जिला बॉर्डर सवाई माधोपुर वाया मामडोली-झनून-पीलूखेड़ा-कांकरिया तक सडक (29 किमी.) (बामनवास) -सवाईमाधोपुर	33 करोड़ 25 लाख रुपये
16	बामनवास से दांतासूती जिला सीमा तक वाया बडीला ठिकरिया तक सडक (18.75 किमी.) (बामनवास) -सवाईमाधोपुर	22 करोड़ रुपये
17	डहरा से नदबई फोर लेन सड़क मार्ग (9 किमी.) (नदबई) -भरतपुर	20 करोड़ रुपये
18	बाखासर रोड़ से सरूपें का तला तक सड़क (चौहटन) -बाड़मेर	16 करोड़ 50 लाख रुपये
19	बालूखाल से अमलावदा अली वाया मौखमपुरा एमडीआर 267 तक सडक (7.50 किमी.) (अन्ता) -बारां	24 करोड़ रुपये
20	कुलथाना से जाजली- भावगढ़- चुपना- कोटड़ी-जीरावता- भचुण्डला- सेवना -सालमगढ़ तक सड़क (50 किमी.) -प्रतापगढ़	50 करोड़ रुपये
21	बीबासर से बाबा गुलाबगिरी स्थल तक सड़क-झुन्झुनूं	2 करोड़ 60 लाख रुपये
22	रामगढ़ पारडाथुर खलील तक सड़क - डूंगरपुर	4 करोड़ 50 लाख रुपये
23	कनोडिया से बोसी तक सड़क (आसपुर) - डूंगरपुर	2 करोड़ रुपये
24	हनुमान परोलिया से सगडिया तक सड़क (3 किमी) (आसपुर)- डूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
25	बलीचा सीमा से तेजात फला माडविया तक सड़क-डूंगरपुर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
26	एस.एच. 55 से रायपुर- महंगोर-चैनपुरा-दारोलाई-प्रतापगढ अलवर सीमा तक सड़क (23.50 किमी) (जमवारामगढ़) - जयपुर	15 करोड़ 50 लाख रुपये
27	नायला से राहोरी-पापड-जमवारामगढ-नरपतियावास-नांगल तुलसीदास-बासना तक सड़क (जमवारामगढ़) - जयपुर	25 करोड़ रुपये
28	स्टेट हाईवे 52 से पडाक छापली तक सड़क (थानागाजी) - अलवर	60 लाख रुपये
29	महंगी भावनी रोड से नटाटा-जैतपुर-चौकीवाला कालैड- टिगरिया-मोरडी का घाटा-जोगियों की ढ़ाणी-बामनवास चौगान तक सड़क (थानागाजी) - अलवर	15 करोड़ 20 लाख रुपये
30	कोंडर मोड से मासलपुर तक सड़क -करौली	48 करोड़ रुपये
31	तीन बड से वाया मेडिकल कॉलेज व ग्राम भीकमपुरा तक सड़क - करौली	22 करोड़ रुपये
32	सुखसिंह का बास से हमीरपुरा वाया चौपड़ा की ढाणी तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला) - सीकर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
33	पिपलीवाली ढ़ाणी से सुन्दरदास बाबा वाया करोई केरपुरा तक सड़क (5 किमी.) (खण्डेला) - सीकर	2 करोड़ रुपये
34	लाखनी मोड़ से सोथलिया वाया पावंडा की ढ़ाणी तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला) - सीकर	2 करोड़ रुपये
35	गिरधारी सिंह का बास से ज्ञानपुरा तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला) - सीकर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
36	फतेहपुरा से निमेड़ा-खदुन्दरा तक सड़क (8 किमी.) (खण्डेला) - सीकर	2 करोड़ 60 लाख रुपये
37	भगवानपुरा चौराहा-करेड़ा-निम्बाहेड़ा जाटान सड़क (भीलवाड़ा)	12 करोड़ 40 लाख रुपये
38	शिवनगर-भोजनगर, खिरोड-मीलों का बास-भगेरा-घोडीवारा से सांगासी मांडासी-नोजी की ढाणी श्यामपुरा-देवगढ़ नूआं, तोगडा-शिशिया-डाबडी बलोदा-देलसर, चेलासी से जेजूसर वाया जेलदार कुआं-कुमावास सड़क निर्माण (नवलगढ़)-झुंझुनूं	21 करोड़ रुपये
39	हंसास-भालोठ-चूड़िना सड़क निर्माण (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	22 करोड़ रुपये
40	डाबिच से डीडावता सड़क (माधोराजपुरा)-जयपुर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
41	कासिर से गोठियाना तक सड़क (किशनगढ़)-अजमेर	2 करोड़ 80 लाख रुपये
42	सुनगर से निमोठा सड़क (4 किलोमीटर) (केशोरायपाटन)-बूंदी	3 करोड़ 30 लाख रुपये
43	बलकासा से ओहडी (5 किलोमीटर) (केशोरायपाटन)-बूंदी	3 करोड़ 90 लाख रुपये
44	जालोर से बागरा 4 लेन डिवाइडर का निर्माण (18 किलोमीटर)-जालोर	53 करोड़ 22 लाख रुपये
45	सूरजपुरा चौराहा से कपासन तक 12 किलोमीटर सड़क का दोहरीकरण-चित्तौड़गढ़	10 करोड़ 80 लाख रुपये

46	जोगरास से पांसल (रायपुर सुवाणा)-भीलवाड़ा	42 करोड़ रुपये
47	बाबई से मोतीनगर सड़क मय पुलिया (केशोरायपाटन)-बूंदी	3 करोड़ 40 लाख रुपये
48	सरमथुरा से नादनपुर के मध्य पुल निर्माण (बसेड़ी)-धौलपुर	10 करोड़ रुपये
49	भादरा से आदमपुर सड़क-हनुमानगढ़	35 करोड़ रुपये
50	मलसीसर से टमकोर सड़क (मंडावा)-झुंझुनूं	16 करोड़ रुपये
51	नवलगढ़ से बीबासर 30 किलोमीटर सड़क (नवलगढ़)-झुंझुनूं	41 करोड़ 67 लाख रुपये
52	गुढ़ा चन्द्रजी से बिन्दौरी के बालाजी (टोडाभीम)-करौली	2 करोड़ 20 लाख रुपये
53	बागोली से ठिकरिया वाया गुहाला कोठरी एमडीआर-276 सड़क (खण्डेला)-सीकर	40 करोड़ 30 लाख रुपये
54	शहीद चूनाराम स्मारक-पचारों की ढाणी-बाबा बोगन पीर धाम अलखपुरा बोगन-लोठ स्मारक बठोठ तक सड़क-सीकर	10 करोड़ 24 लाख रुपये
55	अलखपुरा गोदारान-अंजनी माता मंदिर जुलियासर वाया दिनवा जाटान-धाननी-भगासरा पूर्व तक सड़क-सीकर	10 करोड़ 8 लाख रुपये
56	राज्य राजमार्ग-48 राणी छाणी 2 लेन सड़क निर्माण (खैरवाड़ा)-उदयपुर	41 करोड़ 14 लाख रुपये
57	देवीसागर-दांतीणा-अखासर (वाया कटारियों की ढाणी)-रोहिड़ा डेर-झाड़ेली-धोलियाडेर-तुरकीया नाडा (वाया डुडियों, रावों, जाखड़ों व कुन्दणों की ढाणी)-उन्ना नाड़ी तक सड़क का निर्माण-नागौर	20 करोड़ रुपये
58	इन्दावड-खाखड़की-गेमलियावास-समन्दोलाव-डुकिया-चून्दिया-चावण्डिया-जैसास-लाम्पोलाई सड़क, मिसिंग लिंक सड़क-नागौर	20 करोड़ रुपये
59	लाम्बिया से देवगढ़ (मांडल)-भीलवाड़ा	5 करोड़ 2 लाख रुपये
60	धनूरी से लूटू (मंडावा)-झुंझुनूं	10 करोड़ रुपये
61	मानवास से लॉज डोईवाली (नारायणपुर)-अलवर	3 करोड़ रुपये
62	खरखड़ी से ढाणी खटिकान से बुर्जा की आखिरी ढाणी (नारायणपुर)-अलवर	1 करोड़ 75 लाख रुपये
63	ठेकला की ढाणी से बाढ़ वाला की ढाणी तक होते हुए स्टेट हाईवे 52 तक (थानागाजी)-अलवर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
64	नगला वीधौरा (बाड़ी) से बसेड़ी के मध्य नदी पर पुल-धौलपुर	25 करोड़ रुपये
65	बाड़ी-बसेड़ी मुख्य सड़क के नहर के किनारे होते हुए ग्राम कुहावनी से डबोकपुरा व हुसैनपुरा तक सड़क (बाड़ी)-धौलपुर	4 करोड़ 47 लाख रुपये
66	बास परसा से देवमड ढाणी मित्रापुरा सड़क वाया करो की ढाणी बैरवा बस्ती तक सड़क (बामनवास)-सवाई माधोपुर	6 करोड़ 50 लाख रुपये
67	डोकन से जीलो वाया भीतरों कालाकोटा सड़क (नीमकाथाना)-सीकर	5 करोड़ 2 लाख रुपये
68	ग्राम हाड़ी खुर्द से राय रामपुरा सड़क-टोंक	1 करोड़ 50 लाख रुपये
69	अलवर-बहरोड़ सड़क एसएच-14 से जागूवास (अलवर)	1 करोड़ 20 लाख रुपये
70	बरडोद से जलालपुर सड़क-अलवर	1 करोड़ रुपये
71	महाराजवास से कोहराना सड़क (बहरोड़)-अलवर	30 लाख रुपये
72	जैतपुरा से सिरसोखुर्द से मध्यप्रदेश सीमा तक (किशनगंज)-बारां	60 करोड़ रुपये
73	मंडरायल से करौली के सांकरा मोड़ से शिकारगंज तक सड़क (सपोटरा)-करौली	22 करोड़ रुपये
74	रामनगर के हाईवे से मंगाल तक सड़क-बूंदी	2 करोड़ 50 लाख रुपये
75	सूनगर से निमोठा तक सड़क-बूंदी	3 करोड़ 30 लाख रुपये
76	मांगता-शौभाला-उड़ासर-जैतमाल फांटा-सनावड़ा गुढ़ा (गुड़ामलानी)-बाड़मेर	14 करोड़ रुपये
77	सरणू-चिमनजी-निम्बलकोट-आडेल-धोलानाड़ा-नगर सड़क (गुड़ामलानी)-बाड़मेर	25 करोड़ रुपये
78	प्रतापगढ़ से वरमंडल-गरदोड़ा-कल्याणपुरा-मचलाना-बड़ोदिया -बागलिया मध्यप्रदेश सीमा तक (40 किमी.)-प्रतापगढ़	40 करोड़ रुपये
79	रोटेदा से मंडावरा तक सड़क चौड़ाईकरण (पीपल्दा)-कोटा	12 करोड़ रुपये
80	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 से मण्डा-खाटू (दातारामगढ़)-सीकर	11 करोड़ रुपये
81	हामुसर से सिकराली (सरदारशहर)-चूरू	1 करोड़ 30 लाख रुपये
82	बरजांगसर से गोलसर (सरदारशहर)-चूरू	2 करोड़ रुपये
83	सेहला से दाउदसर (रतनगढ़)-चूरू	1 करोड़ 24 लाख रुपये
84	तोलियासर से खुड़ी (रतनगढ़)-चूरू	1 करोड़ 50 लाख रुपये
85	गोपालगढ़ से कटीघाटी वाया पापड़दा चैनवाड़ा सड़क-भरतपुर	15 करोड़ रुपये
86	वाण-कैलाशनगर सड़क से बिलेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण (2 किलोमीटर)-सिरोही	98 लाख रुपये
87	कोटपुरा-बिचोला, परसोदा, लालू का पुरा, लाठवावाली माता, राधेपुरा, श्रीपाल की गढ़ी, कसियापुरा, बाजना, जवाहर का पुरा, दगरा, बरसला, खोड, पक्कापुरा से शंकरपुरा (27 किलोमीटर) (राजाखेड़ा)-धौलपुर	11 करोड़ रुपये
88	विजयपुरा-बगराना-सुमेल में सड़कों के निर्माण (कुल 15 किलोमीटर) (बस्सी)-जयपुर	8 करोड़ रुपये
89	लाडनूं में बस स्टेण्ड से अस्पताल-जावा बास से गोपालपुरा तक सड़क-नागौर	3 करोड़ रुपये
90	बालेर से करणपुर तक सड़क(23 किलोमीटर) (सपोटरा)-करौली	23 करोड़ रुपये
91	गुमाना का बास से तारपुरा हवाई पट्टी सड़क कार्य (7 किलोमीटर) -सीकर	5 करोड़ रुपये

- जयपुर में इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा-जयपुर से बस्सी तक की सड़क का 50 करोड़ रुपये लागत से जेडीए द्वारा व उदयपुर में पुलां चौराहे से फतेहपुर चौराहे होते हुए सुखाड़िया सर्किल तक एलीवेटेड रोड का 120 करोड़ रुपये की लागत से यूआईटी द्वारा निर्माण करवाया जायेगा। बीकानेर शहर के कोट गेट एवं सांखला गेट फाटक की समस्या के समाधान हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।
- राजगढ़-अलवर में LC-142 पर आरयूबी के स्थान पर आरओबी व श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में नारसीसर से कुचौर रास्ते में आरयूबी का निर्माण होगा। चूरू में सिद्धमुख-चागड़ा व भौजान-हमीरवास में आरयूबी निर्माण हेतु डीपीआर बनेगी। इसके अतिरिक्त, काठूवास (नीमराणा)-अलवर में फुट ओवरब्रिज व बयाना-भरतपुर में अंडर पास का निर्माण होगा।
- गांधीनगर-जयपुर स्थित ओल्ड ट्रांजिट हॉस्टल कैम्पस के पुराने 40 क्वार्टर्स को dismantle कर प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों का निर्माण होगा। इस पर 44 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- सालम सागर तालाब (पोकरण)-जैसलमेर का सौन्दर्यन व विकास कार्य होंगे। अजमेर में आनासागर स्कैप चैनल की पुलिया का निर्माण होगा।
- अंता-बारां में बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण में खाड़ी का चौड़ाईकरण, सौन्दर्यीकरण मय पुलिया, प्रोटेक्शन वॉल सहित कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, बारां-अटरू शहर में भी बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ होगा।

पेयजल एवं भूजल

- **जनता जल योजना** के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए इन योजनाओं को PHED विभाग को दिया जाएगा।
- जयपुर शहर में चारदीवारी एवं अन्य क्षेत्रों में जर्जर पाइप लाइन तथा उपभोक्ता जल कनेक्शन बदलने व संवर्द्धन कार्यों पर 283 करोड़ रुपये व्यय होंगे। हवामहल के नजदीक स्थित नालों को ढकने के कार्य हेतु डीपीआर बनेगी।
- हमेरा बांध-चित्तौड़गढ़ से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 16 करोड़ रुपये की लागत के कार्य होंगे।
- बगड़ी (सोजत)-पाली में कनिष्ठ अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय तथा मालाखेड़ा-अलवर, आंधी (जमवारामगढ़)-जयपुर,गंगरार-चित्तौड़गढ़ व लोसल (धोद)- सीकर में सहायक अभियंता (पीएचईडी) कार्यालय खोले जायेंगे।

ऊर्जा

- प्रदेश Renewal Energy के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। भविष्य में निवेशकों द्वारा Power उत्पादन का एक हिस्सा प्रदेश को ही मिले, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।

ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु...

I. मनियां (राजाखेड़ा)-धौलपुर में 220 केवी सब स्टेशन की स्थापना होगी।

II. सोला-सीकर एवं जावाल-सिरोही में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. माजरा ढाकोडा (बानसूर)-अलवर, डण्ड (खाजूवाला)-बीकानेर, कोनरा (चौहटन)-बाड़मेर, अमरगढ़ (माण्डल)-भीलवाड़ा, रामसिंहपुर पालकी, तेस्की (नगर)- भरतपुर, तांबाखेड़ी, कालरी (तारानगर)-चूरू, कुण्डेरा (सिकराय)-दौसा, कहारी (आसपुर)- डूंगरपुर, सिलासन (रानीवाड़ा)-जालोर एवं भोजासर, श्यामपुरा नूआ (मंडावा)-झुंझुनूं में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

IV. चिकानी-अलवर, दावेड़ा (आसपुर), पाल देवल-डूंगरपुर व बागोर (मांडल)-भीलवाड़ा, रामगढ़ पचवारा (लालसोट), बैजूपाड़ा-दौसा, रामगढ़ (रामगढ़-शेखावाटी)-सीकर, केलादेवी -करौली में सहायक अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, वैर-भरतपुर, जमवारामगढ़-जयपुर, सिकराय-दौसा व बौंली (बामनवास)-सवाई माधोपुर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खुलेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों जैसे-मीरा स्मारक (राव दूदागढ़), मेड़ता-नागौर, मूसी महारानी की छतरी व नीलकंठ-अलवर, अजीत विवेक म्यूजियम, खेतड़ी-झुंझुनूं, राजकीय संग्रहालय-भरतपुर, मोलेला (खमनोर)-राजसमंद आदि को विकसित किया जायेगा। इस पर 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे। चूरू के किले के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- जोगेश्वर धाम (नावां)-नागौर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। गोठ मांगलोद (जायल)-नागौर व सुईया धाम (चौहटन)-बाड़मेर में पर्यटन विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य होंगे। जोधपुरिया (निवाई)-टोंक में श्रीदेवनारायण पेनोरमा बनाया जायेगा।
- मंदिरों, मस्जिदों, दरगाह, गुरूद्वारे, चर्च तथा अन्य धर्मों के स्थलों का सर्वे कराकर चयन करते हुए आधारभूत संरचना के कार्य करवाये जायेंगे। इसी कड़ी में जयपुर के आराध्य श्री गोविन्द देवजी मंदिर के पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यन एवं जन सुविधाओं का विस्तार होगा। गलता गेट के समीप स्थित ईदगाह क्षेत्र के मार्गों का जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। इन कार्यों के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा।
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** के अन्तर्गत आगामी वर्ष में बढ़ी हुई संख्या में वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना पर 30 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
- कोविड-19 की दूसरी लहर में पर्यटन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की अवधि में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान को देय किराया, मासिक लाईसेंस फीस में पूर्ण छूट दी जाएगी। यह प्रतिबंध समाप्त होने की दिनांक से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि में पर्यटकों की आवक में हुई कमी के आधार पर देय किराया, मासिक लाईसेंस फीस में आनुपातिक छूट दी जाएगी।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

- प्रदेश में बोरवट-बांसवाड़ा, बारां, फूलियाकलां (शाहपुरा)- भीलवाड़ा, भरतपुर, नगर-भरतपुर, बस्सी-चित्तौड़गढ़, बहरावण्डा (सिकराय)-दौसा तथा बरावण्डा खुर्द (खण्डार)-सवाई माधोपुर में **कृषि महाविद्यालय** खोले जायेंगे।
- रौतहडिया (महवा)-दौसा में कृषि उपज मण्डी विकसित होगी।

- चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायतों पर '**पंचायत मिनी सचिवालय**' स्थापित होंगे। इससे सम्बन्धित विभागों-राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवायें उपलब्ध करायी जा सकेंगी। प्रथमत: ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में लिए जायेंगे, जहां विधायकगण MLA LAD Fund से 20 लाख रुपये स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
- Contractual Service Rules के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50 हजार पद सृजित करते हुए पंचायत Cadre का गठन किया जाएगा।
- गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर लगाए गए मात्र 0.50 प्रतिशत यूजर चार्जेज को घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थाई लगान (भू-राजस्व) को (खरीफ संवत 2075) वित्तीय वर्ष 2018-19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व का भी बकाया स्थाई लगान समाप्त कर दिया गया है।
- नयावास ढाणी ग्राम बिठोली के पास (बामनवास)-सवाई माधोपुर व अनास नदी पर गराडिया (गांगडतलाई)-बांसवाड़ा में एनिकट निर्माण होगा। किशनगंज-बारा में हथवारी-खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिंडालिया एनिकट की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य होंगे। तामडिया (चाकसू), अजमेरीपुरा (कोटखावदा)-जयपुर व रिस्का की नाल (चौरासी)-डूंगरपुर के एनिकट की डीपीआर बनेगी।
- डोराई बांध-चित्तौड़गढ़ की नहरों, माईनर एवं एलएमसी, स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य होगा। माछली बांध (नैनवा)-बूंदी की ऊंचाई बढ़ायी जाएगी।
- राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए '**गोचर भूमि विकास बोर्ड**' का गठन किया जाएगा।
- प्रदेश में उत्तम नस्ल के गौवंश की वृद्धि के लिए आगामी 2 वर्षों में अनुदानित दर पर Sex Sorted Semen का उपयोग करते हुए 40 लाख Artificial Insemination कराए जाएंगे। इस पर आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- RCDF को पाबंद किया जायेगा कि Milk Unions को निर्देशित कर दूध की दर नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करे तथा जहां पर बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है, वहां इस बढ़ोतरी को withdraw किया जाये।
- बारां में जिला दुग्ध संघ बनाये जाने के साथ ही Milk Processing Plant की स्थापना होगी।
- प्रदेश की दुधारू देशी नस्लों के गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटरनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी (ETT) प्रयोगशालायें स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालयों सहित जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)-पाली के पशु चिकित्सालयों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी।
- चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जायेगा।
- वर्तमान में पशु-पक्षियों में बर्ड फ्लू आदि रोगों के Diagnosis व Confirmation हेतु जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लेब-3 (BSL-3) की स्थापना होगी।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए...

I. भरतपुर व कोटपूतली-जयपुर में **पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय** खोले जायेंगे।

II. राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नवलगढ़-झुंझुनूं को **बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत** किया जायेगा।

III. हरसोली (किशनगढ़बास)-अलवर, मतोडा (लोहावट)-जोधपुर एवं ईडवा (डेगाना)-नागौर के पशु चिकित्सालय **प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत** किए जायेंगे।

IV. पाडा (रैणी)-अलवर, फतेहगढ़ सल्ला-अजमेर, रामनगर-बूंदी व रिवाली, डाबर (बामनवास)-सवाई माधोपुर के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को **पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया जायेगा। साथ ही, नूरे की भुर्ज (फलौदी)-जोधपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

V. मिलकपुर (रामगढ़)-अलवर, रोलिया (कपासन), गोवलिया (बेगूं)-चित्तौड़गढ़, कूपली, 30 ऐपीडी (रायसिंहनगर)-श्रीगंगानगर, हिंगोली (भोपालगढ़), मयाकोरिया (फलौदी), शेख नगर (बिलाड़ा)-जोधपुर व बरोल, कड़ीला (मालपुरा)-टोंक में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

गृह

प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु...

I. 3 मार्च, 2022 को प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालयों पर स्थित शेष रहे 42 SI स्तर के पुलिस थानों को CI स्तर के थानों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई थी। अब समस्त पुलिस थानों को CI स्तर का बनाने की दृष्टि से, शेष रहे उप निरीक्षक (SI) स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक (CI) स्तर के थानों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

II. कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से 2 हजार और सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद और बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है।

III. पुलिस थानों में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए महिला ASI का Cadre गठित कर इनमें से एक हजार पद महिला ASI के लिए निर्धारित किए गए हैं।

IV. 23 फरवरी, 2022 को बजट प्रस्तुत करते समय 10 हजार होम गार्ड्स को राजकीय कार्यालयों में logistical कार्यों हेतु लिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष में लगभग 2 हजार अतिरिक्त होमगार्ड जवानों को कानून, यातायात व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए तैनात किया जायेगा।

V. राज्य में संचालित यात्री वाहनों (बस, टैक्सी) व एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कण्ट्रोल सेंटर स्थापित होगा।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु...

I. रणजीतपुरा (कोलायत)-बीकानेर, कसारवाड़ी (कुशलगढ़)-

बांसवाड़ा व बाघपुरा (झाडोल)-उदयपुर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

II. पापड़दा (सिकराय), बैजूपाड़ा-दौसा, विवेक विहार (लूणी)-जोधपुर व घाटोल-बांसवाड़ा में पुलिस थाने खोले जायेंगे।

III. खुमानपुरा (माण्डल)-भीलवाड़ा, सथूर, दुगारी (हिण्डोली)-बूंदी, बिजौली (बाड़ी)-धौलपुर, केशरियाबाद (धरियावद)-प्रतापगढ़ व पाणुन्द (वल्लभनगर)-उदयपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेगी।

- घनी आबादी के मध्य स्थित Central, District Jails को घनी आबादी से पृथक खुली जगहों पर स्थानान्तरित करने के लिए सभी 25 जेलों के लिए DPR बनायी जाएगी। इन जगहों का वैकल्पिक उपयोग भी DPR के माध्यम से तय हो सकेगा।

आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए...

I. भरतपुर में **वाणिज्यिक न्यायालय** खोला जायेगा।

II. सीमलवाड़ा-डूंगरपुर व जायल-नागौर में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट खोले जायेंगे।

III. अपर जिला एवं सैशन न्यायालय कोर्ट कैम्प कुशलगढ़-बांसवाड़ा को स्थायी किया जायेगा।

IV. आहोर-जालोर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोला जायेगा।

सुशासन

- प्रदेश के दूरस्थ हिस्से में भी चिकित्सा एवं शिक्षा की समुचित सुविधा प्रदान करने के लिए
- आगामी वर्ष सभी लगभग 3 हजार 500 चिकित्सा संस्थानों तथा लगभग 70 हजार राजकीय विद्यालयों में repair एवं maintenance सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त चिकित्सा संस्थानों में '**सुलभ संस्था**' के माध्यम से शौचालयों का रख-रखाव किया जाएगा इन कार्यों को करने के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें इसके लिए '**मुख्यमंत्री-हमारी जिम्मेदारी योजना**' प्रारंभ होगी। इस योजना के अंतर्गत यदि ऐसा चिन्हित परिवार Toll Free CM Helpline-181 पर फोन मात्र कर देगा, तो '**सेवा प्रेरक**' (**Service Facilitator**) घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति, मूल निवास प्रमाणपत्र, पेंशन, पालनहार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत करवाया जाना सुनिश्चित करेगा।
- कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं इनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा होगी। इसमें ग्रामवासियों एवं लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड़ नाटक, सामग्री वितरण व प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
- आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकारों के बच्चों के लिए **Pre-Matric** एवं **Post-Matric** छात्रवृत्ति प्रारंभ होगी।
- विभिन्न विभागों में भामाशाह, ट्रस्ट, सोसायटी, NGOs द्वारा सहभागिता से करवाये जाने वाले जन उपयोगी कार्यों, जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50 प्रतिशत अथवा अधिक है, का क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु RTPP नियम, 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।
- विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा-भूमि पर कब्जा, Real Estate बैंक, बीमा, जमापूंजी धोखाधड़ी, झूठे दिवालियापन, मनी लॉन्ड्रिंग तथा फर्जी कम्पनियों के गठन, Cooperative Credit Societies scams जैसी ठगियों के शिकार जन सामान्य को त्वरित कार्यवाही के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाए जाने के लिए वित्त विभाग के अधीन **Directorate of Economic Offences** बनाया जाएगा।
- जयपुर शहर में गृह निर्माण समितियों द्वारा अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की समस्या के समाधान के लिए Rajasthan Societies Registration Act,2001 में यथोचित संशोधन करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
- प्रदेश की नवसृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए CBEO, CDPO व BCMHO कार्यालय भी खोले जायेंगे।

प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु...

I. नवलगढ़-झुंझुनूं में मिनी सचिवालय की डीपीआर बनायी जायेगी।

II. बाली-पाली में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खुलेगा।

III. मूंडवा-नागौर, नयागांव (खैरवाड़ा)-उदयपुर, मौजमाबाद-जयपुर व सैंथल-दौसा में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे।

IV. नाथद्वारा-राजसमंद में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (AC&EM) कार्यालय खोला जायेगा।

V. सीकर व धोद तहसीलों का पुनर्गठन कर नई तहसील सीकर (ग्रामीण) बनायी जायेगी।

फार्म-1
(नियम 3 देखिये)

1.	समाचार पत्रिका का नाम	:	राजस्थान सुजस
2.	समाचार पत्रिका की भाषा	:	हिन्दी
3.	प्रकाशन का स्थान	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
4.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
5.	मुद्रक का नाम	:	पुरुषोत्तम शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक है	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
6.	पता प्रेस	:	मैसर्स कृष्णा प्रिंटर्स डी14, सुदर्शनपुरा, 22 गोदाम, जयपुर
7.	सम्पादक का नाम	:	अलका सक्सेना
	क्या भारतीय नागरिक है	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
	पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सचिवालय, जयपुर

8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हो।

मैं पुरुषोत्तम शर्मा एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

पुरुषोत्तम शर्मा

VI. पाल देवल-डूंगरपुर व झंवर (लूणी)-जोधपुर में तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

VII. हदां (कोलायत)-बीकानेर, खोह (नगर)-भरतपुर, पोटला (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, साखून (दूदू), दहलाला-जयपुर तथा मारोठ (नावां)-नागौर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

VIII. बड़ौदा मेव-अलवर व अजीतगढ़-सीकर को नगर पालिका बनाया जायेगा।

IX. भनोखर (कठूमर), साहडोली-अलवर, मंडावर-दौसा व सीकरी (नगर)-भरतपुर को पंचायत समिति बनाया जायेगा।

X. नावां-नागौर में टाउन हाल का निर्माण किया जायेगा।

XI. कठूमर, रामगढ़-अलवर, सुजानगढ़-चूरू, सुल्तानपुर-कोटा व जायल-नागौर में अधिशाषी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) कार्यालय खोले जायेंगे।

XII. सलूम्बर-उदयपुर में जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।

राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी समस्या दूर करने के लिए...

I. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा Annual Performance Appraisal Report (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जायेगी।

II. आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की जा सकेगी।

III. विभागीय स्तर पर ही DPC की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- Placement Agency (ठेका प्रथा) के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य संविदा कर्मियों के अनुरूप 10/20/30 Bonus Marks देने का प्रावधान किया गया है।
- RGHS के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित (Dependent) सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जाएगी। इस पर सालाना लगभग 157 करोड़ रुपये का वित्तीय भार संभावित है।
- प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं जैसे-RSMM, RTDC, तिलम संघ, विद्युत कम्पनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसी राजकीय संस्थाओं में पेंशन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए परीक्षण कराकर समुचित निर्णय किया जाएगा।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णत: नि:शक्त, अयोग्य (Disabled) होने एवं साथ ही उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी।
- प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के चुकारे हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में निकाय की निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एकबारीय अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
- आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 **लाख रुपये**, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को **एक लाख रुपये**, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75 **हजार रुपये**, सेना मेडल धारक को 50 **हजार रुपये** तथा मेंशन इन-डिस्पेच धारकों को 25 **हजार रुपये** की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में आगामी वर्ष (1 अप्रेल, 2022) से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू कर दिए जाने के बाद अब 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को 1 अप्रेल, 2022 को देय वेतन (March Paid in April) से समाप्त कर दिया गया है।

कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को, उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड (RGHS Fund) की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके Retirement के समय GPF पर देय interest rate के साथ एकमुश्त लौटा दिया जाएगा।

1 अप्रेल, 2022 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रतिमाह 10 प्रतिशत कटौती बंद होने से अप्रेल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर मासिक 2 हजार 300 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये से भी अधिक तक होगी।

फागोत्सव
गोविन्ददेव जी, जयपुर

जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में होली के उपलक्ष्य में 10 से 16 मार्च तक मनाए गए होलिकोत्सव में आयोजित पुष्प फाग उत्सव। छाया : राजेन्द्र शर्मा

धधकती राल का अनूठा उत्सव

होली पर रसिया और लोक गीतों के बीच धधकती ज्वाला के साथ राजसमंद के द्वारिकाधीश मंदिर में प्रतिवर्ष राल का अनूठा उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद्भागवत के एक प्रसंग के अनुसार दावानल में घिरे ग्वाल-बालों ने जब आंखें बंद कर सहायतार्थ श्री कृष्ण को पुकारा, तो आंखें खुलते ही सबने स्वयं को गोकुल में नंद भवन के आगे सुरक्षित खड़ा पाया। धधकती राल के दर्शन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ग्वाल-बालों की रक्षार्थ की गयी उसी लीला का स्मरण किया जाता है। इस ज्वाला का दर्शन करने देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

आलेख एवं छाया: **सुमित सारस्वत**

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

[महिला दिवस पर विशेष]

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक–श्रीमती अलका सक्सेना, मै.कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60 लागत मूल्य 30.56 रुपए • 5,00,000 प्रतियां